13.27 hrs.

BANARAS HINDU UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

Mr. Speaker: The House will now take up further consieration of the following motion move by Shri M. C. Chagla on the 24th November, 1965, namely:—

> "That the Bill further to amend the Banaras Hindu University Act, 1915, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

Time left for general discussion is 10 minutes. I have extended it by one hour more.

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) अध्यक्ष महोदय, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी विधेयक आज फिर सदन में चर्चा का विषय हो रहा है। 1958 में हिन्दू यूनिवर्सिटी को एक अध्यादेश के द्वारा तत्कालीन कानून को रद्द करके कायम किया गया। उस वक्त की सरकार ने और तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने इस सम्बन्ध में एक बयान दिया कि जल्द से जल्द इसके लिये कानून लाया जायेगा कि वह अध्यादेश समाप्त हो। लेकिन किसी कारणवश वह विधेयक नहीं आ सका। बाद में जो विधेयक आया तो वह प्रवर समिति के सुपुर्द हुआ। उसके सुपुर्द होने के बाद फिर विधेयक को पारित होने में कई वर्ष लग गये। आज 1958 के बाद 1966 के एक महीने को छोड़ कर अन्तिम महीने में हम इस विधेयक पर विचार कर रहे हैं जो कि राज्य सभा से पारित हो चुका है।

इस विधेयक पर यूनिवर्सिटी से "हिन्दू" नाम को हटाने के सम्बन्ध में बड़ा वाद विवाद उठा। राज्य सभा ने इस नाम को हटाया और वह इस सदन में आने के बाद विवाद का विषय बना कि हिन्दू शब्द रखा जाये या नहीं। इसी प्रकार से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में भी प्रश्न उठा कि उस में "मुसलिम" शब्द रहे या नहीं। जहां तक मेरे दृष्टिकोण का सम्बन्ध है, जिस समय भारत स्वतन्त्र हुआ और हमने सेकुलर शासन का तरीका अख्तियार किया, उस समय ही आवश्यक था कि तत्काल ही जितनी संस्थायें धर्म के नाम पर जाति के नाम पर, थी उन्हें समाप्त कर के उनका नाम बदल दिया गया होता। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया और वह चली आई। आज सरकारी तथा राजकीय कोष से ऐसी संस्थाओं को धन दिया जाये जो कि हिन्दू संस्था के नाम पर चलें, मुसलिम संस्था के नाम पर चलें, ईसाई संस्था के नाम पर चलें पारसी संस्था के नाम पर चलें। यह कुछ अनुपयुक्त सा मालूम पड़ता है। आज जिस परिस्थिति में हम हैं उस को देखते हुए मैं सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूं।

हिन्दू और मुस्लिम शब्द को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है, मैं प्रार्थना करता हूं कि इस विवाद को हम एक निर्णायक विषय आज न बनायें। आज जैसे चलता है उसको चलने दें। वास्तविक आवश्यकता इस बात की है कि सरकार एक ऐसा विधेयक लाए जिसमें इस तरह की परिभाषा हो, इस तरह की बात निहित हो कि कोई जाति के नाम पर, कोई सम्प्रदाय के नाम पर अगर संस्था कायम होगी तो वह कायम तो हो सकती है लेकिन सरकार द्वारा उसको कोई सहायता नहीं मिलेगी। हर एक व्यक्ति को हमारे सदन के संविधान के अन्दर यह अधिकार तो प्राप्त है कि अपने नाम पर या अपनी जाति के नाम पर या अपने सम्प्रदाय के नाम पर वह संस्था तो कायम कर सकता है, अपने धर्म के नाम पर वह संस्था तो कायम कर सकता है लेकिन जो धर्म निरपेक्ष सरकार है उसका यह कर्तव्य है कि वह ऐसी संस्थाओं को कोई सहायता न दे।

13.30 hrs.

[SHRI SHAM LAL SARAF *in the Chair*]

इस तरह की व्यवस्था अगर कोई विधेयक ला कर सरकार कर दे तो यह बहुत अच्छा होगा । इस तरह का विधेयक अगर लाया जाएगा और उसमें इस तरह की व्यवस्था होगी कि हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी जितने नामधारी धर्म हैं और जिनके नाम पर संस्थाएं कायम हैं या कायम होंगी जब तक उन में से ये नाम नहीं निकाल दिये जायेंगे सरकारी सहायता उनको प्राप्त नहीं होगी, तो मैं समझता हूं कि यह समस्या का सर्वोत्तम हल होगा । उस समय शायद इतना विवाद खड़ा नहीं होगा जितना आज खड़ा हो चुका है । आज हिन्दू कहता है कि मेरे नाम से हिन्दू शब्द क्यों निकाला जाए, मुस्लिम कहता है कि मेरे नाम से मुस्लिम शब्द क्यों निकाला जाए, ईसाई कहता है कि मेरे नाम से ईसाई शब्द क्यों निकाला जाए । हर आदमी देखा देखी यह कहने लग गया है कि हम पर ही आघात क्यों हो ? राज्य सभा से यह पास तो हो गया है कि हिन्दू शब्द निकाल दिया जाए और आपको यह भी मानना होगा कि यह एक विवाद का विषय भी बन गया है और इसलिए बन गया है कि हिन्दू शब्द अगर निकल जायेगा तो हो सकता है कि वे बहुसंख्या में चुके हैं इस वास्ते इसको मान्यता दे दें लेकिन उनका खयाल है कि मुस्लिम शब्द जब निकालने का वक्त आएगा तो शायद वह न निकल पाए, शायद वहां वैंडलिज्म हो । आप जानते ही है कि सामान्य सिविल कोड की बात चली थी । यह कहा गया था कि हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी जितने भी लोग हिन्दुस्तान में हैं उन सब के लिए एक समान सिविल कोड हो क्योंकि भारतीय संविधान में सबको समान अधिकार प्राप्त है और हिन्दुओं के लिए एक कानून भी बना था लेकिन आज तक मुसलमानों के लिए वैसा कानून नहीं बन पाया है । जहां तक वक्फ एक्ट का सम्बन्ध है उसमें भी बहुत तरमीम नहीं हो पाई है । हिन्दुओं के मन्दिरों के बारे में एक विधेयक इसी सदन में आया था जो कि आज तक लटका हुआ है क्योंकि मुसलमानों के बारे में विधेयक नहीं आ पाया है । यह सब डर की वजह से है जो कि लोगों के दिलों में व्याप्त है । हिन्दू कोड बिल आया और वह पास भी हो गया जिसके अन्तर्गत एक मर्द को एक औरत रखने का अधिकार है, लेकिन मुसलमानों के बारे में वह नहीं आया और मामला लटका हुआ है । लोगों को डर है कि हिन्दू शब्द निकल जाने के बाद हो सकता है कि मुस्लिम शब्द न निकलने पाए । इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस झगड़े को आज वह न उठाये । सदन के सदस्यों से भी मैं प्रार्थना करूंगा कि वह हिन्दू शब्द को हटाने पर आज जोर न दें । राज्य सभा में जो यह बिल आया है कि इस में हिन्दू शब्द रहे और मैं चाहता हूं कि जब वह वापस राज्य सभा को जाए तो राज्य सभा के सदस्य भी इसको मान लें । लेकिन साथ ही साथ सरकार एक आश्वासन जरूर दे । इस आश्वासन को अब तो पूरा नहीं किया जा सकता है । लेकिन अगले चुनाव के बाद तो इसको पूरा किया जा सकता है । अगले चुनाव के बाद भी जहां तक मालूम पड़ता है यही सरकार होगी, कांग्रेस की ही सरकार होगी और कोई होने वाली नहीं, जैसी कि उम्मीद की जाती है । भावी सरकार की तरफ से यह सरकार इस तरह का आश्वासन दे कि वह इस तरह का कानून लायेगी कि धर्म निरपेक्ष यह सरकार अगर कोई संस्था धर्म के नाम पर कायम होगी तो उसके कायम होने में कोई रुकावट तो नहीं डालेगी, उसको मान्यता तो प्रदान की जा सकेगी लेकिन सरकारी सहायता उस संस्था को प्राप्त नहीं होगी । जहां तक मेरा खयाल है सभी शिक्षण संस्थायें सरकारी सहायता से ही चलती हैं, कम से कम हिन्दू यूनिवर्सिटी और मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दोनों सरकारी सहायता पर

[श्री सिंहासन सिंह]

निर्भर करती हैं, सरकारी सहायता से ही चलती हैं । हर रूप में ये संस्थायें केन्द्रीय सरकार पर निर्भर करती हैं । मैं आशा करता हूं कि ऐसा विधेयक सरकार की तरफ से अवश्य आएगा ।

दुर्भाग्य कहें या क्या कहें चागला साहब अब शिक्षा मंत्री नहीं रहे हैं, विदेश मंत्री हो गए हैं । अब तीन चार महीने की ही बात थी । इनके होते हुए देश में बड़ी आशा बंधी थी । चागला साहब ने अपने अल्प काल में शिक्षा के लिए इतना कुछ किया है कि जितना शायद इनसे पूर्ववर्ती किसी ने नहीं किया था । शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने में, अध्यापकों के स्तर को ऊंचा करने में, इन्होंने बहुत कुछ किया है । एजुकेशन कमीशन की रिपोर्ट भी हमारे सामने है । चलते चलते इन्होंने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से यह भी कहा है कि वह आशा करते हैं कि ग्रांट्स कमीशन और गवर्नमेंट भी इस रिपोर्ट को मान्यता प्रदान कर देगी । सद्भाव के साथ उन्होंने कमीशन की रिपोर्ट पर विचार किया है । उस रिपोर्ट में एक खास बात यह है कि शिक्षा का स्तर समान हो, सब के लिए समान अवसर हों, अध्यापकों का स्तर किसी तरह से भी सिविल सर्वेंट्स से कम न हो । जहां तक अध्यापकों के स्तर का सम्बन्ध है इनको यूरोप और रूस आदि में सिविल सर्वेंट्स के बराबर समझा जाता है, उनकी आकांक्षा रही है कि शिक्षक वर्ग का स्तर ऊंचा हो । यही कारण है कि अल्पकाल में उन्होंने इतना कुछ कर दिया है कि शायद पूर्व में नहीं किया गया है । आज भी विद्यार्थी वर्ग उत्पात मचा रहा है, अपना क्षोभ प्रदर्शित कर रहा है । मैं समझता हूं कि शायद यह शिक्षा की दृष्टि से अच्छा नहीं हुआ है । आज की हिन्दी अखबार में कमेंट निकला है कि यह अच्छा नहीं .....

सभापति महोदय : अब आप समाप्त करें । एक दो मिनट ले लें ।

श्री सिंहासन सिंह : हमारे चागला साहब श्री फखरुद्दीन अली अहमद की जगह, उनकी ओर से बैठे हुए हैं । उन से मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं । वाइस चांसलर वहां से चले गए हैं । प्रो वाइस चांसलर साहब भी चले जाएंगे । नए वाइस चांसलर साहब आ गए हैं । लेकिन रजिस्ट्रार साहब क्यों बने हुए हैं, जो कि सब झगड़े की जड़ हैं । यूनिवर्सिटी में जो कुछ बुराई शुरू हुई है और जिसके कारण यूनिवर्सिटी को अध्यादेश के द्वारा बन्द करना पड़ा और आज जितना ज्यादा खर्च हुआ है, लाखों रुपया यूनिवर्सिटी का मुकदमेबाजी में खर्च हुआ है, अध्यापकों के खिलाफ मुकदमे दायर करने में खर्च हुआ है, उस सब का मूल कारण यह एक रजिस्ट्रार साहब हैं । उनको हटाया नहीं गया है । आपको देख कर आश्चर्य होगा कि किसी भी सिलेक्ट कमेटी के चेयरमैन ने कभी भी डाइसेंटिंग रिपोर्ट नहीं दी है, डाइसेंटिंग नोट नहीं दिया है सिलेक्ट कमेटी के खिलाफ । लेकिन इस कमेटी के चेयरमैन श्री वाडिया ने दिया है सिलेक्ट कमेटी के खिलाफ । उन्होंने केवल रजिस्ट्रार के लिये यह दिया है । कमेटी की यह राय थी कि वाइस चांसलर को हटा दिया जाए, रजिस्ट्रार को न हटाया जाए । अध्यादेश के बाद बाकी सब जो अधिकारी बड़े बड़े थे उनको तो हटा दिया गया लेकिन उन्हें नहीं हटाया गया । इस बिल में यह भी लिखा है कि वाइस चांसलर का चुनाव होगा तो वह भी जो इस वक्त है हट जाएगा । और जो अधिकारी हैं वे भी हट जायें । लेकिन जो रजिस्ट्रार है वह कायम है, वह ज्यों का त्यों बरकरार रहेगा । इसके बारे में मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं । अगर रजिस्ट्रार साहब कायम रहेंगे तो कितना भी भला वाइस चांसलर आ जाए, उनकी तिकड़म से एक न एक दिन झगड़ा हो जाएगा । आज हम देख रहे हैं कि विद्यार्थी वर्ग उत्पात मचा रहा है । लेकिन बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी आज भी शान्त हैं । हो सकता है कि इसमें आपका

प्रभाव काम कर रहा हो, हो सकता है कि नए वाइस चांसलर के आने की वजह से यह हो। किसी भी कारण से हो लेकिन वहां के विद्यार्थी आज शान्त है। हर विद्यार्थी की मांग यह है कि इस रजिस्ट्रार से हमें मुक्ति दो। अगर मुक्ति आप नहीं देते हैं तो शायद फिर झगड़ा होगा।

रघुनाथ सिंह जी मेरी तरफ देख रहे हैं। वह मुझे माफ करें अगर मैं यह कहूं कि उन्होंने भी बहुत अच्छा पार्ट प्ले नहीं किया था। अध्यादेश को लेकर जो कमेटी बनी थी उस में शायद वह भी थे

Shri Raghunath Singh (Varanasi): Which Committee?

श्री सिंहासन सिंह : अध्यादेश के बारे में एक कमेटी बनी थी।

Shri Raghunath Singh: I was not there.

Shri Sinhasan Singh: You were a member of the Court.

Shri Raghunath Singh: Finance Committee.

श्री सिंहासन सिंह : चाहे रघुनाथ सिंह हों या सिंहासन सिंह मुझे कोई हमदर्दी नहीं है। एक ऐसी कमेटी बनी थी जिसने हर तरह से हिन्दू यूनिवर्सिटी को नीचे गिराने की कोशिश की थी, इस यूनिवर्सिटी को ऊपर उठाने की कोशिश नहीं की। मैं कहना चाहता हूं कि रजिस्ट्रार को नहीं रहना चाहिये, उसको हटा दिया जाना चाहिये।

Shri Gauri Shankar Kakkar (Fatehpur) *rose—*

Mr. Chairman: Shri Raghunath Singh. Shri Kakkar has already spoken on this.

Shri Gauri Shankar Kakkar: I have not spoken on this.

Mr. Chairman: You have already spoken on this. Shri Raghunath Singh.

श्री रघुनाथ सिंह : मैं आपका थोड़ा ज्यादा समय लूंगा। पहले तो सिंहासन सिंह जी ने जो कहा है उसके सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं किसी ऐसी कमेटी का सदस्य नहीं था जो कि अध्यादेश को ले कर बनी थी। मैं नामिनेटिड मैम्बर जरूर हूं बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी कोर्ट का। उसकी फार्मेल मीटिंग साल में एक बार कनवोकेशन के दिन होती है और फिर वह समाप्त हो जाती है।

इस बिल का जहां तक सम्बन्ध है ज्वाइंट सिलैक्ट कमेटी ने यह विचार व्यक्त किया था कि इसका नाम हिन्दू यूनिवर्सिटी हो। लेकिन उसके इस प्रस्ताव को राज्य सभा ने अस्वीकार कर दिया। राज्य सभा ने यह पास किया। इस इंस्टीटयूशन का नाम मदन मोहन मालवीय काशी विश्व विद्यालय रखा जाए। यही सबसे बड़ा विवाद का विषय है।

मैं चाहता साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट किया है कि कांग्रेस पार्टी के मैम्बर फ्री हैं। अपना वोट जिधर चाहे दे सकते हैं। अगर मैम्बर हिन्दू शब्द रखना चाहते हैं तो उसके पक्ष में मत दे सकते हैं और अगर मदन मोहन मालवीय काशी विश्वविद्यालय शब्द रखना चाहते हैं तो उसके पक्ष में मत दे सकते हैं। वास्तव में लोकतंत्रीय परम्परा का उन्होंने सदस्यों को मतदान की आजादी दे कर अनुसरण किया है।

जब पहले-पहल हिन्दू यूनिवर्सिटी के नाम के सम्बन्ध में विवाद उठा था, तो डा० लोहिया ने वहां पर लगे हुए शिला-लेख का उल्लेख किया था और कहा था कि उस का नाम "काशी विश्वविद्यालय है।" मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर संस्कृत में यह लिखा

[श्री रघुनाथ सिंह]

हुआ है : "काशी विश्वविद्यालय————" और अंग्रेजी में लिखा है :

"Banaras Hindu University. This foundation stone was laid by H.E. The Right Honourable Charles Baron Hardinge of Penshurt...."

आप देखेंगे कि एक ही शिला-लेख में दो नाम आये हैं : "काशी विश्वविद्यालय" और अंग्रेजी में "बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी ।

मेरे पास यह संवत् 1984 का पंचांग है, जो कि 39 वर्ष पहले का है और जो काशी विश्वविद्यालय से प्रकाशित होता है । इस पर छपी काशी विश्वविद्यालय की सील पर संस्कृत में, अर्थात् नागरी लिपि में काशी विश्वविद्यालय और अंग्रेजी में बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है ।

उस दिन डा० लोहिया ने विश्वविद्यालय में लगी ईंटों पर लिखे शब्दों का उल्लेख किया मेरे पास यह 1941 की ईंट है ।

श्री सिंहासन सिंह : आन ए पाइंट आफ आर्डर । क्या माननीय सदस्य को इस सदन में ईंट लाने का अधिकार है ?

श्री रघुनाथ सिंह : आई हैव राइट दी राइट ।

डा० लोहिया ने कहा कि ईंट पर काशी विश्वविद्यालय लिखा हुआ है । मैं 1941 की, आज की नहीं, बल्कि आज से पच्चीस वर्ष पहले की, आरिजनल ईंट लाया हूं, ...

श्री बाकर अली मिर्जा (वारंगल): क्या बिल्डिंग तोड़ कर यह ईंट लाए है ?

श्री रघुनाथ सिंह : . . . . जिस पर लिखा है का० हि० वि०, अर्थात् काशी हिन्दू विश्वविद्यालय । हां, डा० लोहिया का कहना ठीक है कि प्रारम्भिक काल में कुछ ईंटों पर हिन्दी में "का० वि० वि०" लिखा गया था, अर्थात् "काशी विश्वविद्यालय" ।

श्री किशन पटनायक (सम्बलपुर) : क्या यह फर्जी ईंट तो नहीं है ?

श्री रघुनाथ सिंह : फर्जी काम तो माननीय सदस्य कर सकते हैं । वह मेरा काम नहीं है ।

इस के अतिरिक्त फाटक पर, संगमरमर के पत्थर में खुदा हुआ है, जो आज का नहीं है: "काशी हिन्दू विश्वविद्यालय" । जहां तक नाम का सम्बन्ध है, लोगों में यह धारणा प्रचलित थी कि नाम "काशी हिन्दू विश्वविद्यालय है" निस्सन्देह प्रारम्भ में काशी विश्वविद्यालय प्रचलित था और वहां के शिला लेख में संस्कृत में "काशी विश्वविद्यालय" और अंग्रेजी में बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी" लिखा हुआ है। यह जानने के लिए थोड़ा और डिटेल में जाने की जरूरत होगी कि कैसे यह थोड़ा सा फर्क पड़ा।

सन् 1906 में मालवीय जी और दूसरे नेता इलाहाबाद में एकत्रित हुए जहां पहले पहल हिन्दू यूनिवर्सिटी स्थापित करने की परिकल्पना उत्पन्न हुई एक सोसायटी का निर्माण किया गया । एक ड्राफ्ट स्कीम बनाई गई । जिस में उस विश्वविद्यालय का नाम हिन्दी में काशी विश्वविद्यालय और एंग्लिश में दि हिन्दू यूनिवर्सिटी आफ बनारस दिया गया । 1911 में जब उस सोसायटी के रजिस्ट्रेशन का सवाल पैदा हुआ , तो वह सोसायटी बाकायदा तौर पर "हिन्दू यूनिवर्सिटी सोसायटी" के नाम से रजिस्टर्ड कराई गई । 12 अक्तूबर, सन् 1911 को उस समय के केन्द्रीय शिक्षा विभाग के सदस्य, सर हारकोर्ट बटलर ने एक पत्र द्वारा सरकारी मन्तव्य को इस प्रकार प्रकट किया 'सरकार हिन्दू यूनिवर्सिटी की स्थापना के आइडिया का समर्थन करती है' । 4 दिसम्बर सन् 1911 को हिन्दू यूनिवर्सिटी सोसायटी की पहली फार्मल मीटिंग हुई और आप को यह जान कर आश्चर्य होगा कि सन् 1912 में उस

सोसायटी का आफिस बनारस में नहीं, बल्कि इलाहाबाद में खोला गया जहां मालवीय जी आदि हिन्दुस्तान के सब नेता थे। इसके बाद 22 मार्च, सन् 1915 को सर हारकोर्ट बटलर ने उस समय की इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल में हिन्दू यूनिवर्सिटी प्राइवेट बिल उपस्थित किया।

सभापति महोदय : अब माननीय सदस्य खत्म करने का प्रयत्न करें।

श्री रघुनाथ सिंह : यह बिल मेरी कांस्टीट्यूएन्सी से सम्बन्ध रखता है। इस लिए मुझे और समय दिया जाये।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य कलाजिज पर डिस्कशन के वक्त ये डीटेल की बातें कह सकते हैं।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं अभी खत्म कर देता हूं।

उस वक्त वायसराय ही कौन्सिल का स्पीकर हुआ करता था। उस वक्त के स्पीकर लार्ड हार्डिंग, ने उस बिल के पारित होने के समय अपने कान्क्लूडिंग रिमार्कस में कहा 'बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज यहां पर हिन्दू यूनिवर्सिटी बिल पास हुआ है और हमें आशा है कि इस में एजूकेशन की सुन्दर व्यवस्था होगी'।

संक्षेप में मैं निवेदन करना चाहता हूं शुरू से ही आइडिया था कि इस विश्वविद्यालय का नाम हिन्दू यूनिवर्सिटी रहे। जहां तक "हिन्दू" शब्द का सम्बध है, दादाभाई नौरोजी आदि लोगों ने भी यह कहा है कि "हिन्दू" शब्द कोई सम्प्रदायिक शब्द नहीं है। बल्कि वह जातीयता का बोधक है। विश्वविद्यालय के ताम्रपत्र लेख में जहां धर्म का उल्लेख किया गया है, वहां हिन्दू शब्द नहीं है। बल्कि 'सनातन धर्म का प्रयोग किया गया है। हिन्दुओं का धर्म सनातन धर्म है और "हिन्दू" शब्द का व्यापक अर्थ था कि हिन्दुस्तान में जितने रहने वाले लोग है, वे सब हिन्दू है इसी लिए उस ताम्रपत्र में "धर्म सनातन" शब्दों का प्रयोग किया गया है। सनातन धर्म शब्द का प्रयोग किया गया है। धर्म तो सनातन धर्म था।

हिन्दू विश्वविद्यालय था सारे हिन्दुस्तान का विश्वविद्यालय है। इसमें जो रुपया आया है वह सिखों से आया, हिन्दुओं से आया है। मुसलमानों का आया है। ईसाइयों का आया है। पारसियों का आया है। सब का रुपया इसमें लगा था। इसलिए हिन्दू शब्द को हम साम्प्रदायिक शब्द नहीं मानते। हिन्दू शब्द व्यापक जातिवाचक शब्द है। इस वास्ते जातिवाचक है कि यह एक वे आफ लाइफ है। जैसा कि डा० सर राधाकृष्णन ने कहा है हिन्दू तो एक वे आफ लाइफ है। यह हमारे जीवन का एक रूप है, हमारी संस्कृति का अंग है। हम सनातन धर्मी हो सकते हैं, हम वैष्णव हो सकते हैं, शैव हो सकते हैं, शाक्त हो सकते है, बौद्ध हो सकते हैं, जैनी हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं लेकिन सब का मिश्रण, सब का समुच्चय, सब का समन्वय वह हमारी एक हिन्दू जातीयता के रूप में होता है। सम्प्रदाय हमारा अलग हो सकता है, लेकिन हिन्दू का अर्थ है, हिन्दुस्तान में रहने वाले जितने लोग हैं, हिन्दू शब्द उन सब का वाचक है।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : माननीय चागला साहब यह बतलाने में असमर्थ रहे हैं कि हिन्दू शब्द हटा करके उन्होंने क्या सोचा है और किस लिए यह हिन्दू शब्द हटाया गया है? जैसा कि माननीय रघुनाथ सिंह जी ने कहा हिन्दू शब्द जो है वह तो हमारी राष्ट्रीयता का प्रतीक है, राष्ट्रीयता का द्योतक है। जो मुसलमान अरब में जाते हैं हज करने के लिए हैं।

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla): May I intervene for a minute to clear up the misunderstanding?

[Shri M. C. Chagla]

मैं ने नाम नहीं हटाया । नाम राज्य-सभा ने हटाया है । सेलेक्शन कमेटी में जब बिल आया तब हिन्दू नाम था । मगर राज्य सभा ने कहा कि नहीं यह मदन मोहन मालवीय काशी विश्वविद्यालय इस का नाम हो ।

Mr. Chairman: While replying to the debate he can reply to all these points.

श्री यशपाल सिंह : आपको अपनी राय जरूर देनी चाहिए थी ।

श्री मु० क० चागला : मेरी राय तो थी जो मैंने दी थी ।

श्री यशपाल सिंह : जो मुसलमान लोग अरब में हज करने के लिए जाते हैं उन्हें भी अरब के लोग अहले हनद कहते हैं और वह हिन्दू कह कर पुकारे जाते हैं । अगर राज्य सभा ने भी किया है या किसी ने भी किया है कुछ रीजन नहीं दिखलाया गया कि क्यों करा ? अगर हम यह समझते हैं कि हमारी खेती की पैदावार बढ़ जायेगी इस शब्द के हटाने से, हमारे कारखानों की प्रोडक्शन बढ़ जायेगी इस शब्द के हटाने से, हमारे सरहदों की रक्षा हो जायेगी इस शब्द के हटाने से तो ठीक है लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ या हम समझते हों कि किसी रूढ़िवाद का नाश हो जायगा इस शब्द को हटाने से तो वह भी नहीं हुआ । सिर्फ कोटि कोटि हिन्दू जनता के दिल को ठेस लगाने के लिए, करोड़ों हिन्दुओं के दिलों को तकलीफ पहुंचाने के लिए यह किया गया है और जब हम इस लोक सभा में हैं हम डट कर इसका विरोध करेंगे । अन्दर भी विरोध करेंगे और बाहर भी करेंगे । हिन्दू शब्द जो है वह हमारी भारतीयता का है, हमारे इन्डियनिज्म का द्योतक है । जैसा कि गांधी जी ने कहा था, गांधी जी यह चाहते थे कि हिन्दू असल हिन्दू बन जाय, मुसलमान असल मुसलमान बन जाय । हमें मुसलमानियत या हिन्दुस्तानियत से हमेशा यही सबक मिला है क्या हम अपने देश के लिये वफादार रहें, निष्ठावान रहें, हम अपने देश के लिए भक्ति और पूरी श्रद्धा रखें । अब यह समझ में नहीं आता कि राज्य सभा ने किया हो या किसी ने भी किया हो, जो गलत काम है वह गलत काम है । यह जरूरी नहीं कि राज्य सभा से उसके ऊपर मुहर लग जाय तो वह सही हो जाता है । जो गलत काम है वह हमेशा गलत रहता है । आखिर, हम करोड़ों साल से जिन्दा हैं, अपनी सभ्यता के मुताबिक, अपने कल्चर के मुताबिक, अपने विश्वास के मुताबिक हम इस दुनिया को एक अरब साल से ज्यादा देर से बनी हुई मानते हैं, एक अरब साल से ज्यादा हो गए इस दुनिया को बने हुए और तभी से हम अपने आपको हिन्दू कह कर के याद करते हैं और हम हर उस शख्स को हिन्दू समझते हैं, पचास करोड़ इन्सान

आसिन्धुः सिन्धु पर्यन्ता यस्य भारत
भूमिका ।
मातृभूः पितृभूः पुण्य भूश्चैव स वे
हिन्दु रितिस्मृताः ।।

हम उसे हिन्दू समझते हैं जो हिन्दुस्तान में पैदा हुआ है, जो इस हिन्दुस्तान का अन्न खा कर के जवान हुआ है । हम उसे हिन्दू समझते हैं और हिन्दू की परिभाषा भी यही है ।

"हिन हिंसागत्यो"

हिन्दू वह है जो हिंसा से नफरत करता हो, जो दूसरे के दिल को दुखाने से नफरत करता हो, दूसरे के दिल को ठेस पहुंचाने से नफरत करता हो, उसे हम हिन्दू मानते हैं । हिन्दू शब्द किसी सम्प्रदाय का द्योतक नहीं है । हिन्दू शब्द किसी छोटे से दल, बिरादरी या कैम्प का नाम नहीं है । हिन्दू का अर्थ बड़ा व्यापक है । जो पचास करोड़ भारत-

वासी हैं वह हिन्दू शब्द से ही पुकारे जाते हैं। कहीं भी चले जाइए, अरब में चले जाइए, बल्कि इंडिया लफ्ज जो है वह भी हिन्दू से ही बना है और किसी लफ्ज से बनता नहीं है। इसलिए मेरा, सभापति महोदय, सब से ज्यादा विरोध इस बात के ऊपर ह कि यह अगर राज्य सभा ने किया है तो दुबारा इसे राज्य सभा को भेजा जाय। राष्ट्रपति राधाकृष्णन जो कि हिन्दू यूनिवर्सिटी के प्राण रहे हैं, हिन्दू यूनिवर्सिटी के स्तम्भ रहे हैं उन से भी इस मामले में राय ली जाय। इतना बड़ा हमारा नेशनल डेजिगनेशन जो हमारे राष्ट्रीय सम्मान का द्योतक है .....

सभापति महोदय : अगर आप उस फैसले को बदल देंगे तो वहां भेजने की जरूरत नहीं है।

श्री यशपाल सिंह : हां, हम उस फैसले को बदल देंगे और जरूर बदल देंगे और मेरी राय यह है कि इस मामले पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई व्हिप न आये, कोई राय न आये बल्कि खुले आम इस हाउस में इस बात के ऊपर डिस्कशन हो और सभापति महोदय, मैं आपसे साफ़ लफ्जों में कह रहा हूं कि महात्मा गांधी ने जो कांग्रेस की बुनियाद डाली थी, इसीलिए डाली कि हिन्दू असल हिन्दू बन जाय और मुसलमान असल मुसलमान बन जाय और 70 साल का हमारा इतिहास दादाभाई नौरोजी से लेकर, मुहम्मदअली, शौकत अली से लेकर यह जो हमारा आज तक का इतिहास है, जिसमें हमने इस देश के लिए लाखों कुर्बानियां की हैं, वह सिर्फ इसलिए की हैं कि हमारा हिन्दू नाम कायम रहे। और जो हिन्दू हमारा नेशनल डेजिगनेशन है, वह नेशनल डेजिगनेशन कायम रहे। इसीलिए हम यह कुर्बानियां देते आये हैं और गांधी जी की मशा यही थी, गांधी जी ने कई दफ़ा यह कहा था कि वह हिन्दू पहले हैं और उसके बाद उन की और कोई परिभाषा नियत होती है।

तो सभापति महोदय, मैं चागला साहब से भी यह अर्ज करूंगा कि अपने विचार आज इस प्वाइंट पर रखें जब आप जवाब दें। इससे कोई फायदा नहीं है अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मुस्लिम शब्द हटा दें या बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी से हिन्दू शब्द हटा दें, इस में आपका कोई लाभ नहीं है। बल्कि इससे करोड़ों मुसलमानों और हिन्दुओं के दिलों को ठेस लगेगी और सरकार से मैं अनुरोध करता हूं, आग्रहपूर्वक इस का विरोध करता हूं, इस तरह के किसी नाम को आप मंजूर न करें। हिन्दू नाम अटल है, ईटरनल है, फंडामेंटल है। हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। ऐसी एक लाख सरकारें भी इस नाम को नहीं बदल सकेंगी।

Mr. Chairman: Shri Bal Krishna Singh.

Shri Radhelal Vyas (Ujjain): On a point of order....

Mr. Chairman: There is no point of order at the moment.

Shri Radhelal Vyas: There is a rule in our Rules of Procedure that if a Member gets up, his name will be called, and if more than one Member gets up, the name of one of those who had got up would be called. But now you have called the name of a Member who did not stand up at all.

Mr. Chairman: I have got his point. He need not teach the Chair on this point. The Chair's eyes are wide open.

श्री बाल कृष्ण सिंह (चन्दौली) : मान्यवर, देश के निर्माण और संगठन में बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हिन्दू शब्द पर तो मैं अपने अमेंडमेंट के समय बोलूंगा। लेकिन यह बिल लाने का जो उद्देश्य है, तीन उद्देश्य से मान्यवर, यह बिल लाया गया है, एक तो मुदालियर कमेटी की रिपोर्ट को कार्यान्वित करना, दूसरे उसे रेजीडेंशियल यूनिवर्सिटी बनाना और तीसरे उसकी सेलेक्शन कमेटी

[श्री बाल कृष्ण सिंह]

में एक विजिटर का नामिनी रखना । पहला उद्देश्य जो मुदालियर कमेटी का है उस उद्देश्य का मै घोर विरोध करता हूं और इसलिए विरोध करता हूं कि मुदालियर कमेटी ने बनारस यूनिवर्सिटी का एक काला इतिहास लिखा है । ईस्टर्न यू० पी० और बिहार के कुछ हिस्सों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली है कि वहां के लड़के इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और अनुशासन विहीन कार्य करते हैं । मैं आप का ध्यान मुदालियर कमेटी की रिपोर्ट के पेज 6—7 की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं । उस में लिखा है, उसका हिन्दी में अनुवाद में आप को सुना रहा हूं —

"पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों के जो लड़के बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आते हैं, वह बनारस के खर्च को बर्दाश्त नहीं कर सकते । फीस और बोर्डिंग हाउस की फीस नहीं दे सकते । अतः यूनिवर्सिटी के ऊपर फंड इकट्ठा करने के लिए दबाव पड़ता है । ऐसे लड़के अनुशासनहीनता लाने के लिए टूल्स के तौर पर इस्तेमाल किये जाते हैं ।"

पेज 10 पर है :

"विश्वविद्यालय का उचित संचालन न होने का उत्तरदायित्व टीचर पोलिटिशियंस और उस ग्रुप पर है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का है ।"

पेज 10 पर ही फिर लिखा है :

"उत्तर प्रदेश के लड़कों का यह विश्वास है कि बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी सेंटर की है और गरीबों की यूनिवर्सिटी है, अतः कुछ ईस्टर्न यू० पी० के लड़के अपना अधिकार समझते हैं, इस कारण से लड़कों की संख्या अधिक होती है ।"

इस संबंध में मेरा निवेदन यह है कि अगर यह उद्देश्य है बिल लाने का तो मैं निवेदन करूंगा सरकार से, वह यह बताये कि क्या बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी गरीबों की यूनिवर्सिटी नहीं है ? यदि ईस्टर्न यू० पी० के लड़के बनारस यूनिवर्सिटी को अपनी यूनीवर्सिटी समझते हैं, तो क्या उनके इस विचार को नेशनलाइज कर लेना चाहते हैं । क्या लड़कों की फ़ीस बनारस यूनीवर्सिटी में ही माफ़ होती है, इण्डिया की दूसरी यूनीवर्सिटियों में माफ़ नहीं होती है ? यदि इण्डिया की दूसरी यूनीवर्सिटियों और कालेजों में भी माफ़ होती है, तो क्या वजह है कि बनारस हिन्दू यूनीवर्सिटी के सम्बन्ध में ही यह रिमार्क दिया गया है ?

14 hrs.

श्रीमन्, बनारस यूनीवर्सिटी के सम्बन्ध में जो एन्क्वायरी की गई है, उस कमेटी ने हमारे ईस्टर्न यू० पी० की गरीबी के साथ खिलवाड़ किया है । स्वतंत्रता के समय, ईस्टर्न यू० पी० ने, जो राजनीतिक आन्दोलन छिड़ा था, उस समय वहां के निवासियों ने बहुत बड़ी देशभक्ति का परिचय दिया था, इसी कारण अंग्रेजों ने हमारी उपेक्षा की थी और हम गरीब रहे,लेकिन उस में हमारा स्वाभिमान छिपा था । स्वतंत्रता के बाद हम समझते थे कि हमारी गरीबी दूर होगी, उस यूनीवर्सिटी में वहां के लड़कों को अधिक से अधिक सुविधा मिलेगी ताकि वे आगे पढ़कर स्वावलम्बी बन सकें । देश की समृद्धि के लिये देशवासियों का शिक्षित होना कितना आवश्यक है, इस पर बोलने की मुझे जरूरत नहीं है । मैं चाहूंगा कि इस बिल में उत्तर प्रदेश और बिहार के लड़कों को काफ़ी सुविधायें मिलनी चाहियें ।

हिन्दू शब्द के सम्बन्ध में, श्रीमन, मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि छागला साहब ने जिस समय राज्य सभा में यह बिल रखा था, उस समय कोई एजीटेशन नहीं हुआ, ज्वाइन्ट सिलेक्ट कमेटी से जब यह बिल आया, उस वक्त भी कोई एजीटेशन नहीं हुआ, लेकिन जब राज्य सभा ने नाम बदल दिया, उस समय एजीटेशन हुआ, इसका अर्थ यह है कि ज्वाइन्ट

सिलेक्ट कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी, वह ठीक थी और देश के निवासियों ने उस को स्वीकार किया था। इसलिये इस समय कोई काम ऐसा नहीं करना चाहिये, जिसको समाज आसानी से ग्रहण न करना चाहे।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जिस समय यह बिल इस हाउस में पेश हुआ था, मालवीय जी इस के मेम्बर थे, बनारस हिन्दू यूनीवर्सिटी सोसायटी के सेक्रेटरी श्री सुन्दरलाल जी भी यहां थे, मालवीय जी यदि ऐसा चाहते तो बनारस हिन्दू यूनीवर्सिटी बिल मूल रूप में यहां पर कैसे आता। मालवीय जी ने उस समय कहा था—

"I believe, my lord instruction in the truth of religions, whether it would be Hindu or Muslim, whether it be imparted to the students of Banaras Hindu University or of Aligarh Muslim University will tend to produce men who, if they are true to their religion, will be true to their god and their country and I look forward to the time when the students who will pass out of such universities will meet each other in a closer embrace as sons of the same motherland than they do at present."

फिर आगे उन्होंने कहा कि—

"There will be no disqualification on the ground of religion in the selection of professors. No restriction is placed upon students of any creed or any class coming to this University."

Mr. Chairman: He will conclude now.

श्री बाल कृष्ण सिंह : श्रीमन्, मैं चाहूंगा कि बनारस हिन्दू यूनीवर्सिटी का नाम परिवर्तन न किया जाय। इस नाम परिवर्तन से बनारस हिन्दू यूनीवर्सिटी का हृदय विदीर्ण हो जायेगा।

Mr. Chairman: How much time will the hon. Minister take to reply?

Shri M. C. Chagla: I will take a very short time—I would rather deal with the clauses—not more than 10 minutes.

Mr. Chairman: Shri Sumat Prasad.

श्री राधे लाल व्यास : सभापति महोदय, यह बात तो हमारी समझ में नहीं आती कि हम बार बार रिक्वेस्ट करें कि आपकी आंखें उस तरफ जानी चाहियें, जिस तरफ लोग खड़े हों।

Mr. Chairman: Will he take his seat?

Shri Radhelal Vyas: I will go out. There is no question of sitting here. I invite your attention to a rule and you ask me to take my seat. I raise a point of order and you ask me to take my seat.

यह तो कोई सवाल नहीं है। मैं कायदे की बात करता हूं तो आप इजाजत न दें। कायदे के अनुसार नहीं चलेगा तो एक मिनट नहीं चलने दूंगा।

सभापति महोदय : जल्दबाजी में कोई राय नहीं कहनी चाहिये। आप यह जानते हैं कि जो भी यहां बैठता है, वह अपनी जिम्मेदारी को समझता है और उसको समझकर बात करता है। इसलिये मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप चुप कर के बैठ जाइये और सुमत प्रसाद जी को बोलने दीजिये।

श्री सुमत प्रसाद (मुजफ्फरनगर) सभापति महोदय, शिक्षा इस समय चिन्ता का विषय हो गई है। अनुशासनहीनता की वजह से, जो कि मुल्क में दिखलाई पड़ रही है, सेंट्रल यूनीवर्सिटीज हैं, उन को इस समय आदर्श पेश करना चाहिये। किन्हीं कारणों से यह बिल यहां पर पेश किया गया है, लेकिन इस सम्बन्ध में लोगों की भावना का ख्याल भी रखना जरूरी है। जिन्हें भी सोशल

[श्री सुमत प्रसाद]

रिफार्म्ज हैं, वे टाइम के साथ साथ, जमाने के साथ साथ होते हैं ; अगर किसी सोशल रिफार्म के लिये वक्त मुनासिब न हो, तो वह सोशल रिफार्म कामयाब नहीं हो सकता ।

आज सवाल यह है कि शिक्षा की जितनी इंस्टीच्यूशन्ज हैं, उन में से बहुतों के नाम किसी न किसी सम्प्रदाय के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे—कान्यकुब्ज कालेज, वैश्य कालेज, कायस्थ कालेज, जाट कालेज, इस किस्म के नाम आपको इन संस्थाओं के मिलेंगे । यह परिपाटी अंग्रेजों के जमाने में चली थी, जिन्होंने अपनी मजबूती के लिये यहां के समाज के टुकड़े टुकड़े करना चाहा, हिन्दुस्तान के टुकड़े टुकड़े करना चाहा, ताकि उनकी हकूमत यहां पर मजबूत हो सके । लेकिन उसके साथ कुछ भावना बंध गई है, एक मुनासिब तरीके से, मुनासिब वक्त में इस काम को पूरा करना चाहिये । मुझे माननीय सिंहासन सिंह के सुझाव से पूरा इत्तिफाक है कि इसके लिये एक जुदा बिल लाना चाहिये, खाली हिन्दू यूनीवर्सिटी और मुसलिम यूनीवर्सिटी के लिये नहीं बल्कि देश में जितनी संस्थाओं के नाम के साथ किसी न किसी सम्प्रदाय का नाम जुड़ा है, उन सब पर वह बिल लागू होना चाहिये और उस में कहा जाय कि वह सरकारी मदद पाने के मुस्तहिक नहीं हैं । मजहब की शिक्षा देना और बात है, और उसके अन्दर साम्प्रदायिक भावना पैदा करना और उसको प्रोत्साहन करना, ये दोनों बातें भिन्न भिन्न हैं । मैं आपका ध्यान आर्टिकल 30 और 28 की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं—आर्टि० 30-

"All minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice."

Article 28:

"No religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of State funds".

अगर आप इन दोनों को मिलाकर पढ़ें तो उस में रिलीजस एजूकेशन कम्पलसरी नहीं कर सकते और हर एक माइनारिटीज को हक दिया है कि वे अपनी इंस्टीच्यूशन्ज खोल सकती हैं । इसलिये यह बात इस में शामिल हो गई है कि किसी न किसी सम्प्रदाय का नाम जोड़ कर इंस्टीच्यूशन को जारी रखा जा सकता है । इस वक्त मुनासिब यही है कि जिस तरह से चल रहा है, उसी तरह से चलने दिया जाय, न मुस्लिम यूनीवर्सिटी का नाम बदलने के लिये कोई बिल लाना चाहिये, न लाना चाहिये हिन्दू यूनीवर्सिटी के लिये । लेकिन एक ऐसा बिल, जैसा मैंने ऊपर जिक्र किया है, इलैक्शन के बाद लाना चाहिये, जो इस समस्या को हल कर सके तथा उन सभी इंस्टीच्यूशन्ज के लिये, जिन के नाम के साथ किसी न किसी सम्प्रदाय का नाम जुड़ा हुआ है, प्रतिबन्ध लगाया जाय, ताकि उस को स्टेट की मदद न मिल सके यह एक ऐसा कदम होगा कि जिसके जरिये, बिना इस बात को कहे कि इंस्टीच्यूशन का नाम तबदील करो, हर इंस्टीच्यूशन अपना नाम तबदील कर लेगी क्योंकि इस बिल के आने से किसी रिलीजन या धर्म को, कम्यूनल भावना को प्रोत्साहन नहीं मिलता ।

इसलिये मैं समझता हूं कि आज कल के समय के उपयुक्त यह होगा कि इस बिल के जरिये से बनारस हिन्दू यूनीवर्सिटी का नाम तब्दील कर के उस का नाम मदन मोहन मालवीय काशी विश्वविद्यालय न रखा जाये जैसा कि राज्य सभा ने पास किया है । बल्कि उस का नाम बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी ही रखा जाये, तावक्ते कि दूसरे बिल के जरिये से इस तमाम मामले को हल न कर दिया जाये ।

Mr. Chairman: Shri Chatterjee.

Shri Radhelal Vyas: I walk out. I stood up three times, I was not given a chance. Only those who are sitting are given a chance. Therefore, I walk out.

(Shri Radhelal Vyas then left the House.)

Mr. Chairman: At least he should know that Members from one party alone cannot speak one after another. The opposition also have to take part in the debate. This should go into the record please.

Shri N. C. Chatterjee (Burdwan): I shall be very brief.

There are so many problems that the country is facing, much more serious than changing the name of a university. I only want to point out that there is no question of communalism in maintaining the name of the university. As a matter of fact, it will be entirely wrong to say that it is a communal university or that it is imparting mere religious instruction which is taboo or discouraged by our Constitution. If you look at this Bill, there is Clause 7 which is very important, which should be studied by every one interested in this. We are amending section 4A, and we are saying there shall be substitution of the following clause:

> "(2) to promote the study of religion, literature, history, science and art . . ."

What kind of religion, history, science and literature?

> " . . . of Vedic, Hindu, Buddhist, Jain, Islamic, Sikh, Christian, Zoroastrian and other civilisations and cultures;"

With this fundamental theme and objective, it would not be right to say that there is any attempt, even if the old name is retained, to make it a communal or a sectarian university.

Standing at the great Congress of Religions in Chicago, the great Swami Vivekananda said this: "Hinduism has got one thing that every Hindu and every Indian at least should know, that it does not believe in the finality of Divine Revelation. It is one religion which gives us full liberty to accord the same respect to the prophets of other religions as we accord to the prophets of our own religion."

The only thing is, as Mahatma Gandhi used to say, we cannot accept that either Islam or Christianity was the unique or final revelation, because we believe that God in His infinite mercy reveals Himself to humanity, and therefore, expands always, adds to human culture and civilisation and also adds to the sum total of human knowledge.

We have been preaching throughout the ages that we do not believe in exclusiveness for our own religion, and we have also been preaching, as the great Vivekananda said: do not talk of religious toleration, because toleration implies certain arrogance. Therefore, he pleads that Hinduism has taught universal tolerance which means universal acceptance. That is the creed of Hinduism.

I cannot understand why "Hindu" is anathema to the Hindus, this allergy on the part of Hindus to the name "Hindu". At least this name was adopted when Pandit Madan Mohan Malaviya started this great organisation. This is a great monument to his ability, industry, patriotism and devotion to our culture.

I come from Bengal and Calcutta, and you know that in Indian history the greatest revolutionaries, the greatest votaries of secularism, the greatest social thinkers have all been the products of the Hindu College, Calcutta. Therefore, there is nothing in a name; it is only a question of what kind of teaching you impart.

Secondly, the university had gone down and fallen on evil days. I had the privilege to appear for the Banaras Hindu University Professors before the Supreme Court and I know what was happening. I hope this Bill will put up a mechanism which will

[Shri N. C. Chatterjee]

really enable the university to function as a seat of learning and that all undesirable predilections and influences would be eliminated from the seat of that culture. That is very desirable.

I was amazed to find that the University professors were not given the ordinary facilities, the ordinary right, the fundamental right not to be discriminated against. There was discrimination at the behest of somebody from the Secretariat or from the Government. I hope that will be eliminated.

If the great centres of learning like Banaras, Aligarh and Viswa Bharati, are really placed on a pedestal of their own and cater to the real aspirations of the people, there will be justification for continuing the Central universities under governmental patronage. Otherwise, there will be great disappointment throughout the country.

The student unrest should be studied in its proper perspective. There is student unrest not only in Banaras, but everywhere in the country. I am hoping that this Lok Sabha, which is the accredited representative of the nation, will not change the name simply out of trepidation or out of unnecessary comment or unnecessary criticism levelled at it, but will take a realistic view of things and maintain the old institution with its old name, and put its house in order, so as to make it an efficient and proper organisation which will not merely secure proper learning, but will be a monument and a real, abiding homage to one of India's greatest leaders.

Mr. Chairman: Mr. Bakar Ali Mirza.

Shri Bakar Ali Mirza: How much time?

Mr. Chairman: Five minutes.

Shri Bakar Ali Mirza: That will be too little.

Mr. Chairman: Let him not waste time.

Shri Bakar Ali Mirza: Mr. Raghunath Singh showed old bricks and things like that to prove that the name of the university should not be changed.

The university has got certain functions. The structure of the university, Vice-Chancellor, faculties and all that, that is really the important thing. Nobody minds if that is changed while the name remains the same.

I am glad that my very learned friend here quoted Clause 7 about religious instruction regarding Vedic, Hindu, Bhuddhist, Islamic, Christian and all that, but in the original Act it was not there; it only mentioned the study of Hinduism, Vedic, Buddhism, Jainism and so on, one group of religions only was in that. This fundamental change has been brought about in the structure of this Banaras Hindu University Act of 1915. That seems to escape notice, while the name is supposed to be so important.

I welcome this change. In fact, on the previous occasion I had sent an amendment of this nature to the Parliament Secretariat. Therefore, we have to take things rather calmly because emotions are aroused, and we are a responsible body which has to consider these things very seriously.

These universities of Aligarh and Banaras have a very favoured place. They have command of funds, they have the whole of India to recruit from and all the advantages. But at the same time, take the history of all the universities in India. These are the two universities where conditions have been the worst, and there have been ordinances, there has been suspension of routine constitutional practices and all that. The Delhi University is also a Central University. Why this difference in behaviour of Aligarh and Banaras from the other universities of India? There are quite

a number of universities, younger and older than Aligarh and Banaras. What is the characteristic of these two universities? One is that they are residential universities. I hope nobody could say that this particular characteristic of the university is influencing adversely the functioning of the university. The other is the communal label. I believe that the word Hindu and Indians means a lot because after all the Hindu religion is different from the semetic religions; it has a cosmopolitan approach and it preaches that there are different ways to reach salvation. Banaras Hindu University is English translation of Kashi Vishwa Vidyalaya. If that was Kashi Hindu Vidyalaya I could have no objection but this is a translation and in that translation they want to bring in an amendment. The real meaning of the word is Indian. Therefore, I would beg of this House to consider this matter very seriously because what happens is that if we identify ourselves with a particular community or institution and if that institution for some reason is hurt in a way, we feel hurt.

Mr. Chairman: He may conclude now and speak on clauses. I have no time.

Shri Bakar Ali Mirza: All right.

Shri Muthiah (Tirunelveli): Mr. Chairman, The Banaras University Act was first passed in 1915 and the university came into being in that year. The present Bill is intended to make certain changes in the Act in the context of the country's present needs. The Bill has been passed by the Rajya Sabha. The adoption of the new name for the university and the dropping of the word 'Hindu' from the name of the University by the Rajya Sabha has unfortunately led to a commotion among the students of the University and among certain sections of the Hindus. The students have resorted to strikes and demonstrations in the university campus because of this change. The proposal to drop the word 'Hindu' from the name of the Banaras University and to drop the word 'Muslim' from the name of the Aligarh University has been before the country and before the House for some months. Our country according to our Constitution is a secular State and we are wedded to secularism. Secularism is a precious heritage which we have inherited and we have to preserve and cherish it. According to Shri Gajendragadkar the ex-Chief Justice of India, secularism is a unique gift which India has given to the world. But the question we have to consider now is whether this is the appropriate time for dropping the word 'Hindu' and changing the name of the University. There is violence in the country everywhere and student unrest is at its height now. The change of the name may add to the existing violence, strikes and demonstrations. We are so near the general elections and it is unwise to create unnecessary controversies and provocations. Statesmanship requires that the name 'Banaras Hindu University' should be retained as it is, and the words 'Hindu' and 'Muslim' can be dropped from the names of the two universities, when times are quite favourable.

Mr. Chairman: You can speak on the clauses. You may conclude now.

Shri Muthiah: I now come to the Bill. The Bill contains certain amendments to the original Act. For clause 2 of section 4A of the original Act, a new clause is substituted, which reads: "to promote the study of religion, literature, history, science, and art of Vedic, Hindu, Buddhist, Jain, Islamic, Sikh, Christian, Zorastrian and other civilizations and cultures. The original clause 2 of Section 4A reads was "to promote oriental studies, and in particular, Vedic, Hindu, Buddhist and Jain studies and to give instruction on Hindu religion and to impart moral and physical training." The original clause has not mentioned Islamic, Christian, Sikh and Zoroastrian cultures.

[Shri Muthian]

By a new section which replaces the original section, section 6, the posts of Pro-chancellor and pro-vice-chancellor are abolished since these posts are merely titular without any responsibility. The new section 7 provides for the appointment of the vice-chancellor, whose term of office is fixed at five years and whose re-appointment is ruled out. This rule should not be rigid. Exceptional circumstances may justify relaxation of the rule. There may be a vice-chancellor of exceptional ability and his reappointment will do immense good to the university. So, the maximum term may be fixed at ten years. A new provision, clause (5) of section 7 provides for steps to deal with emergencies. It is a welcome provision. It empowers the vice-chancellor to take such action as he deemes necessary, if in his opinion, any emergency has arisen which requires immediate action. In section 15 of the principal Act, an important sub-section has been inserted, which empowers the university to found and maintain special centres and laboratories anywhere in India for research in humanities, science and technology, medicine and other professional subjects. Statute 31 provides for the removal of teachers for misconduct. The vice-chancellor may suspend a teacher for misconduct and report the matter to the executive council which may confirm his order or revoke it. The executive council is empowered to remove a teacher for misconduct irrespective of the terms of his contract of service. The Bill provides for student discipline and student welfare.

Mr. Chairman: He may conclude now and reserve the rest for the discussion on clauses. Shri Mahida.

Shri Narendra Singh Mahida (Anand): Mr. Chairman, I had been to Banaras last year especially to see whether the mark "Kashi Viswa Vidyalaya" was there in the foundation-stone, and I found the foundation-stone as stated by Mr. Raghunath Singh. There is no mention of Banaras Hindu University; the foundation-stone laid in the presence of the Viceroy mentions Kashi Viswa Vidyalaya.

Shri Raghunath Singh: What was in English just below that? It was Banaras Hindu University.

Mr. Chairman: No contradictions.

Shri Raghunath Singh: It is not a contradiction. He is supporting me.

Shri Narendra Singh Mahida: I wish to draw attention to the minutes of dissent to the report of the Joint Committee. Sarvashri Kumaran, Sinhasan Singh and Narotham Reddy say: "We recognise that historically speaking so much sentiment is attached to it." It is a matter of sentiment and if denied we may retain or remove the word 'Hindu' or 'Muslim'. But I am surprised that we were making so many changes in names lightly. The Britishers had left certain traditions and there is nothing wrong in the names of railway stations being changed, for instances, from Muttra to Mathura, from Banaras to Varanasi. So many names are in process of change. I do not see why there should be so much objection to this change. After all Hinduism stands for secularism; it has never stood for narrow parochialism and such a day will never come when Hindus will become narrow-minded. That is why we feel that the new Change of names should be adopted. It is surprising that the Chairman of the Joint Committee himself has given a note of dissent; Mr. Wadia refers to the post of registrar and says "an amendment relating to the Registrar came to be accepted by a very narrow majority." So many people to abolish the post of Registrar. I am surprised that the name pro-vice-chancellor

had been dropped. In his minute of dissent Mr. P. N. Sapru very rightly says: "In the first place I regret that we have decided to abolish the high office of Pro-chancellor. The Pro-chancellor was elected by the court but had no administrative or executive functions to perform. It was a dignified position which was held in the past generally by His Highness the Maharaja of Banaras who and whose ancestors have contributed largely to the funds of the University and given it the land on which it is situate." I am afraid at this rate a time may come when we may drop even this name, of Madan Mohan Malaviya. These are trends which I do not like. We should perpetuate the names of those who contributed to the growth of the university. Let this be the last change and let there be no more changes. With these words I support the Bill.

Shri M. C. Chagla: Sir, I would be extremely brief and if necessary I would rather intervene in the clause-by-clause discussion. I have gone through the main points made, in the debate which was held last time and which was resumed today. I find that the main controversy has turned on the question of the name. May I refer to what I said in the Rajya Sabha and I adhere to every word of what I said then:

> "There is one remark made by my hon. friend Mr. Mani and that is about the Banaras Hindu University and the Aligarh Muslim University. Mr. Mani knows well enough and he will accept what I say that I am the last man in the world who would like to have any communal institutions in India. If I had my way, I would do away with all of them because I have always taken the view that the way to solve the communal problems is to get all the individuals to join the national stream."
>
> "The Banaras Hindu University and the Aligarh Muslim University are historical institutions just as we still have the portraits of the Viceroys in the Rashtrapati Bhavan, as the late Prime Minister said, merely to mark the march of history. So, these institutions bear these names in order to show what the educational policy of the British Government was. But I assure Mr. Mani that we look upon both these institutions as Central universities, all-India institutions, and not as communal institutions, either Hindu or Muslim."

Then, Mr. Akbar Ali Khan intervened and said: "with your permission would the hon. Minister ensure that for each of these universities, at least 30 per cent came from the other community, in the staff as well as students?" My answer was:

> "I am most anxious to do that. I can readily change the name. I can introduce the Bill, but it would raise unnecessary controversy. What matters is not the name of an institution, but what happens in the institution. I agree with my hon. friend there that in order to make these institutions really national, Indian, Central, we should have more intermingling of the different communities. We should not look upon the Banaras Hindu University as a Hindu institution nor the Aligarh Muslim University as a Muslim university. They are national institutions; they are Indian institutions; they are Central institutions."

Sir, I adhere to every word that I said.

Again, in the Rajya Sabha, on the 25th November, 1964, this is what I said:

> "If the House wants it, if the majority of the House wants the names to be changed, I am for it. But what I want is that the institution should be national; name does not matter."

[Shri M. C. Chagla]

Therefore, I leave it entirely to this House to decide whether the name should be changed or not. But I want to assure this House—of course, I am no longer Education Minister but I am a member of the Government—that whatever the names of the institutions, we look upon both these institutions as national universities, as Indian universities, as Central universities. We are giving about a crore of rupees to each of these institutions, and we want these institutions to be great—

Shri Sheo Narain (Banai): In the Joint Committee, 39 Members were of one opinion and only six were against that opinion. The Rajya Sabha has changed it.

Shri M. C. Chagla: Which opinion?

Shri Sheo Narain: In the Joint Committee.

Shri M. C. Chagla: It was a very narrow majority. (*Interruption*).

Shri Sinhasan Singh: May I know whether the Minister has any thinking about bringing in a Bill about it?

Shri M. C. Chagla: I think that is a very good suggestion made by two hon. Members. We might certainly consider it, whether we should have a Bill which should deal comprehensively with the question of educational institutions having communal names rather than deal with it piecemeal. That is a matter which should certainly be considered.

The other question which was discussed was the removal of the Vice-Chancellor and the Registrar. When the Bill was introduced, we have had Mr. Bhagawati as Vice-Chancellor, whose term of office was coming to an end and so we said that he should go out when the new Vice-Chancellor was elected. We have appointed a new Vice-Chancellor, and may I say, Banaras University, is fortunate in having a Vice-Chancellor of his academic distinction, of his integrity, and the manner in which he dealt with things—he knows how to handle the student population.

Shri Narendra Singh Mahida: But there is no provision to continue such an eminent Vice-Chancellor.

Shri M. C. Chagla: I am coming to that. Dr. Sen was the Vice-Chancellor of Jadavpur University; he made a great success of that university; he has great qualities; he has tackled with understanding the student problem; he is always accessible to students. Therefore, I have given notice of an official amendment which I hope the House will support: that as far as he is concerned, he may continue for a full term of office, namely, six years.

Shri Priya Gupta (Katihar): Will the Committee members continue for nine years?

Shri M. C. Chagla: They will all go out; all the bodies will go out; as soon as the Bill becomes an Act, we will have new bodies appointed—the executive council, court—(*Interruption*).

Shri Priya Gupta: By the same process, the same people will be coming.

Shri M. C. Chagla: That would depend upon the election. I cannot tell my hon. friend who will be elected, but we have a machinery laid down in the Bill as to how they would be appointed.

Shri Priya Gupta: Can you look into the machinery as to how a man is selected and how one may continue for nine years?

Mr. Chairman: The hon. Member can point out those things when we take up clause-by-clause consideration.

Shri M. C. Chagla: I can answer it now, why they were continuing for eight years or so. When the ordi-

nance was passed, the executive committee was nominated and no term of office was fixed. Until today, the Banaras Hindu University has been functioning under this abnormal legislation. It is now that we have brought this Central legislation. That executive council will go. I hope the hon. Member will be satisfied.

Shri Priya Gupta: Thank you.

Shri M. C. Chagla: My hon. friend has used some strong language about the Registrar. We have a new Vice-Chancellor. He has ample powers to take action if he thinks that the Registrar is not a good officer. But we cannot remove him by a legislative fiat. That would not be fair. I said that in the Rajya Sabha, and I repeat that here.

Shri Narendra Singh Mahida: Supposing the present incumbent is very clever, do we have a provision for continuing him after a period of five years?

Shri M. C. Chagla: No. I will tell you why. I think vested interests are created; it is not right that a Vice-Chancellor should continue for more than five years. We have many eminent people in India; we can get a Vice-Chancellor from another university. Groups are formed; vested interests are created and I think it is a good thing that a Vice-Chancellor should not continue for more than five years.

Then, the next thing that was pointed out was about the student union. We have introduced a clause. I need not say anything more on it now; I will speak on it when the amendment is moved.

Then the question was about affiliating colleges. This has gone through various phases. If you look at the preamble, Madan Mohan Malaviya wanted this university to be a residential university. It was his idea. But new colleges sprang up and the question was whether Banaras University should become an affiliating university. My own view was that it should keep its main characteristics as far as possible: that it should be a residential university. So, a compromise was arrived at in the Rajya Sabha,—there are some amendments here—to the effect that whatever colleges existed they may be affiliated, provided they satisfied the conditions of affiliation, but no new college will be affiliated to the Banaras Hindu University. Otherwise, you will make the Banaras Hindu University like any affiliating university. For Heaven's sake, do not change the main characteristics of the Banaras Hindu University which is that it is a residential university.

I would not take up any more time. If necessary, I will say what I have to say during the discussion of the clauses.

Mr. Chairman: The question is:

"That the Bill further to amend the Banaras Hindu University Act, 1915, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

Mr. Chairman: We now take up clause-by-clause consideration. There are a number of amendments tabled. Let us first take the amendments to clause 2.

Clause 2—(*Definitions*).

Shri Bal Krishna Singh: I beg to move:

(i) Page 2, "*omit* lines 4 to 9." (1)

(ii) Page 2, "*omit* lines 10 to 12." (2)

सभापति महोदय : आपकी अमेण्डमेन्ट उसी नेचर की है, जो बालकृष्ण जी की है ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैंने पहले ही अमेण्डमेन्ट दी थी, चूंकि वह लैप्स हो गई, थी, पहले सेशन में दी थी, इसलिये सभी को मैंने आज फिर रिपीट कर दिया है ।

सभापति महोदय : आपने जो आज जो अमेण्डमेन्ट दी है, वह बालकृष्ण जी की अमेण्डमेन्ट के आइडेन्टिकल है ।

श्री रघुनाथ सिंह : तो उस में हमारा नाम भी छपा होना चाहिये ।

सभापति महोदय : लेकिन वह तो टाइम-बार्ड हो गई है । आप जो अमेण्डमेन्ट मूव करना चाहते हैं, वह विद इन टाइम नहीं आया है, इसलिये टाइम बार्ड हो गया है । लेकिन जहां तक आपके मफ़हूम का ताल्लुक है, उस के लिये आपको बोलने का मौका मिलेगा ।

Shri Bakar Ali Mirza: I gave one amendment which lapsed. Then I have given another amendment No. 87. I move it.

श्री रघुनाथ सिंह : जैसे हमारा लैप्स हो गया, उसी तरह से आपका भी लैप्स हो गया ।

Mr. Chairman: Your amendments are barred because they are identical with the amendments which have already been moved.

श्री रघुनाथ सिंह : हम को भी इजाजत दीजिये । इनका लैप्स हो गया, इनको आपने इजाजत दी है ।

सभापति महोदय : आपकी अमेण्डमेन्ट इस लिये एक्सेप्ट नहीं करता हूं क्योंकि वह बालकृष्ण जी की अमेन्डमेन्ट की तरह की है और वह मूव हो चुकी है ।

श्री रघुनाथ सिंह : लेकिन एक ही अमेण्ड-मेन्ट को तीन आदमी भी मूव कर सकते हैं ।

Shri Vishwa Nath Pandey (Salempur): I move my amendments Nos. 29, 30 and 31.

Mr. Chairman: Amendment 31 is the same as No. 2 which has been already moved. He may move amendments Nos. 29 and 30.

Shri Vishwa Nath Pandey: I beg to move:

(i) Page 2, line 7, for "rename" substitute "name" (29).

(ii) Page 2, line 8 and 9 and wherever they occur in the Bill,—for "Madan Mohan Malaviya Kashi Vishwavidyalaya" substitute "Banaras Hindu Universtty." (30).

Mr. Chairman: Amendment No. 59 by Shri Muthiah is the same as amendment No. 30 which has already been moved. Amendments Nos. 57, 58 and 60 in the name of Shri Hari Vishnu Kamath are not moved; he is not here.

Shri Bakar Ali Mirza: I beg to move:

Page 2, lines 8 and 9 and wherever they occur in the Bill,—for "Madan Mohan Malaviya" substitute "Banaras University". (87).

Mr. Chairman: The amendments which have been moved are 1, 2, 29, 30 and 87. Amendment No. 31 is the same as No. 2 and amendment No. 59 is the same as No. 30. Clause 2 and these amendments are before the House.

Shri Priya Gupta: I want to know the time allotted for the clause by clause consideration, because there are some other items on the agenda on which I want to speak. I want to know whether I should wait.

Mr. Chairman: I cannot tell the exact time for clause by clause consideration. It will depend upon the discussion as it proceeds.

Shri Bakar Ali Mirza: This is a very important clause and more time should be given for this clause.

Mr. Chairman: Let us see as the discussion proceeds. Mr. Raghunath Singh.

Shri Gauri Shankar Kakkar: On a point of order, Sir. You have called upon Mr. Raghu Nath Singh to speak

on his amendments. You have not said "Clause 2 stand part of the Bill". Unless that motion is moved, how can you call upon Mr. Raghunath Singh to speak?

Mr. Chairman: I have already said that clause 2 and the amendments are before the House.

Shri M. C. Chagla: The main controversy is whethter the House wants to retain the original name of the university or wants to change it. Most of the amendments deal with that. So, if a vote is taken on that, the position will be clarified. I am not trying to shut out discussion, but I am just putting it before you for your consideration. You can take one or two amendments which bring out the main issue whether the name should be Banaras Hindu University or it should be what the Rajya Sabha has adopted or it should be Kashi Vishwavidyalaya. The rest are consequential.

Mr. Chairman: Let us hear the hon. members who have moved amendments. Then we shall see.

श्री रघुनाथ सिंह : सभापति महोदय, मैंने हिन्दू यूनीवर्सिटी के नाम के विषय में जहां अपना भाषण समाप्त किया है, वहीं से आरम्भ करना चाहता हूं। मैं ने कहा था कि इस विश्वविद्यालय के शिलान्यास वाले पत्थर के नीचे एक ताम्रपत्र रखा गया है उस में दिखलाया गया है कि धर्म हमारा सनातन है,

"धर्मं सनातनं वीक्ष्य काल वेगेन
पीड़ितम ।"

इसलिए आप देखेंगे कि हिन्दू यूनीवर्सिटी को जिन लोगों ने स्थापित किया था, उन्होंने व्यापक धर्म का अर्थ लिया था। धर्म सनातन है लेकिन हिन्दू शब्द व्यापक शब्द, हिन्दू शब्द जातिवाचक शब्द है।

मैं इस के सम्बन्ध में कुछ हिस्ट्री बताना चाहता हूं। सब से पहले सन 1904 में बर्नार काशीराज श्री प्रभूनारायण सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। उस में यह निश्चय किया गया। एक समिति बनाई जाय। हिन्दू यूनीवर्सिटी की स्थापना की जाय। जुलाई, सन 1905 में उस समिति की एक रिपोर्ट प्रकाशित की। गई अक्तूबर, सन 1905 में वह रिपोर्ट हिन्दुस्तान के जितने नेता थे, चाहे वे हिन्दू थे, मुसलमान थे, सब के पास भेजी गई। उसमें हिन्दू विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना थी, उस में जिज्ञासा की गयी थी। उनका विचार पूछा गया था। उस ने 31 दिसम्बर, 1905 को अपनी रिपोर्ट दी। उस के पश्चात् सन 1906 में एक सनातन धर्म महासम्मेलन इलाहाबाद में हुआ। जगतगुरु शंकराचार्य उसके सभापति थे। उन्होंने कहा भारतीय विश्वविद्यालय की परिकल्पना की जाय। क्योंकि हिन्दू विश्वविद्यालय का हिन्दू शब्द भारतीय के अर्थ में समझा जाता था, इसलिये उन्होंने इसका नाम भारतीय विश्वविद्यालय रखने का सुझाव दिया।

12 मार्च, सन 1906 को इस सभा की कार्यवाही तथा प्रस्तावित हिन्दू यूनीवर्सिटी की ड्राफ्ट स्कीम प्रकाशित की गई —जिस में कहा गया —

The Society shall be called the Hindu University, Kashi.

सोसायटी आफ़ हिन्दू यूनिवर्सिटी आफ़ बनारस, यह सोसायटी का नाम था। जो इसकी आधारशिला है।

उसके पश्चात एक मेमोरेण्डम श्रीमती एनीबेसेन्ट ने सन 1907 में बनाया। उनका मत था कि इसको यूनीवर्सिटी आफ़ इण्डिया कहा जाय। शंकराचार्य जी ने कहा कि भारतीय विश्वविद्यालय बने, मालवीय जी की राय थी कि हिन्दू यूनीवर्सिटी बने।

श्रीमती एनीबेसेन्ट ने, जिन्होंने बनारस में हिन्दू स्कूल तथा सेंट्रल हिन्दु कालेज की स्थापना की थी, 1907 में एक कमेटी बनाई, उसमें उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी आफ़ इण्डिया नाम होना चाहिये, अर्थात

[श्री रघुनाथ सिंह]

हिन्दू शब्द को इण्डिया के साथ एक प्रकार से समानार्थक बना दिया था। क्योंकि हिन्दू शब्द एक जातिवाचक शब्द माना जाता रहा है। इस तरह तीन समितियां बन गई। तीनों समितियों के लोग स्वर्गीय सर रामेश्वर सिंह, दरभंगा के राजा की अध्यक्षता में एकत्रित हुए। इन तीनों समितियों के लोगों ने तय किया। एक नाम निश्चित करना चाहिये। 'हिन्दू यूनीवर्सिटी' या 'भारतीय विश्वविद्यालय' या दी यूनीवर्सिटी आफ इण्डिया के बजाय 'बनारस हिन्दू यूनीवर्सिटी' इ० के नाम से विश्व-विद्यालय स्थापित करने का निश्चय किया गया।

अप्रैल, सन 1911 में श्रीमती एनीबेसेन्ट और मालवीय जी इलाहाबाद में मिले। उन्होंने यह तय किया। हिन्दू यूनीवर्सिटी सोसायटी स्थापित की जाय। इसका शिष्ट मण्डल सारे हिन्दुस्तान में घूमे। यह शिष्ट मण्डल सारे हिन्दुस्तान में घूमा। इसी प्रकार 12 अक्तूबर, सन् 1911 को इन तीनों समितियों की जो एक कमेटी बनी थी, उसने एक पत्र के द्वारा अपनी रिपोर्ट सर बटलर को, जो उस समय केन्द्रीय एजूकेशन के मेम्बर थे, दी। उस के आधार पर सर बटलर ने सरकारी मन्तव्य सूचित किया वह इस प्रकार से है —

'The Government will be prepared to support the idea of a Hindu University.'

इस में एजूकेशन मेम्बर ने कहा था—सरकार इसका स्वागत करेगी कि हिन्दू यूनीवर्सिटी की स्थापना की जाय।

22 अक्तूबर, सन 1911 को दरभंगा नरेश, श्रीमती एनीबेसेन्ट और मालवीय जी फिर मिले। उस में यह तय हुआ कि विश्वविद्यालय का नाम हिन्दू यूनीवर्सिटी होगा। इस प्रकार अन्य तीनों समितियां मिल गई। चाहे उन के आइडियाज जो भी हों लेकिन यह तय हो गया कि हिन्दू यूनीवर्सिटी सोसायटी और हिन्दू यूनीवर्सिटी के नाम से बिल वहां पर पेश किया जायेगा।

दरभंगा कैसल, इलाहाबाद की मीटिंग में यह तय हुआ कि विवादों को हटा कर हिन्दू विश्वविद्यालय नाम रखा जाय। हिन्दू विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में एक शिष्ट मंडल दिल्ली आया।

4 दिसम्बर, सन 1911 को दिल्ली के टाउन हाल में एक मीटिंग हुई। उस में यह तय किया गया कि हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय। पहली जनवरी, 1912 को सोसायटी का कार्यालय नियमित रूप से प्रयाग में खोल दिया गया।

यह इसकी हिस्ट्री है। सन 1912 में हिन्दू यूनीवर्सिटी सोसायटी, प्रयाग में, दिल्ली के टाउन हाल की मीटिंग के निश्चय के अनुसार, खोल दी गई। उस के पश्चात् दरभंगा के राजा ने 28 अप्रैल, 1913 को एक स्मरण पत्र शिक्षा सदस्य श्री बटलर के पास भेजा। श्री बटलर ने 2 जून, 1913 को उस पत्र का उत्तर भेजा, उसे में यह तय किया गया—

"हिन्दू विश्वविद्यालय के लिये उपयुक्त स्थान निश्चित किया जाये।" गवर्नमेंट ने इस बात को ऐग्री किया कि हिन्दू विश्वविद्यालय अथवा हिन्दू यूनीवर्सिटी के लिये कोई स्थान निश्चित किया जाये। 7 दिसम्बर, 1913 को हिन्दू यूनीवर्सिटी सोसायटी की एक बैठक प्रयाग में सर राय बहादुर जी० एम० चक्रवर्ती की अध्यक्षता म हुई। उसे में 9 सदस्य उपस्थित थे। उस बैठक में यह पुनः निश्चय दुहराया गया कि हिन्दु यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाये।

इस प्रकार बात चलती रही। 22 मार्च, 1922 को सर हारकोर्ट बटलर ने इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल में हिन्दू यूनिवर्सिटी विधेयक विचारार्थ प्रस्तुत किया। हिन्दू यूनिवर्सिटी विधेयक इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल में पेश किया गया। वह एक प्राइवेट मेम्बर बिल के रूप में था। सरकारी बिल नहीं था। लेकिन प्राइवेट मेम्बर बिल होते हुए भी सर हारकोर्ट बटलर ने उस को एक आवश्यक उपयोगी बिल मान कर प्रस्तुत किया था। जब वह प्रस्तुत हुआ तो गवर्नमेंट ने निश्चय किया कि संस्था का नाम हिन्दू विश्वविद्यालय या हिन्दू यूनीवर्सिटी होगा। इस प्रकार सर हारकोर्ट बटलर, केन्द्रीय शिक्षा सदस्य, ने बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी बिल इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल में उपस्थित किया। 22 मार्च, 1915 को जो बिल उपस्थित किया गया था उसे प्राइवेट मेम्बर्स बिल होते हुए भी ज्वायेंट सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया। ज्वायेंट कमेटी की रिपोर्ट आई। उस ज्वायेंट सेलेक्ट कमेटी में सारे हिन्दुस्तान के सभी बड़े नेता लोग थे। उस में हिन्दू भी थे, मुसलमान भी थे, ईसाई भी थे। सब लोगों ने मिल कर यह तय किया कि नाम हिन्दू यूनिवर्सिटी रहेगा।

ज्वायेंट कमेटी के मुस्लिम सदस्य श्री गजनवी ने हिन्दू शब्द पर आपत्ति किया। उनका मत था कि हिन्दू शब्द अगर रखा जायेगा तो वह साम्प्रदायिकता का द्योतक होगा। उन्होंने कहा था :

> "न तो हिन्दू यूनिवर्सिटी और न मुसलिम यूनिवर्सिटी से जनता को किसी प्रकार का वास्तविक लाभ हो सकेगा।"

श्री गजनवी ने कहा कि मुसलिम यूनिवर्सिटी या हिन्दू यूनिवर्सिटी से जनता का कोई लाभ नहीं होगा। साम्प्रदायिक नाम देने के बदले उस का नाम सेकुलर होना चाहिए। यह बात नहीं है कि आज ही हम लोग इस बात को सोच रहे हैं। उस वक्त भी लोगों ने इस बात को सोचा था। लेकिन माननीय श्री दास ने, जो उस वक्त मेम्बर थे, कहा कि गजनवी साहब ने जो सन्देह व्यक्त किया है, वह उचित नहीं है। हिन्दू यूनिवर्सिटी नेशनल यूनिवर्सिटी होगी। उस का द्वार सब के लिए उन्मुक्त होगा। सर फजलभाई करीमभाई को श्री चागला जानते होंगे। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि :

> "यह विधेयक हिन्दू मित्रों के लोकोपकारक परिश्रम की सफलता का परिचायक है। मुझे प्रसन्नता है कि हिन्दू विश्वविद्यालय के विचार को मूर्त रूप प्राप्त हुआ है। हिन्दू विश्वविद्यालय देश में अपने ढंग का एक अभिनव प्रयोग होगा।"

उस समय सर फजलभाई ने बड़े अच्छे शब्दों में कहा था कि हिन्दू शब्द कोई साम्प्रदायिक शब्द नहीं है।

अन्त में जब विधेयक पेश किया गया तब देखिये क्या हुआ। पहली अक्तूबर, 1915 को बटलर ने ज्वायेंट सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट को लेजिस्लेटिव कौंसिल में पेश किया और कहा कि :

> "अनेक लोगों ने विचार प्रकट किया कि हिन्दू शब्द की परिभाषा विधेयक में रखना आवश्यक है। किन्तु अभी तक हिन्दू शब्द की कोई सर्वसम्मत परिभाषा उपलब्ध नहीं है। प्रवर समिति ने इस की आवश्यकता भी नहीं समझी

[श्री रघुनाथ सिंह]

कि उस की परिभाषा करने का प्रयास किया जाये। हिन्दू शब्द की परिभाषा करने का भार यनिवर्सिटी के योग्य अधिकारियों पर छोड़ देते हैं।"

हिन्दू शब्द की परिभाषा उस वक्त भी नहीं की गई। हिन्दू शब्द का अर्थ होता है, केवल हिन्दू धर्म मानने वाला। बल्कि यह यूनिवर्सिटी वालों पर छोड़ दिया गया कि वह जो चाहें इस की परिभाषा करें। इसी प्रकार विधेयक के ऊपर विचार करते हुए श्री विजयराघवाचार्य और श्री अली इमाम, इन दो सदस्यों ने कहा कि यह विधेयक हिन्दुस्तान के लिए लाभप्रद होगा। यह बिल्कुल नैशनल यूनिवर्सिटी होगी। इस की स्थापना होनी चहिए।

अन्त में लार्ड हार्डिंग ने कहा था कि :

"मुझे प्रसन्नता है कि हिन्दू विश्वविद्यालय विधेयक, जिस पर गत् चार वर्षों से बहस हो रही थी, आज वह देश का एक कानून बन गया है।"

इस प्रकार लार्ड हार्डिंग से लेकर सन् 1904 तक किसी के मन में यह भाव नहीं था कि हिन्दू शब्द साम्प्रदायिक शब्द है बल्कि हिन्दू शब्द जाति का बोध कराता था। श्री एन० सी० चटर्जी ने स्वामी विवेकानन्द का उल्लेख किया है। हिन्दू शब्द पर उन्होंने जो कुछ लिखा है वह मैं आपको बताता हूं :

"हिन्दू सम्प्रदाय का प्रतीक नहीं परन्तु उदार व्यापक शब्द है। हिन्दू शब्द के अन्तर्गत भारत की समस्त संस्कृति, सभ्यता, मानव विकास, इतिहास एवं भारतीय विचारों के साथ-साथ विविध भारतीय पंथों और मत मतान्तरों का समावेश हो जाता है। हिन्दू शब्द और छोर हीन महासागर तुल्य है जिस में समस्त नदियां विभिन्न नामों के साथ जल लाती हैं, उस में मिल कर एकाकार हो जाती है।"

अर्थात हिन्दू शब्द साम्प्रदायिक शब्द नहीं। हिन्दू शब्द जातीय है। साम्प्रदायिक नहीं है। जाति वाचक शब्द है।

15 hrs.

सरकार ने कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों को यह छूट दी है। वे जिस तरफ वोट देना चाहें दे सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के सदस्य से मेरा निवेदन है। वे देखें कि हिन्दू शब्द साम्प्रदायिक न था न है। यह शब्द साम्प्रदायिकता का द्योतक नहीं है और न हो सकता है। इसलिए हिन्दू शब्द को बदलना उचित नहीं है। राज्य सभा के माननीय सदस्यों ने इसको बदला है। उसे लोग कैसे परलोक सभा कहते हैं। परलोक आकाश में होता है। वे शायद आकाश में घूमते हैं। हम लोक सभा वाले हैं। इस लोक में रहते हैं। जमीन पर घूमते हैं। लोक सभा को राज्य सभा की बात नहीं माननी चाहिए।

सभापति महोदय : जो कुछ वहां हुआ है उसके बारे में तो हम कहें लेकिन इस तरह से उस हाउस के बारे में नहीं कहना चाहिए।

श्री रघुनाथ सिंह : अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि हिन्दू शब्द को हमें रहने देना चाहिए।

श्री बाल कृष्ण सिंह : मैंने पहले कहा है कि हम को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिस को समाज आसानी से ग्रहण न कर सके। राज्य सभा ने बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी का नाम बदल कर मदन मोहन मालवीय काशी विश्वविद्यालय कर दिया है। इसी आधार पर शिक्षा मंत्री ने यह आश्वासन दे रखा है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से वह मुस्लिम शब्द हटवाने के बारे में भी विधेयक यहां लायेंगे। जब मुस्लिम सर शब्द उससे हटा दिया जाएगा तो उसका नाम सरसैयद अहमद यूनिवर्सिटी अलीगढ़ होगा। इसका अर्थ तो यह हुआ कि मालवीय जी हिन्दू संस्कृति और दर्शन के प्रतीक थे तो सर सैयद अहमद मुस्लिम संस्कृति और मुस्लिम दर्शन के प्रतीक थे और दोनों की मान्यताओं और दोनों के सिद्धान्तों को ऐसा करके आप सम्बद्ध कर रहे हैं। मुझे सब से बड़ा दुख इस बात का है कि राज्य सभा ने जो सुझाया है अगर उसको मान लिया जाए और मालवीय जी और सर सैय्द अहमद को समान स्तर पर रख दिया जाए तो न मैं और न ो यह देश इसको मानने के लिए तैयार हैं क्योंकि दोनों का पालिटिक्स अलग अलग था। बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के नाम में अनेक उन दाताओं की, संस्थापकों की और उससे सम्बन्ध रखने वाले तमाम लोगों की भावनायें जुड़ी हुई हैं। आपने नेशनल यूनिवर्सिटी भी तरफ इशारा किया है और कहा है कि उसका जो नेशनल कारेक्टर है वह समाप्त नहीं होना चाहिए। बनारस का निवासी होने के नाते मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के वायुमंडल में तथा उसकी सीमा में संकीर्णता तथा साम्प्रदायिकता की लेश मात्र भी गंध नहीं है। मै वहां के लड़कों को, वहां के वाइस चांसलर को, वहां के अध्यापकों और प्रोफेसरों बधाई देना चाहता हूं कि जब कि आज तमाम देश भर में अनुशासनहीनता की भावना फैल रही है वहां आज भी वहां के लड़के पूर्ण रूप से अनुशासित हैं। आज मुझे अवसर मिला है कि बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी की तरफ से वहां का निवासी होने के नाते मैं मिनिस्टर साहब को आश्वासन दूं कि बनारस हिन्दू यूनिवर्सटी में कभी साम्प्रदायिकता की भावना नहीं रही है न है और न आगे भविष्य में होगी।

एक और बात मैं निवेदन करना चाहता हूं। बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी से अगर आप हिन्दू नाम निकाल देते है तो उस यूनिवर्सिटी का ही नहीं, मालवीय जी का ही नहीं बल्कि समूचे देश के सम्मान को आप धक्का पहुंचाते हैं। समूचे देश का सम्मान उस यूनिवर्सिटी ने ऊंचा किया है, इस हिन्दू शब्द के रहते हुए उसने ऊंचा किया है यदि इस हिन्दू शब्द को आप हटाते हैं तो तमाम दुनिया के लोगों को इस पर गम्भीरता से सोचने तथा टिप्पणी करने का अवसर मिलेगा कि क्या कारण था कि इस हिन्दू शब्द को निकाल दिया गया है, क्या वहां के वातावरण में, वहां के लोगों में कोई भावना पैदा हो गई थी जिसके कारण इस शब्द को निकालना जरूरी समझा गया? उस यूनिवर्सिटी का एक इतिहास रहा है। उस यूनिवर्सिटी ने ऐसे ऐसे नागरिकों को जन्म दिया है जिन के अन्दर राष्ट्रीय भावनाएं कूट कूट कर भरी हुई थीं। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दू शब्द हटा कर आप एक भ्रम पैदा न करें। हमारा धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, राज्य है। यहां हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है और उसके धर्म पर कोई आक्षेप नहीं होना चाहिये। हिन्दू एक समुदाय है जिसमें हिन्दू, सिख, बौद्ध और जैनी सभी शामिल हैं। इसको धर्म कैसे माना जाता है? मैं आप से निवेदन करता हूं कि आप इस एमेंडमेंट को स्वीकार कर लें। वैसे तो मैं इस होल क्लाज का विरोध कर रहा हूं लेकिन आप मेरा जो संशोधन है उसको स्वीकार कर लें। बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी नाम जैसे है और मालवीय जी की जैसी इच्छा थी, दाताओं की जैसी इच्छा

[श्री बाल कृष्ण सिंह]

श्री और आज इस देश में तमाम निवासियों की जैसी भावना है, उसका आपको आदर करना चाहिये।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी नाम बदस्तूर रहना चाहिये।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : इस क्लाज के सम्बन्धों को छोटे से वाक्यों में भी कही जा सकती है। लेकिन कुछ देश का दुर्भाग्य है कि हिन्दू शब्द मात्र से ही एक प्रतिक्रिया होती चली आ रही है। यह प्रतिक्रिया आज की नहीं है, दस साल पहले की नहीं, सौ साल से यह चली आ रही है। क्या प्रतिक्रिया है ? मैं 1916 की बात करने जा रहा हूं। तब मैं फारसी पढ़ा करता था कंजी नए फारसी में एक हकावत आती है। उस हकावत में हिन्दू शब्द का प्रयोग था। उसमें यह था कि हिन्दू शब्द का मतलब लुटेरा, चोर डाकू है। इस अर्थ में यह शब्द प्रचलित है। मालूम नहीं फारसी में यह शब्द कैसे घुसा कि हिन्दू का मतलब चोर, लुटेरा और डाकू है। इतना होते हुए भी भारतवर्ष में रहने वाले, भारतवर्ष के आदि धर्म को मानने वाले किसी व्यक्ति विशेष ने इस पर कोई आपति नहीं की। अगर आप हम को चोर कहते हैं, लुटेरा कहते हैं, डाकू कहते हैं तो भी हम भारतवर्ष में रहने वाले हिन्दू हैं। ऐसा ही किस्सा फिर दुबारा मेरे जीवन में आया सन 1938 में मैं इंगलैंड जा रहा था। पोर्ट सईद में मैं कुछ देर के लिए रुका। वहां मेरे साथ जो पांच लड़के थे, वे और मैं घूमने निकले। मिश्री लोग हम लोगों से मिलन आए। हम हिन्दू थे, यानी हिन्दुस्तान में जो रहता है वह अपने आपको हिन्दू कह सकता है। एक हमारे में ऐसा था जो हैदराबाद का रहने वाला था और वो नाम से मुसलमान था।

सभापति महोदय : मजहब से कहिये।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : नाम से ही मैं कहता हूं मजहब वगैरहा मैं नहीं मानता हूं। जिन लोगों ने हम से आ कर पूछा उनकी भाषा अंग्रेजी जैसी नहीं थी, उनकी भाषा कुछ ऐसी थी जैसी अंग्रेजी फ्रेंचमैन बोलते हैं। उन्होंने पूछना शुरू किया "व्हात नेशनलिटी"? हम लोगों में से एक साहब ने कहा "इंडियन" तो उस ने कहा यू आर हिन्दू ? हम ने कहा "येस"। उसके हिन्दू पूछने का कारण क्या था कि वहां पर जितने नक्शे टंगे हुए थे, हमने जो देखे भारतवर्ष के नक्शों, सब पर हिन्दुस्तान लिखा हुआ था, इंडिया शब्द नहीं लिखा हुआ था। तो जो आदमी वहां रहते हैं वह हुए हिन्दू, यह उस का मतलब था। हम समझ गए इस बात को। हमें कोई आपति नहीं थी उस पर। तो उसने पांच से पूछा हिन्दू, हिन्दू, तो पांच ने तो हिन्दू बतलाया। छठे से जब उस ने पूछा उसने कहा कि मुस्लिम। तो उस ने पूछा "व्हात मुस्लिम? हिन्दू और नाट ?" तो वह छटपटाये। उसके गले से कैसे निकले यह बात ? कैसे कहे अपने आप को हिन्दू ? उसने कहा कि "नो मुस्लिम"। तो उसने फिर पूछा, "व्हात मुस्लिम ? अरब मुस्लिम, टैंजियर मुस्लिम, अल्जीरियन मुस्लिम, हिन्दू मुस्लिम और व्हाट ?" तो उस ने कहा कि हिन्दू मुस्लिम।

एक माननीय सदस्य : दैट इज राईट।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : तो अगर यह भावना है तब तो हिन्दू शब्द एक बड़ा विकसित शब्द है और यह ऐसा विकास कर चुका है कि सारे भारत वर्ष को अपने में ले लेता है।

"आ सिन्धु, सिन्धु पर्यन्ता यस्य भारत भूमिका"

यानी उस सिन्धु नदी से लेकर समुद्र पर्यन्त तक जितनी भारत भूमि है उस में जो रहने वाला है वह हिन्दू है।

श्री प्रिय गुप्त : Hindu Mahasabha comprises all sabhas.

श्री उ० मू त्रिवेदी : और यह मेरे दोस्त अकेले हिन्दू नहीं हैं। (व्यवधान) मैं कहता हूं कि यह हिन्दू है। यह चाहे कहे चाहे न कहे. यह हिन्दू हैं। मैं हिन्दू हूं, आप हिन्दू हैं, चागला साहब हिन्दू हैं, या बाकर अली साहब भी हिन्दू हैं। कोई इनकार नहीं कर सकता है। सिर्फ भावना एक यह हो गई है, एक प्रतिक्रिया पैदा हो गई है। प्रतिक्रिया क्या हो गई, कि कुछ हमारे यहां राज्य बन गए। उन राज्यों के आधार पर यह हो गया कि लोग यह बात भूल गए कि वह हिन्दू हैं। जैसे हमारे शर्मा साहब बात कर रहे हैं। यह मानने को तैयार नहीं हैं। इनके गले में यह बात उतरने को तैयार नहीं है कि भारत वर्ष में रहने वाले लोग हिन्दू हैं। अगर यह व्यापक रूप इसका मान लिया जाय और इसी व्यापक रूप में इस शब्द का प्रयोग इस काशी विश्वविद्यालय के नाम के साथ किया जाय, अभी मेरे मित्र रघुनाथ सिंह जी मुझे एक संवत 1984 का पंचांग दिखा रहे थे उस पर क्या है कि उस पर जो मोनोग्राम बे छपा हुआ है, वह है :

"विद्ययाऽमृतमश्नुते"

वह मोनोग्राम है काशी विश्वविद्यालय का और उसके नीचे क्या लिखा है नाम? संस्कृत में लिखा है "काशी विश्वविद्यालय" जो आज हम देना चाहते है। लेकिन वह काशी विश्वविद्यालय शब्द तर्जुमा किस शब्द का है? बनारस हिन्दू यूनिवर्सीटी का अगर बनारस हिन्दू यूनिवर्स्टी का तर्जुमा काशी विश्वविद्यालय है तो ..(व्यवधान) अब उस का नाम क्या है? काशी हिन्दू विश्वविद्यालय यह नाम ईंट तक में छप गया, जिस ईंट से तमाम इमारत चुनी गई, उस पर भी काशी हिन्दू विश्वविद्यालय लिखा था। तो वह इसलिए नहीं था कि वह हिन्दुओं की थी, अगर वह हिन्दुओं की होती ......

सभापति महोदय : अब आप अमेंडमेंट पर आ जाय।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : मगर यह हिन्दू से ही सम्बन्धित होता विश्वविद्यालय तो आप देखें, सेक्सन 7 में लिखा है।

"to promote the study of religion, literature, history, science and art of Vedic Hindu, Buddhist, Jain, Islamic, Sikh, Christian, Zoroastrian and other civilisations and cultures;"

यह एक कचरल डेफिनीशन है। इस में धर्म से कुछ मतलब नहीं है। तो इसे धर्म का रूप देकर और इस प्रतिक्रिया के रूप में में हम इसे खड़ा करना चाहे तो मैं यह कहता हूं कि हम एक गलत राह पर जा रहे हैं। गलत राह पर इसलिए जा रहे हैं कि दुर्भाग्य से हमारे यहां एक यूनिवर्सीटी बनी जिस का नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सीटी रखा गया। प्रतिक्रिया यह हो रही है कि अब हमारे यहां एक व्यापक रूप से ऐसा हम मानने लग गए हैं कि माइनारटी जो होंगे, अल्पसंख्यक जो होगें उन के हकों को हमें बराबर रखना चाहिए।

Mr. Chairman: You ought to be brief now.

श्री उ०मू० त्रिवेदी: It is a very very important thing.

अब देखना यह है कि अलिगढ़ मुस्लिम युनिवर्सीटी शब्द से चूंकि हमारी गवर्नमेंट यह चाहती है कि यह मुस्लिम शब्द निकाल दिया जाय, तो अगर हम उस शब्द को निकालते हैं तो इस शब्द को भी हमे निकालना होगा। मैं कहता हूं कि नहीं। यह तो प्रतिक्रिया हुई। हम जब छोटे थे तो कहते थे कि हिन्दू और मुसलमान में यही प्रतिक्रिया है। हिन्दू दाहिने हाथ से खायेगा तो मुसलमान क्या दाहिने हाथ से खायेगा? अर्थात वह भी दाहिने हाथ से खाले, ऐसा तो हो नहीं सकता। लोग कहते थे कि हिन्दू मुंह यों धोता है तो वह मुंह यों धोता हैं। यह हमारी प्रतिक्रिया की बात

[श्री उ० मू० त्रिवेदी]

है ।...(व्यवधान) अब दोनों हाथ से धोने लगे : हम एक हाथ से धोने लगे तो वह दोनों हाथ से । तो यह तो सारी प्रतिक्रिया है जिसका कोई अर्थ नहीं होता और न इस तरह की बात हमें उठानी चाहिए । हमें तो देखना यह है कि यह जो नाम काशी हिन्दू विश्वविद्यालय रखा गया और वह अभी मेरे दोस्त ने एक फोटो दिया था . . .

सभापति महोदय : वह दिखा चुके हैं ।

श्री उ०मू० त्रिवेदी : ** I will place it on the Table of the House. I may be permitted to do so.

इस का नाम है काशी हिन्दू विश्वविद्यालय । तो यह काशी हिन्दू विश्वविद्यालय जहां लिखा हुआ है, यह संगमरमर के पत्थर के अन्दर खुदा हुआ है । क्यों खुदा हुआ है कि जिस आदमी की भावना थी इसको स्थापित करने की, वह यह चाहता था कि इसको हिन्दू का व्यापक रूप मिल जाय । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कोई इतिहास वेत्ता हमारे यहां यह बताने की कोशिश करेंगे कि बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में सिर्फ हिन्दू लड़कों को भर्त्ती किया जाता था, यानी केवल हिन्दू धर्म मानने वालों को ही भर्त्ती किया जाता था ? हर एक वहां भर्त्ती हो सकता है और मेरे ख्याल में कई मुसलमानों के लड़के वहां से पढ़कर आये हुए हैं । मेरा साथी एक था हाजी खां, वह तो ऐसी संस्कृत बोलता था कि मैं नहीं बोल सकता था । .... (व्यवधान) तो उसके अध्ययन से कोई आदमी अपने मजहब में परिवर्त्तन नहीं करता है । हिन्दू कहलाने से भी एतराज नहीं हो सकता । हिन्दू शब्द अगर व्यापक मान लिया जाय और उसके मूल तत्व को देखा जाय तो जिस अर्थ में यहां उसका उपयोग हिन्दू विश्वविद्यालय नाम से किया गया है, वह धर्म निरपेक्ष राज्य की भावना को किसी तरह से ठेस नहीं पहुंचाता न हमारी धर्म निरपेक्ष भावनाओं में कोई बाधा डालता है । ....

Mr. Chairman: Please conclude now. A number of speakers are there on this clause.

Shri U. M. Trivedi: It is a very interesting subject and it will be a historical document for all of us.

Mr. Chairman: The Speaker has announced that there is one hour for clause-by-clause consideration. There are so many speakers to speak on this clause only. Therefore please be brief.

Shri U. M. Trivedi: I will request the House, everyone sitting in the House, that this Bill may be discussed for three or four hours more because this a very important Bill. यह जिसकी नींव डाली थी पंडित मदन मोहन मालवीय ने, आज उसकी कब्र खोदकर एक नया रूप रखना जिससे...

सभापति महोदय : I will put it to the House.

अभी तजवीज हुई है कि एक घंटे के बजाय वक्त बढ़ा दिया जाय । तो कोई निश्चित तजवीज आ जाय तो मैं हाउस की राय ले लूं ।

श्री यशपाल सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसमें दो घंटे का समय बढ़ा दिया जाय ।

Shri U. M. Trivedi: I support it.

Shri Ansar Harvani (Bisauli): I support it.

Shri Gauri Shankar Kakkar: I also support it.

Some hon. Members: The whole House support it.

Shri Raghunath Singh: The whole House is of that opinion.

Mr. Chairman: Is the House agreeable?

Several hon. Members: Yes.

Mr. Chairman: So, the time is extended by 2 hours.

**The Speaker was having subsequently accorded to necessary permission, the document was not treated as laid on the Table.

श्री उ० मू० त्रिवेदी : सेक्शन 2 में जो लिखा है वह भावना बहुत अच्छी है :

"And whereas to perpetuate the memory of late Pandit Madan Mohan Malaviya, it is desirable to rename the said University as the Madan Mohan Malaviya Kashi Vishwavidyalaya; it is hereby enacted as follow:"

पं० मदन मोहन मालवीय के दर्शन मात्र से मनुष्य कृतार्थ हो जाता था। हम 1921 में कालेज में पढ़ते थे तब वह मेरे कालेज में आये थे। उस वक्त अहमदाबाद कांग्रेस का सेशन चल रहा था। वह कांग्रेस अटेन्ड करने नहीं आये लेकिन हमारे प्रिंसिपल ने उनको बुलाया था। उनकी अंग्रेजी सुनकर भी हमको बहुत आनन्द हुआ। उनको लोग सिल्वर रिंगिंग टोन कहा करते थे, जिस समय उनकी आवाज निकलती थी। उस आदमी ने कभी भी अपनी यह इच्छा व्यक्त नहीं की कि उनका नाम इस यनिवर्सिटी के साथ संयुक्त किया जाये, हालांकि वह उसके सर्वेसर्वा थे।

श्री शिंकरे (मरगागोआ।) : वह कैसे बोलते।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : वह नहीं बोलते तो हम भी उसका बिगाड़ना नहीं चाहते।

श्री शिंकरे : उनकी मैमोरी के वास्ते ऐसा किया जा रहा है।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : उनकी मैमोरी के वास्ते कोई स्टेचू बनाइये। आपने बड़ा बवर्दस्त चित्र यहां पर टांग दिया है।

Shri Raghunath Singh: Memory cannot be perpetuated by stones and bricks It is perpetuated by the action of the man.

श्री उ० मू० त्रिवेदी : जब तक काशी विश्वविद्यालय है तब तक कोई भारतवर्ष का आदमी पं० मदन मोहन मालवीय को नहीं भूल सकता। इस तरह से नाम बदल देने से कुछ नहीं होता। आज भी कई जगह नाम लिख दिये गये हैं कि फलाना मार्ग, लेकिन लोग उसको दूसरा नाम देकर कुछ न कुछ बदल देते हैं।

एक माननीय सदस्य : मार्ग और विश्वविद्यालय में फर्क है।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : विश्वविद्यालय और मार्ग में कोई फर्क नहीं है। वह दोनों एक चीज हैं। प्रापर नाउन हैं। प्रापर नाउन में एक आदमी का नाम जोड़ने से कोई अर्थ नहीं निकलता। मैं तो इस मत का हूं कि अगर मदन मोहन मालवीय का नाम जोड़ा भी जाये तो मदन मोहन मालवीय हिन्दू विश्वविद्यालय रक्खा जाये। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन सिर्फ इस कारण से कि हमारे कोई मुसलिम दोस्त नाराज होगें इसलिये नाम बदल दिया जाये..

एक माननीय सदस्य : कोई नाराज नहीं होगा।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : मैं भी यह बात मानता हूं कि कोई नाराज नहीं होगा। यह तो मात्र एक दो व्यक्ति विशेष की भावनायें हैं। मैं व्यक्ति विशेष की भावनाओं को महत्व नहीं देता हूं। अगर सारे हाउस की भावना की तरफ आप दृष्टि करें तो आपको प्रतीत होगा कि हम सब यह चाहते हैं कि इसमें पं० मदन मोहन मालवीय का नाम जोड़ा जाये या नहीं, लेकिन जो पहला नाम रक्खा हुआ है काशी हिन्दू विश्वविद्यालय उसमें किसी भी हालत में परिवर्तन न किया जाये। अगर ऐसा किया जाये तो मैं अपने आपको धन्य समझूंगा और कहूंगा कि जितने हमारे पुराने मशहूर आदमी हुए हैं उनकी परम्परा को आपने कायम रक्खा।

श्री किशन पटनायक : सभापति महोदय, हिन्दू शब्द का कहीं-कहीं बड़ा व्यापक अर्थ होता है, जैसे कि हिंदुस्तान, या हिन्दी, इन शब्दों में जब हिन्दू मिल जाता है और ऐसे शब्द बनते हैं तब तो हिन्दू शब्द का व्यापक अर्थ बनता है, लेकिन अभी जिस सन्दर्भ में

[श्री किशन पटनायक]

हिन्दी शब्द के ऊपर बहस हो रही है वह व्यापक अर्थ वाला हिन्दू नहीं, संकीर्ण अर्थ वाला हिन्दू है। जिन लोगों को हिन्दू शब्द से प्यार है उनसे मैं अर्ज करूंगा कि हिन्दू शब्द को व्यापक बनाकर रखिये, उसको संकीर्ण न बना दीजिये। संकुचित न बना दीजिये। यहां पर बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी का जहां तक सवाल है उसका संकीर्ण अर्थ है। एक तरफ अलीगढ़ मुसलिम विश्वविद्यालय है, दूसरी तरफ बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी है। एक ही देश के एक ही प्रान्त में दो यनिवर्सिटियां हैं एक का नाम मुसलिम है और दूसरी का नाम हिन्दू है। हिन्दू के माने हिन्दू धर्म होता है और मुसलिम के माने इसलाम धर्म होते हैं। इससे कोई दूसरे अर्थ नहीं निकल सकते। इसलिये जितना बुरा अलीगढ़ मुसलिम यूनिवर्सिटी में मुसलिम का होना है उतना ही बुरा बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के साथ हिन्दू का होना है।

जब श्री रघुनाथ सिंह पंचांग और इतने पर्चे पढ़ रहे हैं तो मैं कहूंगा कि वह चुनाव में जनता के वोट लेने के वास्ते अपने सारे इतिहास और सारी मान्यता को झुठला रहे हैं। उन की मान्यता क्या यही है, उनके सामने यहां का इतिहास क्या रहा है। वह एक ईंट लाये हैं और अपनी डेस्क पर रक्खे हुए हैं। पता नहीं कितनी ईंटें हैं जिन पर काशी विश्वविद्यालय लिखा हुआ होगा जो कि पुरानी ईंटें हो सकती हैं। यह ईंट पता नहीं फर्जी है या क्या है। उन्होंने खुद जितना हवाला दिया है सब में उन्होंने कहा कि हिन्दी में, संस्कृत में, देवनागरी में काशी विश्वविद्यालय लिखा हुआ है, सिर्फ अंग्रेजी के तर्जुमे में बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी है। आखिर उन की मान्यता क्या है। वह मूल वाली मान्यता है या अनुवाद वाली मान्यता है। वह हिन्दी वाले हैं या नहीं, हिन्दी के समर्थक हैं या नहीं। वह हिन्दी के समर्थक हैं, संस्कृत के समर्थक हैं, लेकिन चुनाव का मसला हो सकता है, वोट्स का मसला हो सकता है, इस लिये वह अपने सारे इतिहास को, सारी मान्यता को भूले जा रहे हैं। वह कह रहे हैं धर्म नाम में सनातन धर्म है। वह अपने सारे इतिहास को जरा पलट कर मर देखें। जब कोई हिन्दू मुस्लिम झगड़ा होता है तब क्या कहीं पर उन्होंने सनातन धर्म मुसलिम झगड़ा कहा है जहां भी कहा है, अपने भाषण में हिन्दू मुसलिम झगड़ा कहा है।

श्री रघुनाथ सिंह: सन् 1926 में जो डेवलेपमेंट हुआ उसके फलस्वरूप हिन्दू महा सभा कायम हुई।

श्री किशन पटनायक: अपनी जो मान्यतायें हैं उन को वह झुठला रहे हैं, सिर्फ वोट के लिये। यह तो मैं ने सिर्फ श्री रघुनाथ सिंह जी से कहा।

अब मैं श्री चागला साहब से कहना चाहता हूं जिनका अभी प्रमोशन हुआ है। वह शिक्षा मंत्री से विदेश मंत्री हो कर गये हैं।

Shri U. M. Trivedi: It is a disgrace to call it a promotion.

Shri K. C. Sharma (Sardhana): This is questionable. The hon. Member is not entitled to pass such remarks.

Shri U. M. Trivedi: Mr. Chagla is a great man by himself.

सभापति महोदय: आपसे एक शब्द मैं कह दूं। आनरेबल मिनिस्टर ने खुद यह कहा है कि यह प्रोपन है हाउस के लिये कि वह क्या फैसला करे।

श्री किशन पटनायक: मैं इसलिये बोल रहा हूं कि दूसरे जो अमेंडमेंट होते हैं, दूसरे विधेयक होते हैं, काले कानून बनते हैं तब तो कांग्रेस पार्टी का व्हिप लग जाता है, उस पर रोक लग जाती है कि उनको किस तरह वोट देना पड़ेगा। लेकिन इस मामले में मैं समझता हूं कि उनके ऊपर कोई व्हिप नहीं है। इसको खुला छोड़ दिया गया है।

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : हिम्मत नहीं है।

श्री किशन पटनायक : क्यों खुला छोड़ दिया गया है। मेरी श्री चागला को चुनौती है। मैं उनकी तारीफ करूंगा कि उन्होंने पास करवाया राज्य सभा में, मगर आज विदेश मंत्री बनने की लालच से वह अपना मत नहीं बतलाते हैं, अपनी राय नहीं बतलाते हैं।

Some hon Members: What is this

Shri Raghunath Singh: It is highly objectionable. He should withdraw it.

Shri K. C. Sharma: There should be some decency.

Shri Raghunath Singh: It should be expunged.

सभापति महोदय : मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि कोई मोटिव्ज इम्प्यूट न करें। आनरेबल मिनिस्टर एक चीज रख रहे हैं उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि उनका कोई डाइरेक्टिव पार्टियों के लिये नहीं है। उन्होंने कहा कि हाउस के लिये ओपन है कि वह जिस तरह चाहे फैसला करे।

श्री किशन पटनायक : एक बात महत्वपूर्ण है कि मुसलमान मंत्री हिन्दू शब्द को हटाने के लिये सरकार की तरफ से प्रस्ताव रख रहे हैं। इसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन जहां एक हाथ से एक मुसलमान मंत्री को हिन्दू शब्द हटाने का अधिकार दिया है वहां दूसरे हाथों से सरकारी दल उसे छीन लेता है।.. (**व्यवधान**)

Shri K. C. Sharma: There is no Hindu Minister or Muslim Minister. There is only the Minister.

श्री किशन पटनायक : मैं श्री चागला से कह रहा हूं कि अगर उनको गर्व है...

सभापति महोदय : आप इस विधेयक पर अपने विचार रखिये।

श्री किशन पटनायक : हमारी कुछ वैल्यू हुआ करती है। चागला साहब के सामने सेकुलरिज्म की वैल्यू है। आज उनका इम्तहान हो जायेगा। मैं चाहता हूं कि श्री चागला अपने दिल को मजबूर करें, व्हिप दें। जो मिनिस्टर एक प्रस्ताव लाता है, और एक सभा से पास करवा चुका है क्या वह यहां कांग्रेसी मेम्बर्स को उसके पक्ष में वोट देने के लिये मजबूर नहीं कर सकता है, अपने दल की तरफ से व्हिप नहीं निकलवा सकता है।

Shri M. C. Chagla: I want this matter to be clearly put on record. Throughout, I have taken the attitude in the Select Committee, in the Rajya Sabha and in the Lok Sabha, that I will permit a free vote of the House and that the whip will not be issued. In the Rajya Sabha, I remained neutral in the Select Committee I remained neutral and in the Lok Sabha, I gave that assurance last time. I give it again that no whip is issued. I think, it is most unfair on the part of the hon. gentleman to attribute motives.... (*Interruption*).

Mr. Chairman: Order, order; let him finish first.

Shri M. C. Chagla: I have not changed my attitude. I stand by what I said in the Rajya Sabha....

Mr. Chairman: I did not permit those to be put.

Shri Priya Gupta: On a point of order. How can a Minister remain neutral? He is himself moving the Bill.

Mr. Chairman: There is no point of order.

Shri Priya Gupta: He is himself moving the Bill.

Mr. Chairman: order, I shall have to explain one thing. There is no use in creating noise and disturbance.

Shri Priya Gupta: That is not our intention.

Mr. Chairman: The point is that Mr. Kishen Pattnayak, while speaking, tried to impute motives which was

[Mr. Chairman]

very wrong. I did not, of course, allow it. The hon. Minister made a certain clarification on that. Now I would request Mr. Kishen Pattnayak to continue his speech.

Shri Priya Gupta: On a point of clarification. Can a Minister do it?

Mr. Chairman: There is no clarification to be given here. Mr. Kishen Pattnayak.

श्री किशन पटनायक : चागला साहब ने कहा है कि हर कोई फ्रीली वोट दे सकता है। उन्होंने साथ-साथ यह भी कहा है कि मैं न्यूट्रल रहा हूं और न्यूट्रल हूं। मैं समझता हूं कि उनके न्यूट्रल रहने से इस सवाल का समाधान नहीं होता है। क्यों वह न्यूट्रल रहना चाहते हैं। जब एक चीज को वह लाए हैं और उसको राज्य सभा में पास करवा चुके हैं तो क्यों वह न्यूट्रल रहे हैं? क्यों चाहते हैं कि फ्री वोट हो। सरकारी दल अगर उनकी इज्जत करता है, उनको अगर इज्जत देता है तो आपको देखना चाहिये कि वह आपको इज्जत देता रहे। यह आपकी इज्जत का सवाल है। आप क्यों क्लोज्ड वोट करवाना चाहते हैं। व्हिपइशू करके क्यों सर्वसम्मति से इसके बारे में वोट नहीं लेते हैं। जो मंत्रीपद का प्रलोभन है, क्या यह समझा जाए कि आप उसके शिकार हो जाते हैं? आपको इस पर प्रोटेस्ट करना चाहिये। या तो आप खुद इसको मूव न करें, खुद इसको इनिशिएट न करें और रघुनाथ सिंह जी को करने दें और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप देखें कि व्हिप इशू हो। एक तरफ तो ऐसा प्रतीत होता है कि श्री रघुनाथ सिंहजी को वोट का लालच है और दूसरी तरफ श्री चागला साहब को कैबिनेट में रहने का प्रलोभन है ऐसी भावना नहीं बननी चाहिये।

Shrimati Lakshmikanthamma (Khammam): I think we have a peculiar knack of irritating people at wrong time. I am opposed to Clause 2 and I am opposed to the removal of the word 'Hindu.'

श्री मधु लिमये : आप विरोध कर रही हैं?

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : आपका विरोध।

श्री मधु लिमये : हमारा विरोध?

Shrimati Lakshmikanthamma: There are many major problems facing the country just now and we should not have ventured to bring about this, though personally I am always opposed to the removal of the word 'Hindu' for my own reason. I would like to ask this House this question: how is it that we are respected all over the world? Is it because of our material prosperity or because of our other greatness? It is for our culture, for our heritage that has been taken over to those countries by great persons like Vivekananda, Swami Ram Tirth and Mahatma Gandhi. The word 'Hindu', as has been said by our friend, Mr. Raghunath Singh, was not given by Pandit Madan Mohan Malaviya. I was going through a book wherein the history of Hindu religion has been given elaborately, wherein something has been said about Banaras Hindu University. The history of the University shows that it was Annie Beseant who insisted on the word 'Hindu' to be retained; she was so vehement that she said that if Hinduism dies,, India would be nothing but a corpse. That is what she said. She was all the time feeling that she was not born a Hindu, that she did not have the advantage of being a Hindu. Is it for others to come over here and understand the greatness of the creed of this country? I do not call it communal. It will be the greatest sin that we can do to the creed of this country if we call Hinduism communal or religious. In olden days the Arabs seem to have given this word 'Hindu' to those people who have been following a particular creed beyond the river Indus. Sometimes we feel that people are fools when they express their sentiments or when they

express something; perhaps, they will not be in a position to express in the manner they would like to express or we would like them to express. When they go to temples and worship in millions, our Communist friends feel that they are fools, but when they vote, they are all very clever. (*Interruption*).

I would like to say that the word 'Hinduism' is not a mere religin. It is a spirit. How can any country survive as a matter of fact humanity.... (*Interruptions*).

Shri Kapur Singh (Ludhiana): If the country does not survive where will the Clause remain?

Mr. Chairman: The hon. Member may speak on the Clause.

Shrimati Lakshmikanthamma: I would like to say that this is the essence of this. I am myself opposed to some of the rigidities of Hinduism, but at the same time, we should not forget the spirit. Mr. Chagla has taken over as the Minister of External Affairs; already he knows the minds of the people in other countries, but now he will be in a better position to understand the minds of the people in other countries as to why they respect us very much. They respect us for this greatness that we have had throughout ages. For instance, America is just 200 years old whereas we are 2000 years old in our culture. (*Interruptions*).

Shri Kapur Singh: More than 2000 years old.

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): 5000 years old.

Shrimati Lakshmikanthamma: In this country we have seen indicipline, lack of unity and all this. These can be overcome. It was the great Sankaracharya who was born in the extreme south who unified the whole country; people like the Great Kabir, Meera, Chaitanya who was born in Bengal, have unified the whole country. I do not call it this religion or that religion. The essence of all religions is our creed and culture and I do not think that we are against Hindu. Why should we be allergic? In the name of secularism, you cannot kill spiritualism; you are dead once and for all if you finish spiritualism in this country. I think we should not be allergic to the word 'Hindu' or 'Muslim' or 'Zoroastrianism' or 'Sikh' or anything. We must understand the essence of all the religions. We, must make it a synthesis of all these and practise in our own life. We should not mix politics or be allergic to the word 'Hindu'. Secularism is not being irreligious as I understand it and I think we should all understand this and should try to bring the essence of all religions and unite the whole country. We should not be allergic and irritable. I would request that the word 'Hindu' should be retained in the sense Annie Beseant wanted it or other people wanted it.

श्री विश्वनाथ पाण्डेय : मुझे खुशी है कि जितने माननीय सदस्य अब तक इस क्लाज पर बोले, जन्होंने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं उन सब ने श्री पटनायक को छोड़क इस विधेयक का समर्थन किया है कि बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी शब्द रहें और मदन मोहन मालवीय काशी विश्वविद्यालय शब्द न रहें। मैं समझता हूं अगर श्री किशन पटनायक हिन्दू साहित्य को अच्छी तरह से पढ़ें और अपने विचारों को पुष्ट करें....

श्री प्रिय गुप्त : सभापति महोदय, कोरम नहीं है।

सभापति महोदय : माननी सदस्य अपना भाषण जारी रखें। मैं अभी गिन कर देखता हूं कि कौरम है या नहीं है।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय : तो मैं समझता हूं कि वह भी इस बात को पसन्द करेंगे और कहेंगे कि हिन्दू शब्द साम्प्रदायिक नहीं है। मैं सदन के सामने नम्र निवेदन करना चाहता

[श्री विश्वनाथ पांडेय]

हूं कि जिस वक्त पंडित मदन मोहन मालवीय ने लेजिस्लेटिव असेम्बली में इस विधेयक को प्रस्तुत किया था उस वक्त भी बड़े बड़े विद्वान . . .

सभापति महोदय : माननीय सदस्य जरा बैठ जायें। कोरम नहीं है।

सभापति महोदय : घंटी बजाई जा रही है—अब कोरम हो गया है। माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय : जैसा कि मैंने कहा है, जिस वक्त पंडित मदन मोहन मालवीय ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव एसेम्बली में बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में विधेयक उपस्थित किया, उस वक्त भी हिन्दुस्तान के बड़े बड़े विद्वानों और धार्मिक तथा राजनीतिक नेताओं ने उसको स्वीकृत किया और यह विचार प्रकट किया कि बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी इस देश की विचारधारा, सभ्यता और संस्कृति के अनुकूल है। जब बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हुआ, उस वक्त भी हिन्दुस्तान के बड़े बड़े विद्वानों और नेताओं ने उसका समर्थन किया।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और पंडित मोतीलाल नेहरू ने भी, जो कि राष्ट्रीयता के प्रतीक थे, जो भारतवर्ष के सर्वमान्य नेता थे, इस शब्द का समर्थन किया और इस बात को स्वीकार किया कि इस विश्वविद्यालय का नाम बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी रहे। मैं नहीं समझता कि इस सदन में या शिक्षा मंत्रालय में अब कौन सी आफ़त आ गई है, कौन सा राष्ट्रीय संकट आ गया है कि इस आशय का विधेयक रखा जा रहा है कि "बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी" नाम को हटा कर "मदन मोहन मालवीय काशी विश्वविद्यालय" नाम रख दिया जाये।"

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि "हिन्दू" शब्द साम्प्रदायिकता का द्योतक नहीं है, बल्कि मानवता का द्योतक है। पंडित मदन मोहन मालवीय भारत की राष्ट्रीयता और संस्कृति के प्रतीक थे और मानवता का संदेश देने वाले थे। "हिन्दू" शब्द मानवता का द्योतक है और सारे संसार को मानवता का पाठ पढ़ा रहा है। इसी के आधार पर बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी का नामकरण किया गया था, ताकि वहां के अध्यापक, स्नातक, प्रबन्ध करने वाले और कुलपति आदि सारे संसार के सामने मानवता का सन्देश रखें।

केवल "हिन्दू" शब्द को हटाने से हिन्दुस्तान से साम्प्रदायिकता नहीं निकल सकती है। जब हमारी राष्ट्रीय सरकार इस देश के प्रत्येक आदमी के दिल-दिमाग से साम्प्रदायिकता की भावना को निकालेगी, तब हमारे देश में साम्प्रदायिकता का अन्त होगा।

श्री चागला ने कहा है कि हम बाद में एक व्यापक विधेयक लायेंगे, जिसके अनुसार हिन्दुस्तान के सब कालेजों और स्कूलों आदि के नामों से खालसा, कायस्थ और ब्राह्मण आदि नामों को निकाला जायेगा। मैं समझता हूं कि जब वह इस प्रकार का विधेयक लायेंगे, तो वह कहेंगे कि यह काम प्रान्तीय सरकारों का है और इसलिए मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता हूं। उनका और बहुत से माननीय सदस्यों का विचार है कि इसके बाद मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ के नाम से "मुस्लिम" शब्द भी निकाला जायेगा। इस संसद के सिर्फ़ 17, 18 दिन बाकी रह गये हैं और इस अवधि में वह ऐसा विधेयक नहीं ला सकेंगे। इस समय यह नहीं कहा जा सकता है कि आने वाली संसद इस बारे में क्या निर्णय करती है।

इन शब्दों के साथ मैं अपने इस संशोधन का समर्थन करता हूं कि "मदन मोहन मालवीय काशी विश्वविद्यालय" के स्थान पर "बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी" नाम रखा जाये।

श्री सरजू पाण्डेय (रसड़ा) : सभापति महोदय, इस बहस में कांग्रेस के सदस्यों के भाषण सुन कर मुझे आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि वे हिन्दुस्तान की धर्म-भीरू और सीधी-सादी जनता की धार्मिक भावनाओं का दुरुपयोग करके उसके वोट हासिल करना चाहते हैं। जहां तक मुझे याद है, जब सिलेक्ट कमेटी में यह प्रस्ताव आया था कि "हिन्दू" शब्द को हटा दिया जाये, तो केवल एक वोट से वह प्रस्ताव गिर गया था।

श्री रघुनाथ सिंह : प्वाइंट आफ़ आर्डर। क्या सिलेक्ट कमेटी की कोई बात यहां पर उठाई जा सकती है ? उसकी प्रोसीडिंग्ज सीक्रेट होती हैं।

सभापति महोदय : सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट हाउस के सामने आ चुकी है।

श्री सरजू पाण्डेय : "हिन्दू" शब्द के बारे में यह कहा जा रहा है कि उसका बड़ा व्यापक अर्थ है। मैं कहना चाहता हूं कि आज तक हिन्दुस्तान में, और दुनिया में भी, जहां "हिन्दू" शब्द आता है, वहां उसका सीधा अर्थ होता है हिन्दू जाति और हिन्दू धर्म। हिन्दुस्तान या हिन्दुस्तान के रहने वालों का उससे बहुत कम अर्थ लिया जाता है।

श्री रघुनाथ सिंह : एक ईंट इस सदन में लाये हैं।

श्री मधु लिमये : वह बोगस ईंट है। वह उनके घर में या भट्टे में बनी है।

श्री सरजू पाण्डेय : सरकार को उस ईंट की जांच करनी चाहिए, ताकि यह पता चल सके कि वह ईंट वास्तविक है या नहीं।

श्री रघुनाथ सिंह बहुत चालाक हैं। वह जानते हैं कि इलैक्शन आ रहे हैं और अगर इस अवसर पर वह "हिन्दू" शब्द को निकालने की बात कहेंगे, तो उनको वोट नहीं मिलेंगे, लेकिन हिन्दुस्तान की जनता उनसे भी ज्यादा होशियार है। मैं भी वहां से ही आता हूं। मैं उनको चैलेंज करता हूं कि अगर वह इस सवाल पर चुनाव लड़ें कि "हिन्दू" शब्द को निकाला जाये या नहीं तो मैं उनसे ज्यादा वोट हासिल कर सकता हूं।

इस बारे में सही स्थिति यह है कि वहां पर एक हिन्दू कालेज था जिसको उस यनिवर्सिटी में लिया जाना था, इसलिए उसका नाम जो काशी हिन्दू विश्वविद्यालय रख दिया गया था उसमें हिन्दू शब्द जोड़ा गया अंग्रेजी अनुवाद में और यह एक टेक्निकल बात थी। चूंकि उस कालेज की प्रापर्टी उस विश्वविद्यालय में ली गई थी, इसलिए उसके नाम में "हिन्दू" शब्द जोड़ दिया गया।

आज बनारस की जनता और सारे देश की जनता यह चाहती है कि उस यनिवर्सिटी का नाम "काशी विश्वविद्यालय" रखा जाये, लेकिन कुछ माननीय सदस्य उसकी धार्मिक भावनाओं का दुरुपयोग करना चाहते हैं। श्री चागला ने कहा है कि वह एक ऐसा बिल लायेंगे, जिसके अनुसार सब साम्प्रदायिक नाम निकाल दिये जायेंगे। अगर सरकार वास्तव में ऐसा साहस करेगी, तो बहुत अच्छा होगा।

Shrimati Lakshmikanthamma: It is the privilege of Members to speak, but it is wrong to attribute motives to what Members speak here.

श्री सरजू पाण्डेय : जो हमारी थिंकिंग है, जो हमारे विचार हैं, उनको हम प्रकट कर रहे हैं। माननीय सदस्य उनसे चाहे कोई भी निकर्ष निकाल सकते हैं।

जब हमारा देश एक सैकुलर स्टेट है, तो मैं नहीं समझता कि यहां पर शिक्षा-

[श्री सरजू पांडेय]

संस्थाओं के साथ ब्राह्मण, कायस्थ, हिन्दू या मुस्लिम नाम रखने की क्या आवश्यकता है। इन बातों का देश में प्रभाव पड़ता है। जब कोई हिन्दू यूनिवर्सिटी बनाई जाती है, तो उसके जवाब में मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोल दी जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय के नाम के साथ "हिन्दू" शब्द को जोड़ना उसके सारे इतिहास को झुठलाना है। उसके सब कागजात में, उसके रजिस्ट्रेशन में और उसके सब ईंट-पत्थरों में उसका नाम "काशी विश्वविद्यालय" दिया गया है। सिर्फ़ हिन्दू कालेज को लेने के लिए टेक्निकल तौर पर उस के नाम "काशी हिन्दू विश्वविद्यालय" का अंग्रेजी ट्रांसलेशन किया गया। जो माननीय सदस्य इस सवाल को उठाते हैं, वे इस विश्वविद्यालय के इतिहास और मालवीय जी के महान कार्य और आदर्श को झुठलाते हैं। ये लोग—और खास तौर से बनारस के लोग—उनके नाम पर कालिख पोत रहे हैं।

सभापति महोदय : मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता हूं। माननीय सदस्य किसी की नीयत पर शक न करें।

श्री सरजू पाण्डेय : मैं किसी की नीयत पर शक नहीं करता हूं, लेकिन हालात हम को इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मजबूर करते हैं, जो कि मैं बता रहा हूं।

इस सदन में ये बातें एक गलत तरीके से उठाई जाती हैं। कांग्रेस पार्टी को साहस के साथ साम्प्रदायिक शक्तियों का मुकाबला करना चाहिए। उसकी लचर साम्प्रदायिक नीति ने देश में यह हालत पैदा की है कि आज साम्प्रदायिक शक्तियां जोर पकड़ रही हैं और मजहब के नाम पर हमारे विश्वविद्यालयों और कालेजों में इस प्रकार के झगड़े खड़े कर रही है।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में बड़ा अमन है, जब कि स्थिति यह है कि यूनिवर्सिटी बन्द है, कालेज बन्द हैं। वहां का रजिस्ट्रार जनसंघ का लीडर है, जिसने यह सारा झगड़ा कराया था। सिलेक्ट कमेटी में एक-मत से यह मांग की गई कि उसको हटा दिया जाये, लेकिन श्री चागला श्री वाडिया के दबाव में आ गये और उन्होंने उस रजिस्ट्रार को बनाये रखा। वह जनसंघ की रैलीज कराता है और सारे झगड़े की जड़ है।

अन्त में मैं मंत्री महोदय, इस सदन और कांग्रेस के सदस्यों से यह अपील करूंगा कि उनकी भावनाओं में न बह कर हिम्मत से काम लेना चाहिए और साम्प्रदायिक शक्तियों का मुकाबला करना चाहिए। मुल्क ईमानदारी की नीति को पसन्द करेगा और "हिन्दू" शब्द को हटा देने से नाराज नहीं होगा। सरकार को 'हिन्दू" शब्द को हटा कर उस विश्वविद्यालय का नाम "काशी विश्वविद्यालय" रखना चाहिए।

Shri S. N. Chaturvedi (Firozabad): We have wasted quite a lot of time....

Shri Mohammed Koya (Kozhikode): On a point of order. Can the hon. Member say that we have wasted a lot of time?....

Shri S. N. Chaturvedi: We can certainly say like that; there is nothing unparliamentary in that, and I repeat it.

Shri Mohammed Koya: On a point of order. Hon. Members have made very useful suggestions and very interesting speeches. Is it in order for the hon. Member to say that we have wasted our time?

Mr. Chairman: It is in order. That may be his opinion. Let Shri S. N. Chaturvedi continue his speech.

Shri S. N. Chaturvedi: I do not think that we should attach too great an importance to names. If we drop the word 'Hindu' from the name of the Banaras Hindu University or the word 'Muslim' from the name of Aligarh Muslim University, I do not think that that will make any change in the character of these universities.

If we want that there should be absolutely no discrimination between one community and another, we should ensure through this Constitution that there will be no preference given and no discrimination made on the basis of caste or creed so far as admissions and appointments are concerned. This is more vital. We can certainly transform the character of the University by setting up a Chair of Islamic Philosophy and Culture in Banaras Hindu University and a Chair of Hindu Culture and Vedic Philosophy in Aligarh Muslim University. That will be much more substantial than quarrelling about these petty labels which have absolutely no significance.

That is why I said that we have devoted much more time and wastefully to this question of labels....

Mr. Chairman: He need not repeat it often.

Shri S. N. Chaturvedi: I am summing up; so I have to refer to it. I will however like to tell the House that the word 'Hindu' does not connote any creed or religion; it connotes a culture which is catholic or pervasive and that sort of thing. But I doubt very much whether Hinduism gains or loses very much if the word 'Hindu' is attached to a particular university or not. Personally, I think that the expression 'Kashi Viswavidyalaya" is much better than any other that has so far been suggested. It will be much more redolent of our culture, Hindu culture and Indian culture, if that name is given.

Unfortunately, in the amendment made in the Rajya Sabha, the name of Pandit Madan Mohan Malaviya has been brought. We all adore that great man; it becomes a very unpleasant duty for anybody to say that he will not accept that amendment. But as a matter of fact, that does not in any way heighten the respect in which that great man is held not only in India but outside also.

That is why my preference would be for the name 'Kashi Vishwavidyalaya', though I would certainly say that if that is not acceptable, if word 'Hindu' remains there, I will not quarrel with it because I see no significance in these labels without change of content.

Shri Hari Vishnu Kamath: The House is faced with a sensitive issue of considerable magnitude. It must be viewed, I submit in all humility, from many facets, many angles and many aspects.

Before I come to the merits of the issue proper, I wish to raise a point of order based on the Constitution. I invite your attention to art. 246 and the Seventh Sechdule, Union List, p. 259. The Constitution peremtorily, specifically, categorically and in so many words says in item 63 of the Union List:

> "The institutions known at the commencement of this Constitution as the Banares Hindu University the Aligarh Muslim University and the Delhi University, and any other institution . . .

—mind you, these are there definitely—

> "declared by Parliament by law to be an institution of national importance".

These are exclusively in the field of parliamentary legislation.

Now, what does this Bill seek to do? To change the nomenclature, the name, of Banaras Hindu University to a jaw-breaking, tongue-twisting name—there should be a limit to the

[Shri Hari Vishnu Kamath]

length of names; this is as a practical proposition—Madan Mohan Malaviya Kashi Vishwavidyalaya. All honour to Malaviyaji—that is another matter to which I will come later. But just now I am on a constitutional point . .

Mr. Chairman: You have to explain the connotation also. What does this change connote?

Shri Hari Vishnu Kamath: All right

The first point is this. I think you were present in the House the other day—I do not know whether you were in the Chair—when the Representation of the People (Amendment) Bill and the Constitution (Twenty-first Amendment) Bill were taken up together. At that time, I raised a point of order which was upheld by the Speaker. Under art. 324, the Constitution invests the Election Commission with the power to set up tribunals to try election petitions. Now, the Representation of the People (Amendment) Bill seeks to transfer that power to the High Courts. I raised the point of order that unless the Constitution was amended first, the other Bill could not be taken up. The Speaker upheld it and said that the other Bill could not be proceeded with without first amending the Constitution.

Here in the Constitution—I am drawing the attention of the former Education Minister to page 259—there is this item 63 which I have read out. How is it possible for us to proceed to change the name of the Banaras Hindu University by means of a Bill without first amending item. 63 of List I of the Seventh Schedule of the Constitution? Now that item—63—remains as it is, intact. So unless you amend the Constitution first, I mean this item in the Union List, you cannot proceed with this Bill.

Before I speak on the merits, I would seek your ruling on this point.

Shri M. C. Chagla: May I answer it?

Mr. Chairman: I want to get my mind clear first and then I will ask the hon. Minister. What is referred to in item 63 is the Banares Hindu University, the Aligarh Muslim University and the Delhi University and any other institution declared by Parliament by law to be an institution of national importance. The point at issue is this. You have to explain how from your point of view that importance is being snatched away from this, that national character.

Shri Hari Vishnu Kamath: No, no. My point is that the nomenclature itself cannot be changed unless first this item is amended, this item which contains the word 'Banares Hindu University'. This is on a par with the point of order I raised the other day that you cannot transfer the power vested under the Constitution, art. 324, in the Election Commission to try election petitions by constituting election tribunals, to the High Courts as is sought to be done in the Representation of the People (Amendment) Bill, unless art. 324 is amended first. This was upheld by the Speaker who said I was right and that the Constitution should be amended first before proceeding with the other Bill.

Shri Tyagi (Dehra Dun): My hon. friend has raised a very relevant point of order. But the item only speaks of certain institutions which are known at the time of the commencement of the Constitution. That only signifies that these institutions mentioned therein were known by those names at that time. The Constitution does not say that those names as such permanently remain as they are mentioned therein and known as such on that date. At that time, those names were incorporated for that purpose. I concede that once the Constitution-makers recognised those names, some sanctity has got to be attached to them, though in my

opinion, it does not go against the Constitution to change them because the Constitution has not named them. But because the Constitution has recognised those names, I am afraid it may perhaps not be very discreet to effect any change.

16 hrs.

Shri N. C. Chatterjee: I may draw your attention to article 368 and its proviso. You know there are two kinds of amendments. Some amendments can be effected by a special majority of this House, and the proviso lays down that that amendment shall also require the concurrence or ratification by the majority of the legislatures of the States.

The wording of that proviso is like this:

"Provided that if such amendment seeks to make any change in—

* * *

(c) any of the Lists in the Seventh Schedule, or....

* * *

"the amendment shall also require to be ratified by the Legislatures of not less than one-half of the States by resolutions to that effect passed by those Legislatures before the Bill making provision for such amendment is presented to the President for assent."

The question is very important. It is not merely a question of sanctity. Of course, sanctity is attached, as Mr. Tyagi said, but something more. Are you not really making a change in the List? Item No. 63 in List I of the Seventh Schedule have placed the Banaras Hindu University, the Aligarh Muslim University and the Delhi University on a special pedestal, and their continuance and their nomenclature are both ensured by their enumeration in this list. With regard to other things it is open to Parliament to bring in any amendment. Are you not going to affect the List, make some change in this List in the Seventh Schedule? If so, I think the proviso is attracted. Therefore, there is some force in the contention of my hon. friend Shri Kamath.

Shri Shinkre: I think I cannot support the point of order raised by Mr. Kamath because the change referred to in the Constitution or in the article read by my hon. friend Mr. Chatterjee is something completely different. Supposing tomorrow, instead of the Supreme Court of India we in this Parliament decide to call it the Sarvochchaya Nyayalaya, does Mr. Kamath mean that it requires an amendment? This is simply an alteration of the designation of a particular institution. We are not going to delete the institution from the scope of the Constitution, neither are we adding to the List any new name. There is no need of such an amendment, and the whole thing, as far as the Constitution is concerned, is perfectly in order.

Shri Priya Gupta: There is no logic, there is a fallacy in your argument.

Shri U. M. Trivedi: The point raised by my hon. friend Shri Kamath is a very valid one. Nobody seems to understand it better than the hon. Minister, Mr. Chagla.

Shri Hari Vishnu Kamath: He was a Chief Justice.

Shri U. M. Trivedi: This is very simple proposition of law, it does not require a good deal of elucidation, nor a particular type of argument. The law is very clearly laid down. Article 368 has been argued to a very great extent very recently in the Supreme Court. I do not want to go into all the pros and cons raised there argued one way or the other, but one patent fact still remains. In article

[Shri U. M. Trivedi]

368 there is the proviso. The article reads:

"An amendment of this Consitution may be initiated only by the introduction. . . .

"Provided that if such amendment seeks to make any change in — . . .

'c) any of the Lists in the Seventh Schedule . . . " Then, what is required is a majority of not less than two-thirds of the Members of the House present and voting, and it shall be presented to the President for his assent and upon such assent being given to the Bill, the Constitution shall stand amended in accordance with the terms of the Bill. And in this case because it refers to the List in the Seventh Schedule, the amendment shall also require to be ratified by the Legislatures of not less than one-half of the States by resolutions to that effect passed by those legislatures before the Bill making such provision for such amendment is presented to the President for assent.

Therefore, I say that when a special reference has been made to the Seventh Schedule in article 368, there is no getting out of it. Mr. Shinkre says that we can call the Supreme Court as the Sarvochchaya Nyayalaya. That will not change the Supreme Court. The Supreme Court will remain. You may call it in Hindi Sarvochchaya Nyayalaya or by any other name, that is a different thing. This House is called the House of the People under this law; we may call it Lok Sabha by translation, that will not make it different from the House of the People. In the Bill we still have got the House of the People.

This must have escaped the notice of those who drafted the Bill. Since it has been brought to notice now, there is nothing wrong; only a greater majority will be required, that is all.

Shri Gauri Shankar Kakkar: I rise to oppose the point of order raised my my colleague on one ground.

Article 368 reads:

"(c) any of the Lists in the Seventh Schedule . . . " There, the interpretation will be this, that if an item incorporated in the Seventh Schedule is to be taken from the Union List to the Concurrent List or to the State List, the proviso applies; it does not refer to change in the name of an item in a list incorporated therein.

16.08 hrs.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

We are not going to change the List, we are keeping the Banaras University as it is given in the Union List. it is only the name which is being changed. This is not an amendment of the Constitution, and is not covered by article 368. Hence I oppose the point of order.

Shri Hanumanthaiah (Bangalore City): This is not a question of opposing or supporting the idea. it is a question of pure interpretation, one of legal interpretation.

The interpretation that I think is right is as follows. Entry No. 53 on page 259 begins as follows:—

"The institutions known at the commencement of this Constitution . . . "

Therefore, the framers of the Constitution have anticipated change in name in times to come. Therefore, they have deliberately used the phraseology "known at the commencement of this Constitution". It may be, subsequently that these very institutions may be known by some other names. That is my interpretation.

Shri Kapur Singh: The issue before the House strikes me in this manner. If we overrule the point of order which

has been raised by my hon. friend Shri H. V. Kamath, we also by implication, would be conceding the following principle, namely that, as long as the substance thereof remains in tact the words of the Constitution may be changed without following the special procedure laid down in the Constitution Act for amending the Constitution Act. That would be a most dangerous precedent and for this reason I support the point of the order.

Shri M. C. Chagla: Mr. Speaker, I have great respect for the subtle mind of Mr. Kamath which he very often exhibits in this House but may I put it to you and to the House that the point is a very simple one. Article 246 says:

> "Notwithstanding anything in clauses (2) and (3), Parliament has exclusive power to make laws with respect to any of the matters enumerated in List I in the Seventh Schedule (in this Constitution referred to as the Union List')."

This article confers upon Parliament the competence to legislate and that is the article which points out which are the matters in regard to which Parliament has competence, matters with regard to which State legislatures have competence and with regard to which both Parliament and State legislatures have competence to enact laws. My friend Mr. Trivedi for whose legal acumen I have great regard rightly put it that it is a simple question. Now, let us read entry 63 a little carefully:

> "The institutions known at the commencement of this Constitution as the Banaras Hindu University, the Aligarh Muslim University, and the Delhi University, and any other institution declared by Parliament by law to be an institution of national importance."

The expression 'at the commencement of the Constitution' is a very significant one; it is purely descriptive of the institutions which existed when the Constitution came into force and these institutions are enumerated in his entry. It also says 'any other institution declared by Parliament by law to be an institution of national importance'. Therefore, the subject matter of this entry is an institution of national importance. Competence is given to Parliament to legislate with regard to institutions of national importance and the Constitution points out that Aligarh and Banaras are institutions of national importance; they are not minority institutions; they are not regional institutions; they are not parochial institutions but they are institutions of national importance and they had described those institutions and say those institutions which at the commencement of the constitution were known as Banaras Hindu University. What is the subject-matter covered by entry 63 with regard to which Union has competence? That is what we have to consider. The subject matter is all those institutions which Parliament declares to be of national importance. It is open to Parliament to take up any educational institution in India, pass a law and declare it to be of national importance and proceed to legislate upon them. But with regard to these three institutions, the constitution makers have already made up their mind that they were of national importance. Therefore, they gave the name of these institutions. Article 368 was referred to and I entirely agree it would apply if the Constitution is to be amended. But are we amending the Constitution or altering it? What are we doing? Are we touching the subject matter of the entry? We are today dealing with an institution of national importance, namely, Banaras Hindu University and the Supreme Court holds, as Mr. Trivedy would very well know, once the power is given to the legislature, that power is supreme and we must give the fullest latitude. Therefore, Parliament has competence to legislate with regard to matters concerning the Banaras Hindu University including the change in the name. I submit the matter lies in a very narrow compass. Did the Constitution intend that the names given to these national

[Shri M. C. Chagla]

institutions were the subject matter of this entry? I say: no. Did the Constitution contemplate that the names should not be changed? As my hon. friend pointed out, the words 'at the commencement of the Constitution' are important. These institutions had to be described. How else could they have been described except by the names they bore at the time the Constitution was enacted? I submit that this Bill in no way takes away or adds to that entry.

Shri Hari Vishnu Kamath: The phrase 'at the commencement of the Constitution' occurs in another article also . . .

Mr. Speaker: Order, order. Under article 246.

Shri Kapur Singh: Before you proceed to give your ruling, may I make a humble submission? The hon. Minister has advanced an argument in this House whereby he seems to think that the proper name of a thing is not part of the substance of that thing. That is a proposition which is unknown to ligic and unknown to law.

Shri Hari Vishnu Kamath: Name and form are part of the thing.

Mr. Speaker: Under article 246 we can make laws so far as the entry is concerned. If the Bill had provided that the names under the entry 63 be changed from Banaras Hindu University to some other thing, then it might have been an amendment of the Constitution. But the Bill is not seeking to make any modification or alteration in the entry; this entry would stand as it is. We have only to make laws in regard to the institutions that are of national importance. Whatever name we may give by a law of Parliament, this entry will stand as it is and this would not be affected at all because at the commencement of the Constitution, they were so named. Therefore, our making laws here even changing the names would not affect that entry; that would continue as it is and would not be alter by any law here. Therefore, I do not think that article 368 applies here.

Shri Hari Vishnu Kamath: On a point of clarification, about your ruling. He referred to article 246.

Mr. Speaker: We are not changing it. Now, hon. Members might differ from me but I have given a ruling. Who was speaking?

Shri Hari Vishnu Kamath: I was speaking. I wanted the point of order to be decided first; then I said I would speak about the merits. You have disposed of the point of order. The other day there was the point about the Representation of the People Bill and the powers of the Election Commission and the Tribunal and they had to amend the Constitution. Anyway, we bow to your ruling and there the matter rests for the present so far as the amendment of the Constitution is concerned.

Now, coming to the merits of the issue in clause 2 of this Bill, the main issue before the House is: how do we perpetuate a great man's memory? Secondly, what is communal and what is secular? I think if the House devotes earnest attention to this matter, there will be no difficulty in arriving at a satisfactory settlement of the issue. How does one—we mortals perpetuate the memory of a great man that has gone before? I am reminded of a great literary figure, and I am sure the Minister has read his works—John Ruskin—who wrote in one of his very moving pieces—

An hon. Member: Unto the Last.

Shri Hari Vishnu Kamath: Yes; thank you. I think it is in Unto This Last. It ended with a sentence, or, I think, in two half-sentences. He said: "What we want is temples and monuments not made of stone but riverted of hearts, "for that marble, crimson-veined, is indeed truly eternal and not

the temples and monuments made of stone." Here, clause 2 of the Bill says —it refers in so many words—"And whereas to perpetuate the memory of late Pandit Madan Mohan Malaviya, it is desirable to rename the said University as the Madan Mohan Malaviya Kashi Vishwavidyalaya;" Now, I yield to none in my reverence to Pandit Madan Mohan Malaviya whom I had met more than once before he passed away—once in 1939 and again in 1940. I remember his desire for having a truly secular State in India But what is the essence, the quintessence of secularism, and what is communalism? Is it not seated in the hearts and minds of men? Is it only the communal tags, labels, names, that make you or me a communal-minded individual?

Suppose, I drop a part of my name. Have I, to be truly secular and non-communal, to drop my name "Hari Vishnu"? Have you, to be secular, to drop your name "Sardar Hukam Singh"? (*Interruption*).

An hon. Member: No, no.

Mr. Speaker: That was the proposal in the Constituent Assembly; he would remember it. The proposal was, instead of "Hari Vishnu", it might be "Hari Muhammad." (*Laughter*). It is not a matter for laughter. That was the proposal made by some gentleman—

Shri Hari Vishnu Kamath: Hazrat Mohini?

Mr. Speaker: No; I think there was another gentleman who made that proposal: that it should be "Hukamuddin." "Hari Mohammad", "Jamaluddin Ram' and so on. There was such a proposal mooted in the Constituent Assembly.

Shri Hari Vishnu Kamath: If that is so, if my hon. friend, the Minister of External Affairs, and formerly Minister of Education is also of the view that he should drop the words "Muhammad Currimbhoy" from "Muhammad Currimbhoy Chagla" so as to be truly a secular and not communal individual in the State, is it necessary? I do not think neither you nor the Minister will agree that that is a proposition worthy of consideration. It will be contempt of the House to say that any name makes you communal.

There are colleges in Madras I know the Christian College in Madras. It is still called "Christian College". I have not been inside it, for, I studied in a different college—but I knew that the Christian College, for 40 to 50 years, has been known as the "Christian College". There were the American Mission hospitals; the Christian Mission hospitals. Are they communal or anti-secular institutions? The Christian College, Madras, the St. Stephen College here, in Delhi—

Shri Priya Gupta: Khalsa College, Delhi.

Shri Hari Vishnu Kamath: Yes; thank you—the Khalsa College. I will not dare to say that all these are communal institutions. Nobody in his senses will say that the Christian College is a communal institution. So, where do we stand in regard to them? Do all these Members on all sides of this House, do they care to concede, do they think, that by dropping this word "Hindu" from the Banras Hindu University or "Muslim" from the Aligarh Muslim University, they will by a stroke of the pen make both the institutions secular and non-communal in character? I doubt; I do not believe that it will come by a stroke of the pen. That will come by a true change of heart and by a true change of mind. Just as war starts in the mind and heart of men, so does this poison, canker, grow in the minds and hearts of men and not by the communal tags and labels. I for one would, therefore, urge this House to consider whether we are not making a fetish of these names and of pseudo secularism. I will again emphasise that we want a truly secular State in this country, but not a pseudo-secular State, a pseudo-secular State which only goes by labels, by names and communal tags and not to

[Shri Hari Vishnu Kamath]

the minds and hearts of men, not to institutions as such but the facade of the institutions, the facade of individuals and institutions, and I think we are not going towards the way of creating a secular State. I therefore urge, before I conclude, once again that the Members of the House, on both sides of the House, should consider this respect. Here is my hon. friend Shri Petar Alvares. He is as much a secular individual as anybody else in this House. He does not want, he does not need to drop his name "Peter" to be non-communal, nor my hon. friend need to drop his name "Peter" to be amused, wants to drop his name "Sheo Narain" to be non-communal, nor my hon. friend Mirza Sahab.

So, I would urge that just as a compromise formula, just as in the Constitution where we have article 1—"India, that is Bharat, shall be a Union of States"—we may call it, "Kashi Vishwavidyalaya, that is, Banaras Hindu University." I have a letter here, from an authentic source and that letter says that the existing crest, the university crest of the Banaras Hindu University itself speaks of the university as "Kashi Vishwavidyalaya, Banaras Hindu University."---"Kashi Vishwavidyalaya" in Devanagari script and "Banaras Hindu University" in Roman script. It is in this spirit. This is the university crest. The letter is not from the Vice-Chancellor of the Banaras Hindu University but from another Vice-Chancellor. Therefore, is it not possible to arrive at this solution, and put it as "Kashi Vishwavidyalaya, that is, Banaras Hindu University," just as "India, that is Bharat" which we have got in article 1 of the Constitution? Is it not possible? With that end in view, I have moved this amendment standing in my name—Nos. 57 and 60.

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan): 58?

Shri Hari Vishnu Kamath: I am not moving.

Mr. Speaker: Have they been moved?

Shri Hari Vishnu Kamath: They have been moved. May I say one word before I have done? Pandit Madan Mohan Malaviya himself was the embodiment of true secularism and not a pseudo-secularism that is stalking large parts of the land today. We seek to attach importance to the facade and not to the interior, the inner heart and mind of man.

Shri Kapur Singh: Japanese secularism (*Interruption*).

Mr. Speaker: I am told that he was not present and it was not moved.

Shri Hari Vishnu Kamath: The clause was taken up; I do not know. I think you should not be so rigid. I came in a little late; when the clause was being considered, I came. Kindly permit me to move them; if you think it is against the—

Mr. Speaker: I can allow that; I am not objecting.

Shri Hari Vishnu Kamath: I am beholden to you for your generosity. (*Laughter*). It is not a matter for laughter. We will have the last laugh Do not worry. You go on laughing on the Treasury Benches, in profound ignorance and lightheartedness on this important matter.

Mr. Speaker: Please finish now.

Shri Hari Vishnu Kamath: It is an important matter as you will agree, but they just laugh it over. (*Interruption*) They can bulldoze everything here, I know. Let them bulldoze; let them make Parliament the handmaid of Government and make Parliament a puppet-show of the Congress party.

An hon. Member: Temper.

Mr. Speaker: Order, order. Let him finish his speech.

Shri Hari Vishnu Kamath: I am not in a temper. It takes a loud noise to make the deaf hear. (*Interruption*)

Mr. Speaker: He might not be disturbed.

Shri Hari Vishnu Kamath: I am fond of interruptions, Sir. I like those interruptions.

Mr. Speaker: But I do not like them.

Shri Hari Vishnu Kamath: They give a pep to the speech.

Now, I beg to move:

(i) Page 2, *omit* lines 6 to 9. (57)

(ii) Page 2, line 11, *for* "Kashi Vishwavidyalaya" *substitute*—

"Banaras Hindu University, that is, Kashi Vishwavidyalaya" (60)

Now, a colleague of mine, I think it was Shrimati Lakshmikanthamma, referred to the word "Hindu". Etymologically, the word "Hindu" is not a communal word at all.

Shri Kapur Singh: She said "Hindhu".

Shri Hari Vishnu Kamath: Pronunciation apart; I remember a book on Stalin's writings. Stalin, nobody would call him a communal man. A book containing the speeches and writings of Stalin was published in the thirties of this century. Stalin, who was a communist, in almost every speech of his referred to the people of Hindustan, not the people of India. The etymology of the word 'Hindu' is not communal. It does not occur in the *Vedas* or in the *Gita*. The first man who used the word 'Hindu', according to research scholars, was Sikander, Alexander the Great, who came to the Indus, which was known as Sindhu. By a sort of linguistic metamorphosis, 'S' became 'H' and Sindhu became Hindu. According to him, everybody living beyond the Sindhu was known as Hindu. So, it is not a communal or religious tag at all. There is nothing wrong about it, just as there is nothing wrong about the word 'Muslim' or 'Sikh'. We do want to treat them all alike. That is the philosophy of secularism. We do not want to abolish them either in the names of institutions or of individuals. We want to keep the spirit alive. We want to treat them alike—पंडिता: समदर्शिन:" *Samadarsinah*.

I would, therefore, commend my amendments very strongly for the acceptance of the House.

Shri Mohammed Koya: Sir, I am very glad to support the amendment seeking to restore the original name, i.e. Banaras Hindu University. There is nothing communal in retaining the word 'Hindu. The basis of our Indian culture and even of our Constitution is unity in diversity. So, if the name "Banaras Hindu University" is retained, nothing is going to happen to the secular character of our country. So, I oppose this clause about which the mover himself is not sure. We have got a strange example where the mover stands up and says "I am neutral; I did not vote in the Joint Select Committee or in the other House". If he is not serious, who else is serious about it?

Some members were struggling to show that the word 'Hindu' has got a bigger connotation and it has no communal character. I do not quarrel with them. But is it proper to say that this not changing the name does not apply to the Aligarh Muslim University, because 'Hindu' includes 'Muslim' also? When it comes to Muslim, is it proper to say that it is communal?

Mr. Speaker: He should not have those fears. Nobody has said it.

Shri Mohammed Koya: Then I do not know why they were waxing eloquent on that point.

श्री शिव नारायण : अध्यक्ष महोदय, "काशी विश्वविद्यालय" और "बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी" ये दोनों नाम हमारे सामने हैं। एनी बेसेन्ट जैसी तपस्विनी और त्यागिनी

[श्री शिव नारायण]

आयरिश महिला ने इस विश्वविद्यालय का नाम "हिन्दू यूनिवर्सिटी" रखा था। जहां तक "हिन्दू यूनिवर्सिटी" नाम का सम्बन्ध है, "हिन्दू" शब्द हिन्दुस्तानी से निकला और "यूनिवर्सिटी" इंगलिश से निकला। इसलिए सैकुलरिज्म का इससे अच्छा नमूना और क्या हो सकता है ? पंडित मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी और जिन दूसरे बड़े बड़े विद्वानों और नेताओं ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, उन्होंने "हिन्दू यूनिवर्सिटी" के नाम पर आपत्ति नहीं की थी। यह विश्वविद्यालय हमारे देश के स्वतंत्रता-संग्राम का केन्द्र रहा है। उसने हम को 1942 की क्रान्ति के वीर दिये हैं, इस देश के निर्माता दिये हैं। वह इस देश की गुलामी की जंजीरों को काटने वाली संस्था रही है। आज इस विश्वविद्यालय के नाम के साथ "मदन मोहन मालवीय" जोड़ा जा रहा है। मैं समझता हूं कि अगर आज पंडित मदन मोहन मालवीय जिन्दा होते, तो वह हरगिज इसको पसन्द न करते। काशी हमारी हिन्दू संस्कृति और इस देश की संस्कृति का प्रतीक है। श्री कामत ने सिन्कदर का जिक्र किया है। जब वह अपने देश से हिन्दुस्तान की ओर चला, तो किसी ने उसको कहा कि राजन्, भारत-विजय कर के लौटने के समय मेरे लिये ये दो चीजें ले कर आना : भारतीय संस्कृति और भारत की बंशी। हिन्दू यूनिवर्सिटी हमारे देश की संस्कृति का प्रतीक है। वहां पर हिन्दू या मुसलमान किसी के लिए भी रुकावट नहीं है। इसलिए इस नाम को बनाये रखने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम भी सोच समझ कर रखा गया था।

जब से हम ने अपनी शिक्षा संस्थाओं में धर्म की शिक्षा देना बन्द कर दिया है, तब से वहां पर मामला गड़बड़ होने लगा है और हम लोग नास्तिकता की ओर बढ़ने लगे हैं। अभी हमारे कम्युनिस्ट भाई, श्री सरजू पाण्डेय, ने बहुत गर्मी में "हिन्दू" शब्द रखने का विरोध किया था, लेकिन उन्होंने भी पहले "हिन्दू" कहा और फिर दूसरी बात कही। अगर यह वोट-कैचिंग का मामला होता, तो श्री सरजू पाण्डेय और श्री एच० एन० मुकर्जी हम से आगे होते। वास्तव में यह वोट-कैचिंग का प्रश्न नहीं है।

मैं समझता हूं कि "काशी विश्वविद्यालय" और "हिन्दू यूनिवर्सिटी" ये नाम बने रहने चाहिए, क्योंकि सिलेक्ट कमेटी में 39 मेम्बरों ने इसका समर्थन किया और केवल 6 ने इसका विरोध किया। मैजारिटी मस्ट बि ग्रान्टिड। इस हाउस का यह ओपीनियन है कि "हिन्दू यूनिवर्सिटी" नाम बना रहे।

श्री राघेलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, इस विश्वविद्यालय के नाम के बारे में हमेशा झगड़ा रहा है, लेकिन अगर इसके शुरू के इतिहास को देखा जाये, तो इसके सम्बन्ध में तीन बातें मुख्य थीं। जब सेंट्रल एसेम्बली में इस यूनिवर्सिटी से सम्बन्धित बिल इन्ट्रोड्यूस किया गया, तो मूवर आफ दि बिल ने इस यूनिवर्सिटी की एक विशेषता यह बताई कि इस की कोर्ट में केवल हिन्दू ही मेम्बर हो सकेंगे। इसकी दूसरी विशेषता यह थी कि उसमें हिन्दू धर्म की शिक्षा देना कम्पलसरी रहेगा और तीसरी विशेषता यह थी कि यह यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट की मदद से नहीं, बल्कि पब्लिक की मदद से चलायी जायेगी।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज वे तीनों बातें समाप्त हो चुकी हैं। मैं ने एसेम्बली की प्रोसीडिंग्स में पढ़ा था कि मालवीय जी ने अपने भाषण में यह कहा था कि इस यूनिवर्सिटी की कोर्ट का मेम्बर केवल हिन्दू ही हो सकेगा, नान-हिन्दू नहीं हो सकेगा लेकिन आज उसकी कोर्ट में हिन्दू और नान-हिन्दू सब कोई मेम्बर बन सकते हैं हिन्दू धर्म की कम्पलसरी शिक्षा को भी खत्म कर दिया गया है। इस बिल की क्लाज 7 में सभी

मजहबों की शिक्षा देने की व्यवस्था कर दी गई है। इसी प्रकार इस यूनिवर्सिटी के सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आने से उसकी तीसरी विशेषता भी खत्म हो गई है। दरअस्ल अब खाली नाम रह गया है और जिस उद्देश्य से हिन्दू यूनिवर्सिटी कायम की गई थी, वे खत्म हो गये हैं। आज हिन्दू यूनिवर्सिटी केवल एक यूनिवर्सिटी—एक विशाल यूनिवर्सिटी और एक भारतीय यूनिवर्सिटी—रह गई है।

श्री चागला ने इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा था "काशी विश्वविद्यालय", लेकिन उसका नाम "मदन मोहन मालवीय काशी विश्वविद्यालय" रख कर उनको और बिगाड़ दिया। अगर इसका नाम "मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी" और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम "सर सैयद अहमद यूनिवर्सिटी" रख दिया जाये, तो इसका अर्थ यह हुआ कि "हिन्दू" की जगह एक हिन्दू नाम और "मुस्लिम" की जगह एक मुसलमान का नाम रख दिया गया। यह कोई अच्छी बात नहीं है।

इस समय यूनिवर्सिटीज केन्द्र का विषय है और हर एक यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग एक्ट हैं। मेरा सुझाव है कि केवल एक एक्ट बनाया जाये, जो कि सब यूनिवर्सिटीज पर लागू हो। उस एक्ट में एक प्राविजन यह रखा जाये कि किस यूनिवर्सिटी का क्या नाम रहेगा, यह सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी। सब यूनिवर्सिटीज के लिए एक कानून हो, जिसमें उन सब के लिए सिन्डीकेट, कोर्ट, वाइस चांसलर आदि के सम्बन्ध में एक से नियम हों। अगर ऐसा किया जायेगा, तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसा कि श्री सिंहासन सिंह ने कहा है, इस नाम को वापस ले लिया जाये। माननीय सदस्य, श्री रघुनाथ सिंह, ने यहां पर एक ईंट दिखाई और यूनिवर्सिटी के ट्रस्ट का हवाला दिया। जहां तक पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम का सम्बन्ध है, बनारस यूनिवर्सिटी की एक एक ईंट कह रही है कि वह यूनिवर्सिटी पंडित मदन मोहन मालवीय की है। केवल उसका नाम "मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय" कर देने से वह उनकी यूनिवर्सिटी नहीं होगी—वह तो पहले से ही है।

इसलिए मेरा नम्र सुझाव यह है कि हम इस विषय पर गम्भीरता से विचार करें और नामों के चक्कर में न पड़ें। सरकार एक ऐसा बिल लाये, जिसमें इन सब नामों को खत्म कर दिया जाये। यहां पर ऐसी यूनिवर्सिटीज बनाई जायें, जिन को हिन्दुस्तान के सब लोग अपना समझें, न कि केवल कुछ जाति-विशेष या मजहब वाले अपना समझें।

Shri Gauri Shankar Kakkar: Mr. Speaker, Sir, this is a very peculiar sort of Bill which is before this House. I have been in the Joint Committee and I can say that this particular Bill has created so many sensations. Firstly, I would say, it is very unusual for the Chairman of a Committee to append his note of dissent. In this Bill the Chairman of the Joint Committee had to append his dissenting note and it finds a place in the report which has been submitted. I am thankful to Shri Chagla because a number of amendments were approved and incorporated in the original draft as it was forwarded to the Joint Committee. Shri Chagla, sitting there as the Minister of Education, had to yield to so many amendments even against his wishes. Then, I dare say that the whole discussion, which lasted for several hours, is, as a matter of fact, the root cause of the timid, shy and weak policy of the ruling party and the Government. Here may I remind the House that this Bill was brought here, it was under discussion and at a particular moment of time the discussion was adjourned? Why was it done? The Rajya Sabha, as it is at present constituted, consists of a majority of Congress party members.

[Shri Gauri Shankar Kakkar]

Since this amendment has been carried in Rajya Sabha, which has a majority of Congress Members, and has now come before the Lok Sabha, are we to take it that this is the consensus of view of Congress Members? Why should the ruling party, the Congress Party, be timid in not giving a mandate to its party that if they really believe in secularism they should do away with such communal names?

I may mention here one point. When this question was brought before the Joint Committee...

Mr. Speaker: Now it has been passed by one House, why go into what happened in the Joint Committee?

Shri Gauri Shankar Kakkar: It has created further confusion. An assurance was given by the then Education Minister that an amendment to the Aligarh Muslim University Act will be brought simultaneously with the amendment to the Banaras University Act.

Mr. Speaker: That point has already been raised.

Shri Gauri Shankar Kakkar: My submission is this. It is a national university. I never mean to say that the retention of the word 'Hindu' would make it a communal institution. It is said that a comprehensive Bill is being brought forward. I understand that Shri Chagla was making a serious attempt to bring at least higher education, university education, in the Concurrent List. But with what result?

Mr. Speaker: We are not discussing that.

Shri Gauri Shankar Kakkar: So, my submission is that there should be a clear-cut mandate, at least to those members of the Congress Party who believe in secularism, that it should be accepted, as has been done by Rajya Sabha.

Shri Bakar Ali Mirza: Mr. Speaker, thhere is an amendment in my name, seeking to change to name of the University into Banaras University, because I am against having the name of the university connected with any community or any individual, however high he may be. When the Aligarh Muslim University Act was adopted in this House, I opposed the word "Muslim" being attached to the name of that university. I oppose now the word "Hindu" in the name Banaras Hindu University. I dared to oppose even the name of such a great man as Pandit Jawaharlal Nehru being associated with a university. This does not mean that I have not got very great respect and regard for these people who have done such a lot for the country. I am a mere humble man and I dare not say anything against them as individuals. But I think, in principle it is wrong.

Shri Chagla says that what is important is what happens in the University but then, at the same time, he says that he will bring forward a comprehensive Bill so that there should be no dnominational institution, name or label of this kind. The very fact that he is ready to bring forward a Bill like that shows that something in what is existing is wrong.

I have got hare the Act of 1915 in which section 4A only says:—

> "to promote the study of religion, literature, history of Vedic, Hindu, Buddhist and Jain religions".

Now you have added also "Islamic, Sikh, Christian, Zoroastrian and other civilisations and cultures". This is a very good addition, but I ask hon. Members, who are so vehement about retaining the old name and about adding to Banaras University the name of Madan Mohan Malaviya, when you change the essential content of that university they have no objection but they have objection only to the

label. means that the label has got some significance and importance which is much more important than the very content of the old Act.

Sir, you cannot get away from the fact that both the Aligarh Muslim University and the Banaras Hindu University, whatever the purposes and aim of the founders had been, have really contributed in developing communal thought in the country. I am not worried about communal riots, physical violence, this and that, but I am really worried when you create a communal mind and institutions which directly or indirectly create that communal mind. That is why I object to this name.

Then, Shri Chagla says, what is there in the name; this University is secular, national and all that. I ask Shri Chagla, when people want to run children's schools whose education entirely depends upon religious teaching, you deny them, but here is one colossal standing—one with a huge temple built at national expense and another at Aligarh with a huge mosque standing—how do you justify these two. Is there no contradiction? You say that moral teaching is done and all that. You are creating a particular type of mind. Are there not Hindus in Aligarh? Should they not have a place of worship? Are there not Christians? Are you prepared to build at Government expense a church and a temple in Aligarh and a mosque and a church in Banaras?

Sir, the trouble is that we are trying to deal with communalism but always with mental reservation. If you really want to root it out, you must go to the very root and have no hesitation in pulling it out. I am afraid, even the University Commission deals with religious education in an unsatisfactory way; and whatever current political dogmas and popular slogans there are, it finds justification and reasons for them, it says that there are so many communities.

Mr. Speaker: The hon. Member should try to conclude now.

Shri Bakar Ali Mirza: Sir, I was not allowed to continue even during the general discussion. Time has been extended for clauses by two hours and I may be given two or three minutes more because it is a very important thing.

Mr. Speaker: All right.

Shri Bakar Ali Mirza: They want to make a sort of quintessence of all the religions and they want to collect and administer what is good, ethical and all that. They might as well give the students the Penal Code and Criminal Procedure Code to learn how to behave in a right manner. Suppose, a Hindu boy reads the *Gita*; the impact on him is greater than if you teach him all the works of philosophy of Dr. Radhakrishnan. If a Christian boy recites the Sermon of the Mount, a far more effect it has than all the Kant and Hegel and all those people put together. Just as education should be in the mother tongue of the child, similarly, ethical education and moral education can only be through the religion of the mother. You cannot get away from that.

I would like to impress upon the Education Minister that he should provide religious education. You cannot divorce it. You are running away from realities and, therefore, it is necessary either to do this or have some focus, some image, where by the child can really imagine and grow in the right direction. Take, for example, Mahatma Gandhi. In his teachings, there is the precept of truth, non-violence and all that. He recited the Bible; he listened to the Kuran. The national synthesis is there. But Gandhi is forgotten not only by India but also by our Education Department.

There is a lot of sentiment attached to the name Hindu and Muslim. There is a lot of reaction as somebody said, "I have advocated the dropping of the word 'Muslim' from the Aligarh Muslim University, therefore I will lose Muslim votes. Similarly, I advocated the dropping of the word

[Shri Bakar Ali Mirza]

'Hindu' from the Banaras Hindu University. I will lose Hindu votes and I have advocated the dropping of Jawahar Lal's name from Jawahar Lal University, therefore I may not get the ticket." In spite of all this, I say, the future of the country is more important and India's future depends upon her people and upon the integration of the whole people.

With these words, I urge upon the Education Minister to accept my amendment.

श्री यशपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बात कुछ मेरी समझ में नहीं आ रही है, हमारे शिक्षा मंत्री बार बार यह कहते हैं कि हम हिन्दू कल्चर की हिफाजत करेंगे, हम मुस्लिम कल्चर की हिफाजत करेंगे । क्या वह हिस्ट्री का कोई ऐसा चैप्टर दिखा सकेंगे, जिसमें धर्म का नाम मिटा दिया गया हो और फिर भी वह कल्चर जिन्दा रहा हो । अगर आप हिन्दू नाम मिटा देंगे, अगर आप मुस्लिम नाम मिटा देंगे, तो वह जिन्दा नहीं रह सकता । ये थोड़े से आदमी हैं, जिन को अपने बाप की इज्जत नहीं है, जो अपने बाप की इज्जत नहीं कर सकते, वे दूसरे बाप की इज्जत कैसे कर सकते हैं । ये थोड़ से कम्युनिस्ट क्या वोट दिलायेंगे, हिन्दू नाम के लिये मैं हर चीज को लात मार सकता हूं, चाहे शहनशाहियत भी हो । हम को बहकाने की कोशिश की जाती है, लेकिन हम इस तरह से बहकाये में आने वाले नहीं हैं । और इसी लिये मैंने अमेंडमेंट दी है । किस तरह से यह सक्युलरिज्म देश में चलेगा, जबकि करोड़ों के दिलों को ठेस लगा कर, थोड़े से लोगों के कहने से आप नाम बदलने जा रहे हैं । इस को अंग्रेजी में कहते हैं --

This is the thin of the wedge.

अंगुली पकड़ते पकड़ते पहुंचा पकड़ना । आज आप नाम को मिटायेंगे, कल कल्चर को मिटायेंगे, फिर वेदों को मिटायेंगे, फिर कुरान-पाक को मिटायेंगे । क्या इससे आपकी सरहदों की हिफाजत हो जायेगी, आपकी भुखमरी दूर हो जायेगी, कल्चर बच जायगी या 50 करोड़ आदमियों में यूनिटी पैदा हो जायगी । हम हिन्दुस्तान के लोग यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिये खड़े हैं । मुझे अफसोस है कि उस सभा के लोगों को पब्लिक से इन-टच नहीं होना पड़ता है, वर्ना वे इस को इस शक्ल में पास नहीं करते । हमने विभिन्नता में एकरूपता के दर्शन किये हैं, लेकिन ये तो रूलिंग पार्टी के रहमो-करम पर आ गये हैं । राज्य सभा में बैठे हुए हैं, जैसे बेवाएँ होती हैं, जिनका कोई आसरा नहीं होता है ।

अध्यक्ष महोदय : इसी तरह से अगर यह उनके पास जायगा, तो वे भी कहेंगे कि यशपाल सिंह जी ऐसे हैं, वैसे हैं . . .

श्री यशपाल सिंह : जो कुछ भी है, मैं माननीय छागला साहब से कहूंगा कि आपको कोटि-कोटि जनता के दिलों को स्पर्श करना है और भारत की संस्कृति को कायम रखना है और जिस सेक्युलरिज्म के लिये महात्मा गांधी खड़े हुए थे, जिसके लिये मौलाना अब्दुलकलाम आजाद खड़े हुए थे, उसको कायम रखना है। आज हम इस बात को भूल गये है कि हमारा धर्म है, अगर धर्म न होता तो सैक्युलरिज्म पंख लगा कर उड़ जाता । अगर आज चीन न होता तो हमारी कौमियत और इन्सानियत का पता न लगता । इस लिये, अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने शरू में कहा था कि . . .इसके नाम को न बदला जाय, इसका नाम बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी ही रहने दिया जाय ।

श्री सिंहासन सिंह : अध्यक्ष जी, काफी लोगों ने चर्चा की कि हिन्दू शब्द कोई जाति विशेष का द्योतक नहीं है, और इस लिये हिन्दू शब्द को हटाने का राज्य सभा ने जो

प्रयत्न किया है, वह सही नहीं है, ठीक नहीं है। मेरा सदन से अनुरोध है कि जब तक हिन्दू यूनिवर्सिटी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी शब्द रहेंगे, तब तक उनके अन्दर हिन्दू और मुस्लिम के वातावरण रहेंगे। आप आज मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आंकड़े देख लीजिये, कितने हिन्दू वहां पर पढ़ते हैं, उन पर क्या कल्चरल-इफेक्ट है। उसी तरह हिन्दू यूनीवर्सिटी के आंकड़े देखिये कि कितने मुसलमान वहां पर पढ़ते हैं। वहां की जमीन नापी जाती है मन्दिर से और यहां की जमीन नापी जाती है मस्जिद से, यहां पर कल्मा पढ़ा जाता है तो वहां पर गीता पढ़ी जाती है और इस तरह से यह कहना, सैक्यूलरिज्म की बात करना, सैक्यूलर स्टेट है, यह बिल्कुल गलत कल्पना होगी। जब तक ये शब्द दोनों में रहेंगे, तब तक ये शब्द इस बात के द्योतक हैं कि हम हिन्दू हैं और हम मुसलमान हैं। हर एक मुसलमान लड़का समझता है कि मुस्लिम यूनीवर्सिटी हमारे लिये बनी है, हिन्दू लड़का समझता है कि हिन्दू यूनीवर्सिटी हमारे लिये बनी है। यही नहीं प्रोफेसर्ज की एप्वाइन्टमेंट में. . . (व्यवधान) कितने प्रोफेसर्ज आज वहां हिन्दू है और कितने यहां मुसलमान हैं। हिन्दू यूनीवर्सिटी में 99 प्रतिशत प्रोफेसर हिन्दू हैं और इसीतरह मुस्लिम यूनीवर्सिटी में भी हैं। वाइस चांसलर आज तक कभी भी हिन्दू यूनीवर्सिटी में मुसलमान नहीं हुआ और न मुस्लिम यूनीवर्सिटी में हिन्दू हुआ। ये सब बातें इस बात का द्योतक हैं कि दोनों अपने अपने तरीके पर मुसलमानियत और हिन्दुत्व का प्रचार कर रही हैं। वे राष्ट्रीय यूनीवर्सिटीयां भले ही कहलायें, लेकिन उनके अन्दर जो जहर भरा है, वह तब तक उनके अन्दर भरा रहेगा, जब तक उनका नाम हिन्दू और मुसलमान के नाम पर होगा। इसलिये मैंने अपने शुरू के वक्तव्य में जैसा कहा था कि हम नाम पर न झगड़ें, अगर हम चाहते हैं कि यह जहर इस देश से चला जाय, तो हम सब भारतीय प्रथम हैं, उसके बाद हिन्दू हैं, मुसलमान हैं। आज हम किसी से पूछते हैं तो कहता है कि मैं हिन्दू हूं, मुसलमान हूं, सिख हूं, उसके बाद हम में कई सब कास्ट्स बोली जाती हैं. . .

अध्यक्ष महोदय : आप पहले भी इस पर बोल चुके हैं। इसलिये लम्बा भाषण न दीजिये।

श्री सिंहासन सिंह : जब तक ये शब्द नहीं निकलेंगे, तब तक यह जहर देश से नहीं निकल सकेगा। आज सदन की जो भी राय हो, आज यह कहा जा रहा है कि हिन्दू शब्द धार्मिक नहीं है, यह ठीक नहीं है। हिन्दू शब्द वैसा ही धार्मिक है, जैसे मुस्लिम शब्द धार्मिक है, इनको कभी न कभी निकालना होगा, नहीं तो देश के लिये से हिन्दू धर्म का प्रचार होने देना, या मुस्लिम धर्म का प्रचार होने देना ठीक नहीं है।

श्री तुलशीदास जाधव (नांदेड़) : अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। हिन्दू शब्द के बारे में मेरी भी यही राय है कि हिन्दू शब्द को निकाल देना चाहिये। इसका एक कारण है। इसके मायने यह नहीं है कि मैं कुछ हिन्दू धर्म के खिलाफ हूं, लेकिन यह बात सही है कि हिन्दुस्तान में यह अलग अलग गुटबाजी बनने से हम एक जगह पर नहीं आ पाते है। जैसा भाई सिंहासन सिंह ने कहा कि हिन्दू यूनीवरसिटी में हिन्दू के अलावा दूसरे आदमी को जगह नहीं मिलती,. . .

श्री विश्वनाथ पाण्डेय : यह ठीक नहीं है, वहां सब पढ़ते हैं, मुसलमान भी पढ़ते है।

श्री तुलशीदास जाधव : पढ़ते होंगे। पढ़ने की बात छोड़ दीजिये, सर्विस को ले लीजिये, आज कल जो आदमी हाई स्कूल शुरू करता है और जिस कम्युनिटी का वह आदमी होता है, वह उसी कम्युनिटी के ज्यादा से ज्यादा टीचर भरे जाता है।

17.00 hrs.

तो जब हम एक नये रास्ते पर जा रहे है, जब हम अपने अन्दर समाजवाद को लाना

[श्री तुलशीदास जाधव]

चाहते हैं, एक नया समाज पैदा करना चाहते हैं कि जिससे हम अलग अलग दल में न बटे रहें, तो जब हमें एक नया समाज तैयार करना है तो जूने पुराने शब्द के पीछे कुछ भावना रहती है, यह बात आर्गूमेंट्स से छिपाई नहीं जा सकती । कुछ ऐसे नाम भी उनके हों तो उससे किसी का धर्म बदल जाता हो, ऐसी बात नहीं है । मेरा कहना यह है कि जिन बातों को श्री कामत ने कहा था दूसरे माननीय सदस्यों ने कहा, इस बिल में कोई ऐसी डर की बात नहीं है कि हिन्दू धर्म जाता है या मुस्लिम धर्म जाता है जितनी उनकी धर्म की चीजें हैं उनको वह मस्जिद में रक्खें या मन्दिर में रक्खें लेकिन जितनी सार्वजनिक चीजें हैं, कुएं है, स्कूल हैं, कालेज हैं, उन में कभी भी ऐसा भाव नहीं आना चाहिये ।

यही इस सम्बन्ध में मेरा कहना है ।

Mr. Speaker: Now, the hon. Minister.

Shri Krishnapal Singh: I would not take very long. I shall just place a few facts before the House. This matter of secularism comes here so often . . .

Mr. Speaker: Which is his amendment?

Shri Krishnapal Singh: It is amendment No. 41 to clause 5.

Mr. Speaker: That is to clause I. We shall come to it later. The hon. Member may resume his seat. Now, the hon. Minister.

Shri M. C. Chagla: I shall be very brief because I did say something on the question of the name when I was replying to the general debate. I agree with my hon. friend Shri Kamath that communalism . . .

श्री हुकम चन्द कछवाय (देवास) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं । मन्त्री जी का भाषण हो रहा है और सदन में गणपूर्ति नहीं है ।

Mr. Speaker: There is no quorum. The hon. Minister might resume his seat. The bell is being rung—

Now, there is quorum. The hon. Minister may now resume his speech.

Shri M. C. Chagla: As I was saying, communalism lies in the minds of men. The UNESCO charter says that wars are made in the minds of men. Similarly, whether you are secular or communal depends upon your mind and your heart. I have known so many so-called nationalists; if you scratch them they are communalists. Equally so, you may have an institution which may call itself national and yet which may behave in an outrageously communal manner and *vice versa*.

My hon. friend Shri U. M. Trivedi said that the word 'Hindu' has certain connotations. I agree with him; if you give it a national connotation in the sense that everyone living in India is a Hindu, it has a certain connotation; the word 'Hindustan' means the '*stan*' of Hindus, or the land of the Hindus. Even today, in the French language an Indian is *L'Indo*. When you go to France, it does not matter what your religion is, they look upon you as *L'Indo*. In that sense, I entirely agree. But those who are opposing the word 'Hindu' here are not looking upon it in that national connotation but in the denominational sense. We must admit that the word 'Hindu' and the word 'Muslim'—of course, the word 'Muslim' is a denomination—have acquired a certain denominational connotation; the word 'Hindu' has acquired a certain denominational connotation. If we all accept the word 'Hindu' as having only a national connotation, as I said, in that sense, every Indian is a Hindu;

whatever our religion may be, we are Indians and we are Hindus in that sense. And it may sound a contradiction in terms, but you may have a Hindu Muslim or a Hindu Christian or a Hindu Parsi and so on.

But the debate here really has turned round the question as to whether we should not delete the denominational names from our educational institutions. There again, the question is that what matters more is the institution itself, what its activities are and what is going on in that institution.

Up to a point I agree with my hon. friend Shri Bakar Ali Mirza that perhaps a denominational name may have a tendency to give a certain complexion to an institution. But it all depends upon the leadership in that institution. As far as the Central universities are concerned, it depends on the leadership here. If we mould our institutions in a national, all-India, secular way, well, they can be so moulded. But as I have been saying all along, this is a question where I would like to leave the matter entirely to the wishes of the Members . . .

Shri Hari Vishnu Kamath: Free vote of Parliament.

Shri M. C. Chagla: Somebody suggested that I should bring, or rather not I but my successor should bring, a Bill embracing all the universities. But the hon. Member forgets that we have no legislative competence to legislate with regard to all the universities in India. We can only legislate with regard to the four Central universities and no more. As far as these four Central universities are concerned, we are trying—at least I have been trying—to bring forward Bills which are more or less similar. After the Banaras Hindu University (Amendment) Bill, I wanted to bring forward a Bill with regard to Aligarh University which would be more or less based on the ideas incorporated in the Banaras Bill. As you will see, I have incorporated the same ideas in the Jawaharlal Nehru University Bill.

I have nothing more to say except that I leave it to the House to decide whether the name should continue or not.

Shri Muthyal Rao (Mahabubnagar): May I say that we are not known as 'Hindus' outside, but as 'Hindis'?

Mr. Speaker: Amendment No. I.

Shri M. C Chagla: Amendment No. 3 is the basic one. If that is carried, the whole clause 2 will go and I will move a consequential official amendment to that effect. I say this because there are several amendments . . .

Mr. Speaker: Amendment No. 3 is to clause 3. There might to some mistake in printing. Amendment No. 3 says:

> "*for* lines 1 to 6, *substitute*—
> '(j) "University" means the Banaras Hindu University'.".

That is to clause 3.

Shri M. C. Chagla: I am sorry.

Shri Bakar Ali Mirza: My amendment No. 87 is there. It may be put.

Mr. Speaker: That is to make it 'Banaras University'. I can put that before the House. It was proposed that if this is carried, the others would fall through. Therefore, I am putting amendment No. 87.

Shri Priya Gupta: On a point of order. You have just now said that that will decide the issue. It is not so because the nomenclature is not Banaras University but something else. What is the nomenclature?

Mr. Speaker: Order, Order. I cannot tell him and then decide.

Shri Priya Gupta: It is Madan Mohan Malaviya Kashi Vishwavidyalaya.

Mr. Speaker: Let me put amendment No. 87 to the vote of the House.

Shri Priya Gupta: That defeats the purpose. How can you say that acceptance or rejection of that will decide the issue . . .

Mr. Speaker: Order, order.

Shri Priya Gupta: Your ruling is that.

Mr. Speaker: I will consider that. I have not given any ruling.

Shri Priya Gupta: You are giving priority according to the communication of the Minister.

Mr. Speaker: That does not matter. This is no ruling. If the others are not barred, I will put them.

Shri Priya Gupta: You said that if this is passed, the entire thing is gone.

Mr. Speaker: That is what I am told. This is what I said, that if this is passed, the others would fall through.

Shri Priya Gupta: If that is accepted, it means you are also convinced.

Mr. Speaker: The amendment reads.... (*Interruptions*) Order order.

Shri Priya Gupta: If you order I have got to keep quiet, otherwise I have to go out.

Mr. Speaker: Otherwise he will not listen.

Shri Bakar Ali Mirza: May I read out my amendment?

Mr. Speaker: I have got it myself.

Shri M. C. Chagla: I think you may put amendment No. 30 to the House. It says:

Page 2, lines 8 and 9 and wherever they occur in the Bill,—

for "Madan Mohan Malaviya Kashi Vishwavidyalaya"

substitute "Banaras Hindu University".

That is a substantive amendment.

Shri Priya Gupta: How can it be taken up? The amendments should be taken up seriatim.

Mr. Speaker: He would not listen to anybyody.

Shri Priya Gupta: Everybody is interrupting, and you do not tell them.

Mr. Speaker: I have really become attached to Mr. Priya Gupta.

I shall put amendment No. 30 to the House.

Shri Bakar Ali Mirza: Mine may be put; I may get more votes.

Mr. Speaker: If there is earlier one, I have to put it first. So, I put amendment No. 30 to the vote of the House. The question is:

Page 2, lines 8 and 9 and wherever they occur in the Bill,—

for "Madan Mohan Malaviya Kashi Vishwavidyalaya",

substitute "Banaras Hindu University." (30)

The motion was adopted.

Mr. Speaker: I shall put clause 2, as amended, to the vote of the House. The other amendments are barred.

Shri M. C. Chagla: Before you put it, may I submit that the consequence of the adoption of amendment No. 30 would be the deletion of clause 2, because the purpose of clause 2 is to change the name. So the whole of clause 2 may be dropped.

Shri Hari Vishnu Kamath: Sir, on a point of order. Would you please refer to article 108 of the Constitution:

"If after a Bill has been passed by one House and transmitted to the other House—

(a) the Bill is rejected by the other House; or

(b) the Houses have finally disagreed as to the amendments to be made in the Bill...."

We have now come to such a disagreement.

Mr. Speaker: Not finally. It has to be sent there a second time. This is not final.

Shri Hari Vishnu Kamath: The third contingency is important:

> "more than six months elapse from the date of the reception of the Bill by the other House without the Bill being passed by it....".

We received it last November, in 1965. We have not passed the Bill yet:

> "the President may, unless the Bill has lapsed by reason of a dissolution of the House of the People....".

we are still sitting fortunately; not dissolved yet:

> "notify to the Houses by message if they are setting or by public notification if they are not sitting, his intention to summon them to meet in a joint sitting for the purpose of deliberating and voting on the Bill."

I agree that the President has not exercised his powers; he should have exercised the powers and should have summoned and we should make a request to him to summon a joint session.

Mr. Speaker: We cannot make that request now.

Now, it is not clear to me. Is clause 2 to be dropped?

Shri M. C. Chagla: Yes. We will be left with the original Act which has got this Preamble: "Whereas it is expedient to establish and incorporate a teaching and residential University at Banaras...." If the change in the name goes away, the whole of that clause goes and the original preamble will remain. The necessity for this clause goes and the preamble will remain as it was in the original Act. It is unnecessary to have clause 2 now.

Shri Shinkre: It is clear that the Government wants to hurry up with the Bill.

Mr. Speaker: We have spent so much time and now he stands up and says something.

Shri Shinkre: If they want to proceed with it for any other reason, then, to avoid difficulties, I am raising the question of quorum. There is no quorum in the House.

Mr. Speaker: The bell is ringing.

Shri Priya Gupta: It is such an important Bill that it cannot be proceeded with like this.

Mr. Speaker: Order, order.

The question is:

> "That clause 2, as amended, stand part of the Bill."

The motion was negatived.

Clause 3—(*Substitution of new section for section 2*)

Mr. Speaker: The question is:

> "Clause 3 stand part of the Bill."

Shri Bhakt Darshan: Sir, there is Government amendment No. 42 to clause 3.

Shri Bal Krishna Singh: I have my amendment No. 3 to clause 3.

Mr. Speaker: That is barred now. There is amendment No. 42 of Government.

Shri Bhakt Darshan: I beg to move:

> Page 3, line 3, *for* "1965" *substitute* "1966" (42)

Mr. Speaker: The question is:

> Page 3, line 3, *for* "1965" *substitute* "1966" (42)

The motion was adopted.

Mr. Speaker: The question is:

> "That clause 3, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 3, as amended, was added to the Bill.

Mr. Speaker: Then we take clause 4.

Shri Bhakt Darshan: The amendment to that clause also is redundant.

Mr. Speaker: That also goes. So, the question is:

"That clause 4 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 4 was added to the Bill.

Mr. Speaker: Then, we take clause 5.

Clause 5— (*Effect of change in the name of University*)

Shri Bhakt Darshan: There are three amendments: 43, 44 and 45.

Shri M. C. Chagla: In view of the decision of the House that the original name should stand, this clause may be dropped.

Mr. Speaker: The question is:

"That clause 5 stand part of the Bill."

The motion was negatived.

Clause 6—(*Amendment of section 4*)

Mr. Speaker: The question is:

"That clause 5 stand parts of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 6 was added to the Bill.

Clause 7—(*Amendment of section 4A*)

Shri Bakar Ali Mirza: I beg to move:

Page 6, line 6, *omit* "with the approval of the Central Government" (88)

When the university can acquire, hold, manage and dispose of property, I do not know why for borrowing they should come to the Central Government for approval.

Shri M. C. Chagla: I must oppose this amendment. I do not think the Central Government should be committed to any borrowing unless it has the approval of the Government. I hope the occasion will not arise when the University will have to borrow, but if it arises, it should be with the approval of the Government.

Shri Bakar Ali Mirza: When they can be trusted for acquiring, holding and selling property, they can be trusted for borrowing also.

Mr. Speaker: I will now put amendment No. 88 to the House.

Amendment No. 88 was put and negatived.

Mr. Speaker: The question is:

"That clause 7 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 7 was added to the Bill.

Clause 8 was added to the Bill.

Clause 9—(*Substitution of new sections for sections 6 and 7.*)

Shri Raghunath Singh: I beg to move:

Page 24,—

for lines 33 to 36.

substitute—

"9. (1) There shall be a Dean for each Faculty; every Professor within the Faculty shall, by rotation according to seniority, act as the Dean of the Faculty for a period of two years." (92)

जब डीन बन जाते हैं, तो हमेशा के लिए वही बने रहते हैं। मैं यह व्यवस्था करना चाहता हूं कि प्रोफेसर बाई रोटेशन डीन बना करे। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय को इस पर कोई आबजेक्शन नहीं होना चाहिए। वह इसकी इम्प्लीकेशन्ज को जांच करलें और इसको स्वीकार कर लें।

श्री मु० क० चागला : मुझे अफ़सोस है कि मुझे ग्राबजेक्शन है।

It will lead to a great deal of difficulty I have considered it. It will affect the whole scheme that we have laid down. The scheme is there should be a dean for each faculty and the dean should be selected by rotation from the Heads of Departments. The professors are so many that it will be very difficult. The idea is there should not be the same dean for more than 2 years, but the rotation should be confined to the Heads of Departments. I oppose the amendment.

Mr. Speaker: I will put amendment 92 to the House.

Amendment No. 92 was put and negatived.

Shri Bakar Ali Mirza: I have got amendment 89.

Mr. Speaker: He should have got up earlier. All right. He may move it.

Shri Bakar Ali Mirza: I beg to move:

> Page 7, line 10, *add* at the end "or constitute a new committee" (89)

There has been a case in Andhra University when this committee was asked by the Chancellor to send a fresh panel of names, but the committee refused and sent back the same set of people. There was a sort of deadlock. I think there should be power to have a new committee if it is necessary.

Shri M. C. Chagla: As you will see, Sir, the scheme is that the Vice-Chancellor is to be recommended by a panel of three persons and if the names are not acceptable to the Visitor he will ask that committee to call for fresh recommendations. If Shri Mirza's amendment is accepted it will mean delay. It will take some time to set up the panel.

Shri Bakar Ali Mirza: There was a deadlock in Andhra University. They refused to send in fresh names. Therefore, you must have power to constitute a new committee.

Shri M. C. Chagla: It consists of two representatives of the court and one representative of the Visitor.

Shri Bakar Ali Mirza: Same is the case here.

Shri M. C. Chagla: I hope the Banaras University will not do what Osmania University did. Recently in the Banaras University the rule was for the Executive Committee to recommend names. I had to get three panels before I got the name of Dr. Sen.

Mr. Speaker: I shall put amendment No. 89 to the vote of the House.

Amendment No. 89 was put and negatived.

Mr. Speaker: The question is:

"That clause 9 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 9 was added to the Bill.

Clauses 10, 11 and 12 were added to the Bill.

Clause 13—(*Amendment of section 11*)

Mr. Speaker: There is an amendment to clause 13.

Shri Bal Krishna Singh: I beg to move:

> Page 10,—
>
> *omit line 29.* (12)

एकेडेमिक कौन्सिल को डिसिप्लिनरी ऐक्शन लेने का पहले अधिकार था, उसे चागला साहब छीन रहे हैं तो मेरा यह विचार है कि एकेडेमिक कौंसिल को यह अधिकार डिसिप्लि-

[श्री बाल कृष्ण सिंह]

नरी ऐक्शन लेने का होना चाहिए और यहां से यह डिलीट कर देना चाहिए। यह बड़ा आवश्यक है। मुझे विश्वास है कि चागला साहब उसको स्वीकार कर लेंगे एकेडेमिक कौंसिल को यह अधिकार रहने देंगे।

Shri M. C. Chagla: We had a very long discussion on this in the Joint Committee and also in the Rajya Sabha. I very much regret I cannot accept the amendment.

Mr. Speaker: I shall put amendment No. 12 to the vote of the House.

Amendment No. 12 was put and negatived.

Mr. Speaker: The question is:

"That clause 13 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 13 was added to the Bill.

Clause 14 and 15 were added to the Bill.

Clause 16—(*Amendment of section 14*)

Mr. Speaker: There is an amendment to clause 16.

Shri Bhakt Darshan: There is Government amendment No. 46. But here I would like to submit that a correction has to be made. Instead of "line 38" it should be "line 33".

Amendment made:

Page 11, line 38,—

for "1965" *substitute* "1966" (46) (*Shri Bhakt Darshan*)

Mr. Speaker: The question is:

"That clause 16, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 16, as amended, was added to the Bill.

Clause 17—(*Amendment of section 15*)

Mr. Speaker: There are some amendments to clause 17.

Shri Bhakt Darshan: I beg to move

Page 12, line 13,—

for '1965' *substitute* "19066" (47)

Shri Bal Krishna Singh: Sir, I beg to move:

Page 12,—

omit lines 9 to 14. (13)

यह बड़ा महत्व का है इम्पार्टेंट है और इसलिए इम्पार्टेंट है कि बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी ऐक्ट में शुरू से ही यह प्राविजन था कि विश्वनाथ टेम्पल जो यूनिवर्सिटी में है उससे 1.5 मील की दूरी के जो कालेज थे वह एफिलिएट हो सकते थे। आपने वह प्राविजन तो रखा है लेकिन यह प्रतिबन्ध कर दिया है कि इस वक्त जो कालेजेज इस ऐक्ट के बनने के समय हैं वही एफिलिएट हो सकेंगे इस संबंध में मेरा निवेदन है कि आप बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में एफिलिएशन आगे के लिए बन्द कर दे रहे हैं और ईस्टर्न यू० पी० में जितने कालेजेज हैं उन सब को गोरखपुर यूनिवर्सिटी से एफिलिएट कर दे रहे हैं। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में फैकल्टी आफ ऐग्रीकल्चर वगैरह नहीं हैं और उसके विधान में है कि कोई पोस्ट ग्रेज्युएट कालेज नहीं खोला जा सकता। तो इससे नुकसान ईस्टर्न यू० पी० के सब जिलों का होगा। बनारस में जो डिग्री कालजेज होंगे वह उससे एफिलिएट नहीं हो सकते और गोरखपुर युनिवर्सिटी के विधान के अनुसार कोई पोस्ट ग्रेज्युएट कालेज नहीं खोल सकते। जबकि ऐसा रिस्ट्रिक्शन इंडिया के और किसी हिस्से में नहीं है। तो इससे ईस्टर्न यू० पी० पर बड़ा भारी असर पड़ेगा। मेरा निवेदन है कि इस बात को भी आप समझें कि आज जो कालेजेज हैं आगे चलकर उससे भी अच्छे कालेज हो सकते हैं और यह मान लेना कि इस वक्त मौजूदा हालत में जो कालेज हैं उनसे अच्छे कालेज दूसरे नहीं होंगे, यह मैं समझता

हूं कि ठीक नहीं है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि 15 मील के रेडियस में जितने कालेजेज हों अगर यूनिवर्सिटी चाहे तो उनको एफिलिएट करले। इस पुराने प्राविजन को रखें और यह प्रतिबन्ध न लगायें।

Shri M. C. Chagla: If the House will look at the original Act as to what Malaviyaji intended this University to be, it says "an Act to establish and incorporate a teaching and residential Hindu University". Therefore, it was clear in the mind of the founder of this university that it should not be an affiliated university, and we know the advantages of a residential university; it has a campus where all the students live together, where there is contact between the teachers and students. With great hesitation I agreed that we might permit those colleges which are already established to be affiliated. But if we extend now the jurisdiction of the University and permit the University to affiliate any college which is established hereafter, the very character of this University will be altered, and that is why we said in the proviso that no new college or institution started after the commencement of the Banaras Hindu University Act, 1965 shall be admitted to any such privilege of this University. I am sorry, I cannot accept this amendment. I hope the House will oppose it.

Mr. Speaker: I will now put amendment No. 13 to the vote of the House.

Amendment No. 13 was put and negatived.

Mr. Speaker: The question is:

Page 12, line 13,—

for "1965" *substitute* "1966" (47)

The motion was adopted.

Mr. Speaker: The question is:

"That clause 17, as amended, stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 17, as amended, was added to the Bill.

Clauses 18 and 19 were added to the Bill.

Clause 20.— (*Substitution of new Section for section 17*)

Shri Bhakt Darshan: I beg to move:

Page 14, line 24,—

for "1965" *substitute* "1966" (48)

Shri Bakar Ali Mirza: I beg to move:

Page 14, lines 3 and 4,—

omit "including High Schools" (90)

I want the High Schools to be excluded from the purview of the university. This sort of thing is going on in Aligarh and Banaras. I think it is high time that it is put a stop to.

Shri M. C. Chagla: For historical reasons, I believe there is one high school, which was started by Mrs. Beasant, which has always been part of the Banaras University. Similarly, there is a school in Aligarh. I am not in favour of having schools affiliated to a university, but for historical reasons....

Shri Bakar Ali Birza: The Education Department can look after it.

Shri M. C. Chagla: We cannot leave that school to the Education Department; I am sorry. The University must look after this school as it has done all these years.

Mr. Speaker: I will now put amment No. 90 to the vote of the House

Amendment No. 90 was put and negatived.

Mr. Speaker: The question is:

Page 14, line 24,—

for "1965" *substitute* "1966" (48)

The motion was adopted.

Mr. Speaker: The question is:

"That clause 20, as amended, stand part of the Bill".

The motion was adopted

Clause 20, as amended, was added to the Bill.

Clauses 21 to 24 were added to the Bill.

Clause 25— (*Transitional provisions*)

Shri Bhakt Darshan: Sir, I beg to move:—

Page 18, lines 18 and 19,—

omit "the Vice-Chancellor." (49)

Shri M. C. Chagla: I may explain this. This is rather important. When we first drafted sub-clause (2), we said:—

"The following officers, namely, the Chancellor, the Vice-Chancellor, the Deans of the Faculties and the Chief Proctor shall, as soon as may be after the commencement of this Act be elected or appointed in accordance with the provisions of the principal Act as amended by this Act and of the Statutes set out in the Schedule, and the persons holding any such office immediately before such commencement shall continue to hold that office until his successor enters upon his office."

When this Bill was passed by the Rajya Sabha, Shri Bhagavati was the Vice-Chancellor, whose term of office was about to expire. Now quite a new situation has arisen. We have just got a new Vice-Chancellor and, as I said earlier, a very fine Vice-Chancellor, Dr. Sen, who has only been appointed a month or two back. It will be a bad thing for the University if under this clause his office would come to an end as soon as it is enforced.

Then, sub-clause (4) says:—

"Every officer of the University, other than those referred to in sub-sections (2) and (3), holding office immedately before the commencement of this Act shall, on and from such commencement, hold his office by the same tenure and upon the same terms and conditions as he held it immediately before such commencement."

We have appointed the Vice-Chancellor under the present Act for a term of six years and by omitting the word "Vice-Chancellor" from sub-clause (2), by reason of sub-clause (4) he will continue to hold his office for his full term of six years which will be very desirable in the interest of the Banaras Hindu University.

Mr. Speaker: The question is:

Page 18, lines 18 and 19,—

omit "the Vice-Chancellor," (49)

The motion was adopted.

Mr. Speaker: The question is:

"That clause 25, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 25, as amended, was added to the Bill.

THE SCHEDULE

श्री बालकृष्ण सिंह : मेरी अमेण्डमेन्ट 14 तो मैं समझता हूं कि आगला साहब स्वयं मन्जूर कर रहे हैं।

अमेण्डमेन्ट 15 बिल में रजिस्ट्रार को जो अधिकार दिया गया है उससे वह फोर्थ क्लास एम्पलाइज के खिलाफ डिसिप्लनरी एक्शन ले सकता है, सस्पेण्ड कर सकता है, सजा दे सकता है, इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि यह अधिकार रजिस्ट्रार को देने के बजाय वाइस-चान्सलर को दिया जाय, क्योंकि फोर्थ क्लास एम्पलाइज हर फैकल्टी में अलग अलग हैं, अगर रजिस्ट्रार को ये अधिकार दिये जायेंगे जो कि रिकार्ड का ही जिम्मेदार है, तो इसके

मायने यह होंगे कि उसकी अपील वाइस चान्सलर के पास होगी और फिर एक्जीक्यूटिव कौन्सिल के पास होगी। मेरी राय में इस काम के लिए वाइस चान्सलर ही एक प्रापर अथोरिटी है, जो कि सारी यूनीवर्सिटी को कन्ट्रोल करता है। उसी को यह अधिकार रहना चाहिये कि वह एम्पलाइज को सजा, जुर्माना या मौअत्तिल कर सके। यह अधिकार रजिस्ट्रार को नहीं होना चाहिये।

जहां तक अमेण्डमेन्ट 16 का ताल्लुक है, जिसमें मैंने लाइन 13 से 20 तक ओमिट करने के लिये कहा है, उसका उद्देश्य केवल यही है कि यदि वाइस चांसलर को वह अधिकार दिया जाता है तो फिर रजिस्ट्रार के आर्डर पर अपील करने वाले धारा की जरूरत नहीं रह जायगी। मैं समझता हूं कि डागला साहब को इस अमेण्डमेंट को स्वीकार कर लेना चाहिये, क्योंकि आजकल रजिस्ट्रार के सम्बन्ध में क्या भावना है, यह डागला साहब को साहब को मालूम है। इस प्रकार का अधिकार उनको देने से दूसरे अफ़सरों के बीच झगड़े खड़े हो जायेंगे।.....

Shri Bakar Ali Mirza: I wish to move my amendment No. 91, through which I want a new faculty to be added.

श्री हुकम चन्द कछवाय : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था चाहता हूं, इतने महत्व का विषय चल रहा है, लेकिन सदन में गणपूर्ति नहीं है।

Mr. Speaker: The bell is being rung. The bell has stopped ringing. There is no quorum and the House stands adjourned to meet again tomorrow at 11 A.M.

17.47 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, November 16, 1966|Kartika 25, 1888 (Saka).